छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा

नवम् सत्र

बुधवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020

(पौष 02, शक सम्वत् 1942)

[अंक 03]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधानसभा

बुधवार, दिनांक 23 दिसंबर, 2020

(पौष 2, शक सम्वत् 1942)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बेंच की पूरी मंत्री दीर्घा खाली है। दो मंत्री बैठे हैं जिनका क्वेश्चन डे है।

बस्तर क्षेत्र में गांजा तस्करी के पंजीबद्ध प्रकरणों पर कार्यवाही

1. (*क्र. 499) श्री बघेल लखेश्वर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागान्तर्गत वर्ष 2018-19 एवं इस चालू वर्ष में गांजा तस्करी के कुल कितने प्रकरण पंजीबद्ध किए गये है ? वर्षवार जानकारी देवें? (ख) इन प्रकरणों में हुई कार्यवाही के संबंध में जानकारी देवें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी †[1] संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है.

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से गांजा तस्करी के संबंध में जानकारी चाही थी। उनके द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी अवगत करायी गई है। मुझे मंत्री जी से छोटी सी जानकारी चाहिए थी कि गांजा कहां से आता है और पिछले दो-तीन वर्षों में हमारे बस्तर जिला, सुकमा जिला, कोंडागांव जिले में तस्करी बढ़ी है। पुलिस की सतर्कता से इतने जप्त किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ये तीनों जिले उड़ीसा सीमा से सटे हैं और कई जगहों पर चेकपोस्ट के अभाव में उधर से तस्करी होती है। मैं चाहूंगा कि सीमावर्ती सड़कों में चेकपोस्ट स्थापित हों, ऐसा मेरा आग्रह है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है कि गांजा कहां से आता है तो अभी उड़ीसा, आंध्रप्रदेश से गांजा दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है और वह छत्तीसगढ़ होकर गुजरते हैं। मूल रूप से छत्तीसगढ़ होकर गुजरते हैं तो उस समय हमारे चेकपोस्ट आदि में हम उनको पकड़ पाते हैं। जैसा कि सदस्य जी ने मांग की है कि सीमावर्ती इलाके से आते हैं इसलिए

---

†[1] परिशिष्ट "एक"

वहां पर चेकपोस्ट बढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पर मैं अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा कर लूंगा कि वर्तमान में चेकपोस्ट कहां -कहां पर हैं, किस-किस रास्ते से गांजा आता है उसमें और कहां पर हम ज्यादा मुस्तैदी से चेक कर सकते हैं, चेकपोस्ट बढ़ा सकते हैं। निश्चित तौर पर करवा लिया जायेगा।

<u>प्रदेश में मानव तस्करी के प्रकरणों के रोकथाम हेतु किए गए उपाय</u>

2. (∗क्र. 505) डॉ. रमन सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत दिनों राजनांदगांव जिले सहित राज्य के अन्य स्थानों से मानव तस्करी का मामला आया है? (ख) यदि हां, तो पिछले 2 साल में इस तरह के कितने मामले सामने आये हैं और सरकार इनकी रोकथाम के लिए क्या उपाय कर रही है?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जी हां. (ख) जानकारी ††[2] संलग्न प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" पर दर्शित है.

डॉ. रमन सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग (मानव तस्करी) को आप किस रूप में देखते हैं, उसकी क्या परिभाषा मानते हैं? राज्य सरकार उसको किस प्रकार परिभाषित करती है?

(माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर देने में विलंब होने पर)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यदि माननीय मंत्री जी की तैयारी न हो तो इसमें आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत कर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- जवाब दे रहे हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मानव तस्करी से जुड़े जितने कानून हैं उसमें हम लोग जैसे छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण अधिनियम है जिसमें किसी महिला अथवा बाहर से कामकाज में लाते हैं उनका या अनैतिक व्यापार का इन सब चीज के ऊपर हम लोग लागू करते हैं और उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं।

डॉ. रमन सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, मैं बहुत छोटा सा और ऐसा विषय शुरू कर रहा हूं जो मेरे प्रश्न की मूल आत्मा है कि संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार आप उसकी परिभाषा नहीं बता पा रहे हैं तो परिभाषा के आगे की कार्रवाई क्या बतायेंगे। किसी व्यक्ति को बलपूर्वक डराकर, धोखा देकर और हिंसा, अन्य तरीके से भर्ती, तस्करी, बंधक बनाकर रखना मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। इससे पीड़ित व्यक्ति से देह व्यापार, घरेलू काम, गुलामी आदि कार्य पीड़ित व्यक्ति के

---

††[2] परिशिष्ट "दो"

इच्छा के विरूद्ध किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से एक लाईन की परिभाषा है जिस परिभाषा के अनुसार हमें कार्यवाही करनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा छोटा सा प्रश्न है। स्टेट लेवल का ब्यूरो और डिस्ट्रीक्ट लेवल की कमेटी की आज तक प्रदेश में कितनी बैठके पूरे हुई हैं। मॉनिटरिंग, यदि आपने 8 जिले गठित किये हैं स्टेट लेवल कब-कब और वह कौन अधिकारी है ए.डी.जी. स्तर का है, डी.जी. स्तर का है या आई.जी. लेवल का है उसका नाम और उसका नोटिफिकेशन बता दें?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मानव तस्करी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के सामान्य कार्य की बात कही हैं उसके विषय में जानकारी दे दूं। मेरे पास जानकारी है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के जो सामान्य कार्य हैं जिसके विषय में आपने कहा। गुम बच्चों के ऐसे प्रकरण जो अपराध दर्ज होने के 120 दिन पश्चात् भी बरामद नहीं किये जा सके हों, उन प्रकरणों में गुम बच्चों को मानव तस्करी पीड़ित होने की उद्धारणा पर गंभीर प्रकरण मानते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सेल से अग्रिम विवेचना किया जाना है। यह इकाई मानव दुरव्यापार से संबंधित सभी अपराध और शिकायतों के निराकरण में कार्यवाही सुनिश्चित करती है। सभी संबंधित विभाग जैसे पुलिस अभियोजन, एन.जी.ओ., सिविल सोसायटी, श्रम विभाग महिला बाल विकास, पंचायत सभी के सामन्जस्य करके इसमें काम किया जाता है।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पोजिसन अभी नहीं पूछ रहा हूँ। जब स्टेट लेवल, डिस्ट्रीक्ट लेवल का कम्पोजिसन पूछूंगा तो कम्पोजिसन बतायेंगे। अभी तो मैं बड़ा छोटा सा प्रश्न कर रहा हूँ। स्टेट लेवल में मॉनिटरिंग ब्यूरो होता है, डिस्ट्रीक्ट लेवल में आपने 8 जिलों में कमेटी बनायी है उस स्टेट लेवल की कमेटी की कब-कब बैठक हुई है और जिले की मॉनिटरिंग कब किया है ? कौन अधिकारी नोटिफाईड हुआ है ?मैं तो स्पेसिफिक प्रश्न कर रहा हूँ। मैं परिभाषा में तो बाद में आऊंगा।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य स्तर पर जो कमेटी है पुलिस मुख्यालय में और सी.आई.डी. शाखा में उसके डी.आई.जी. होते है ।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कौन व्यक्ति है जिसके लिए आपने अधिकृत नोटिफाईड किया है, मैं नाम जानना चाहता हूँ ? नोटिफिकेशन जानना चाहता हूँ। डी.जी. है या ए.डी.जी. है पहले उसको क्लियर कर लें।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डी.आई.जी हैं।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले उसको क्लियर कर लें और नोटिफिकेशन कब हुआ है ये बतायें ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नोटिफिकेशन की तारीख उपलब्ध करवा दूंगा।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के अंदर गलत जानकारी दी गई है। मेरे ही प्रश्न के उत्तर में गलत जानकारी दी है। इन्होंने अपने उत्तर में यह बताया है कि 29 जिलों में वर्ष 2018 में 52 केस, वर्ष 2019 में 51 केस, वर्ष 2020 में 27 केस दर्ज किये गये हैं। यह इनके जवाब में है। उस जवाब को आप देख लीजिए आप कवर्धा पहुंच जाईये। कवर्धा के कॉलम में देखिए जीरो-जीरो, वर्ष 2017, 2018, 2019 में कोई मामला दर्ज नहीं हुए। जब कोई मामला दर्ज नहीं हुए ये इनके जवाब में आता है। अब मैं इसी में एक प्रति प्रश्न कर रहा हूँ। क्या कवर्धा जिले के माया अय्याम उसके पिता का नाम रामअय्याम, उसके पिता ने उसकी गुमशुदा की एफ.आई.आर.दर्ज. की। उसकी बच्ची 13 साल की है। एफ.आई.आर.दर्ज. होती है। मामला दर्ज होता है उसके खिलाफ कार्यवाही होती है दो लोगों को गिरफ्तार किया जाता है आंध्रप्रदेश के वेल्लूर से उस बच्ची को लाया जाता है। जॉनसिस और सरस्वती को गिरफ्तार किया जाता है, चालान होता है। इतनी घटना हो गई। ये सब मैं परिभाषा इसीलिये पूछ रहा था कि बलपूर्वक ले जाकर उसकी इच्छा के विपरित जब काम कराने का अपराध होता है ये कवर्धा के थाने में अपराध दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद इनकी जानकारी में या तो मंत्री जी को गलत जानकारी दी गई, संशोधित जवाब दिया जाये या इस केस की डिटेल जानकारी हो जाए। अभी मैं पहले नंबर के केस में ही आया हूँ। इस केस में मानव तस्करी का मामला है। एफ.आई.आर.दर्ज. हुई, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, यह पुलिस बता रही है। मेरे पास इसकी पूरी जानकारी है, इनके पास भी जानकारी है फिर कैसे इस प्रश्न के उत्तर के जवाब में यह दिखाया जाता है कि जीरो-जीरो। यानी आप उस केस को मानव तस्करी का मानते ही नहीं हैं या उस मामले का आपने छोड़ दिया है। ऐसे ही पूरे प्रदेश में हालात हैं। आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका अध्ययन है, प्रदेश में जशपुर से लेकर बस्तर हजारों बेटियों को अलग-अलग एजेन्सी के माध्यम से ले जाया जा रहा है। मैं इसका जवाब चाहता हूं कि क्या आपने कवर्धा में इस केस को दर्ज नहीं किया ? आप इस केस को मानव तस्करी नहीं मानते हैं ? यदि नहीं मानते हैं तो इसको स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद मैं दूसरे केस में आऊंगा।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे विभाग से जो जानकारी आई है, वह आपके सामने मैं यहां विधानसभा में प्रस्तुत किया हूं। पर जैसा कि डॉक्टर साहब जो कवर्धा के प्रकरण का उल्लेख कर रहे हैं, मैं निश्चित तौर पर जानकारी ले लूंगा और सदन के सामने प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना गंभीर मामला है कि जानकारी देकर टालूंगा, यह नहीं हो सकता। यह सदन के सामने आना चाहिए। यह टालने का विषय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. रमन सिंह जी, एक प्रश्न कर लीजिए।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- जब मूल प्रश्नकर्ता को आप लोग इतना कमजोर समझते

हो, वह अपना प्रश्न नहीं कर सकते, आप लोग बीच में प्रश्न करते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी आपकी बारी आ रही है, आप थोड़ी देर रूकिये, धैर्य रखिये।

श्री अमरजीत भगत :- वह तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं, आप लोगों का जरूरत नहीं है, वह अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी आपके 4 नंबर प्रश्न में आ रहे हैं। आप समय मत काटो, 4 नंबर प्रश्न पर मेहनत करके आ जाओ।

श्री अमरजीत भगत :- उनकी क्षमता के बारे में आप लोग प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना के बारे में जानकारी उपलब्ध करा दी जायेगी या इस घटना के बारे में पूरी जानकारी मंत्री जी देंगे, सदन में इसकी जानकारी देंगे, उन्होंने आश्वसान दिया है। आज वह जानकारी अधूरी है। इसका मतलब है कि जहां जो जानकारी देता है, विभाग के अधिकारी के ऊपर कार्यवाही भी होनी चाहिए। यह इतना गंभीर मामला है। दूसरा डोंगरगढ़ का भी मामला है। जिस मामले में स्पष्ट रूप से यानि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, ये कहा जाता है। मगर डोंगरगढ़ की जिस महिला को लाया गया, उस महिला ने खुद आकर ये सारी जानकारी दी और रिपोर्ट की, उसके बाद कार्यवाई हुई। माननीय मंत्री जी इसमें कहा गया, आपकी भी जानकारी में है, विधायक भी बैठे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है और अन्य राज्यों से इसका जुड़ाव है और सभी जिलों में इसकी ब्रांचेज है। आज उस केस के बाद जिस केस की जानकारी डोंगरगढ़ में दी गई, उसके बाद उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए यदि आप स्टेट लेवल की कमेटी बनाते हैं और वह भी आधी अधूरी है, 8 स्टेट में कमेटी बनी है। यह जरूरी है कि पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में जशपुर से लेकर कोन्टा तक जब घटनायें हो रही हैं तो सभी जिलों में यह कमेटी बन जारी चाहिए, इसके स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए। मगर यदि 8 स्थान में बनाये हैं तो अब डोंगरगढ़ की इस घटना को लेकर उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए क्या कार्ययोजना बनाई है, क्या कर रहे हैं ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डॉक्टर साहब ने कवर्धा की जो बात कही है, उसके आंकड़ें को मैंने बताया। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एफ.आई.आर. हुआ है। मैं जानकारी लेकर बता दूंगा कि जो आंकड़ा अभी दिया गया है, वह है कि नहीं। दूसरी बात राजनांदगांव और डोंगरगढ़ के विषय में जो बात डॉक्टर साहब ने कही है, उसके विषय में मैं पूरी जानकारी बता देना चाहता हूं। यहां जो एफ.आई.आर. हुई, मेरे पास उसकी तारीख भी है। उसके अनुसार कार्यवाई हुई, वह भी मेरे पास है। पीड़ित महिला का नाम तो हम लोग सदन में लेते नहीं हैं, उस महिला की भी जानकारी मेरे पास है। उसमें जो-जो आरोपी थे, मैं उनका नाम बता देता हूं। 1. जुनैद खान, पिता अहमद अली निवासी रजानगर जेल रोड़ डोंगरगढ़, 2. सलमान खान पिता अहमद खान, निवासी बंगालीपारा डोंगरगढ़ 3. शुभम

तिवारी पिता स्वर्गीय अवधेश तिवारी निवासी जेल रोड, डोंगरगढ़, 4. साजदा सय्यद, पिता अब्दुल रशीद, निवासी बंगालीपारा, डोंगरगढ़, 5. गंगा पांडेय, पति सहदेव पांडेय, जाति कुम्हार, उम्र-37 वर्ष, निवासी पंडरीतरई गगन किराना दुकान के सामने रायपुर, 6. सुरेश कुमार, पिता लक्ष्मणराम उम्र- 32 वर्ष निवासी लादुसर थाना मरसीरहाल मुकाम ग्राम पिलौद थाना सूरजगढ़ जिला झुनझुन राजस्थान, 7. सुरेश मोराड़े, पिता गोकुल सिंह मोराड़े उम्र- 31 वर्ष निवासी अड़गांव, तहसील भूखड़दान थाना पारद, जिला जालना महाराष्ट्र, 8. रेखा पति ताराचंद गुप्ता, उम्र 37 वर्ष साकिन खेतड़ी थाना खेतड़ी जिला झुनझुन राजस्थान, नवां है अजय, राजस्थान और इन 9 में से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है । केवल एक आरोपी को गिरफ्तार करना शेष है ।

डॉ. रमन सिंह :- आपने और पुलिस ने जो घोषणा की थी उसके आधार पर मेरा प्रश्न बनता है कि इसमें प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के गिरोह का हाथ है उसके खिलाफ स्टेट लेवल की कमेटी जो मॉनिटरिंग करती है, जिसका नाम आपने नहीं बताया कि डी.जी. करता है कि ए.डी.जी. करता है जो भी करता है, मॉनिटरिंग करे और हम सब चाहते हैं कि पूरे स्टेट लेवल पर जो घटनाएं हो रही हैं । दूसरा विषय जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एम.एच.ए. का निर्देश है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का निर्देश है, आपके पास भी निर्देश की कॉपी है और सभी प्रदेशों में है और उन्होंने कहा है कि हर जिले में ए.एच.टी.यू. एन्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट और पुराने जो ए.एच.टी.यू. है उसका अपग्रेडेशन किया जाये और इसके लिये निर्भया फंड में 100 करोड़ एलॉट पूरे देश में किया गया है तो क्या हम इस फंड का यूज करके अन्य जो हमारे बाकी जिले हैं उनमें हम जिला स्तर की कमेटी बनाने जा रहे हैं और इसको स्ट्रांग करने वाले हैं क्योंकि यह अकेला पुलिस का काम नहीं है । पुलिस के साथ इसमें महिला बाल विकास से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर अन्य विभाग रहते हैं और एन.जी.ओ. की भी मदद ली जाती है, एन.जी.ओ. की मदद से इस काम को किया जाता है । इस यूनिट को पूरे छत्तीसगढ़ में कापू से लेकर छत्तीसगढ़ के अलग-अलग पेपरों में रंगा रहता है तो हम उसको भी संज्ञान में लेकर क्या सभी जिलों में कमेटी बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे और यह कब तक बना लेंगे ? यदि आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी बोलेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यदि आप समय बोल देंगे तो अच्छा लगेगा ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डॉ. साहब ने जैसा कहा तो हमने 08 जिलों में चालू कर दिया है और बाकी जिलों में भी एस.पी. के द्वारा सेल गठित कर दी गई है । बाकी 08 जिलों का तो हमारा वैधानिक रूप से प्रस्तावित करके और पोस्टिंग करके चालू कर दिये हैं लेकिन एस.पी. अपने लेवल पर बाकी जिलों में भी लेकिन सुझाव बहुत अच्छा है, किसी भी क्राईम को रोकने के लिये या किसी चीज के लिये यदि जरूरत है तो निश्चित तौर पर हम लोग बैठकर चर्चा करके, किस-किस जिले में जो हमारा सेल काम कर रहा है उसको कितना अच्छा कर रहा है, उसको गठित करने की क्या जरूरत है

तो वह भी कर लेंगे, किसी भी प्रकार की कमी, क्राईम को रोकने की दिशा में जो बेहतर सुझाव आता है उसको हम लोग संज्ञान में लेकर काम करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री दलेश्वर साहू ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आदरणीय, इसमें बहुत सारा उत्तर हो चुका है और अच्छा उत्तर भी आ गया है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डॉक्टर साहब के समय में 15 साल में जो 10,000 से ज्यादा बालिकाएं गायब थीं उनकी भी थोड़ी जांच हो जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप बैठिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगता है कि माननीय मंत्री श्री रविन्द्र चौबे जी सदन में आ गए हैं । नमस्कार । वे खड़े हुए न तो आपकी उपस्थिति यानी आप आ गये हैं यह पता लग गया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- बाहर से समझाकर लाये थे कि अंदर आने के बाद समझाये ?

<u>मार्कफेड राजनांदगांव में राईस मिलर्स द्वारा धान की कस्टम मिलिंग</u>

3. (∗क्र. 478) श्री दलेश्वर साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्कफेड राजनांदगांव में 2018 से नवम्बर 2020 तक कितने राइस मिलर्स धान की कस्टम मिलिंग हेतु पंजीकृत हैं ? उक्त अवधि में मिलर्स को उसना एवं अरवा चावल की कस्टम मिलिंग हेतु कितने टन धान प्रदाय किया गया व मिलिंग उपरांत कितने टन उसना व अरवा चावल किन-किन मिलर्स द्वारा वापस किया है ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : राजनांदगांव जिले में खरीफ वर्ष 2018-19 में कस्टम मिलिंग हेतु 70 राईस मिलर्स पंजीकृत थे. इन राईस मिलरों को अरवा मिलिंग हेतु 2,47,276 टन धान तथा उसना मिलिंग हेतु 2,79,076 टन धान प्रदाय किया गया. खरीफ वर्ष 2019-20 में प्रश्नांकित अवधि तक कस्टम मिलिंग हेतु 79 राईस मिलर्स पंजीकृत थे. इन राईस मिलरों को अरवा मिलिंग हेतु 2,40,998 टन धान तथा उसना मिलिंग हेतु 3,47,476 टन धान प्रदाय किया गया. जमा किए गए चावल की राईस मिलवार जानकारी [3]‡ संलग्न प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" अनुसार है.

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कस्टम मीलिंग से संबंधित प्रश्न था । माननीय मंत्री जी का जवाब आया है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी

‡[3] परिशिष्ट "तीन"

बताने की कृपा करेंगे कि कस्टम मीलिंग कराने के लिये मिलर्स को किन-किन दस्तावेज की आवश्यकता होती है । दूसरा धान उठाव करने और चावल जमा करने की प्रक्रिया में खाद्य निरीक्षक की क्या भूमिका होती है यह मेरा प्रश्न है ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि कस्टम मीलिंग करने के लिये मिलर्स के पंजीयन के लिये कौन-कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग लगातार आपसे बात कर रहे थे, मानव तस्करी वाला महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसे माननीय अजय चंद्राकर जी ने भी उठाया है और मैंने भी उठाया । हमारे छत्तीसगढ़ की बालिकाओं को तस्करी करके बाहर भेजा जा रहा है और श्री भूपेश बघेल जी की सरकार उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, कम से कम इसमें आपको समय देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- 15-20 मिनट समय दिया गया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहीं कोई उत्तर नहीं आया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं । हो गया ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मिलर्स के पंजीयन हेतु आवश्यक जो दस्तावेज है । दस्तावेज में बिजली का बिल, विद्युत मीटर, मण्डी पसंस्तरण, लाईसेंस नंबर, मण्डी व्यापार लाईसेंस नंबर, पेन नंबर, उद्यम आकांक्षा नंबर, जिला उद्योग केंद्र का प्रोडक्शन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, संचालक का बैंक खाता और जी.एस.टी. नंबर की आवश्यकता पड़ती है ।

श्री दलेश्वर साहू :- उसमें खाद्य निरीक्षक की क्या भूमिका रहती है ?

श्री अमरजीत भगत :- उसमें खाद्य निरीक्षक की भूमिका यह रहती है कि जो चावल जमा होता है उसकी क्वालिटी ठीक हो और मानक के अनुरूप चावल जमा हो, उसका निरीक्षक करता है और उसकी जवाबदारी है कि मानक के अनुरूप चावल जमा कराए ।

श्री दलेश्वर साहू:- उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो प्रश्न किये थे । मिलिंग के धान का उठाव मिलर्स द्वारा कितना किया गया और कितना चावल जमा किया गया? मेरा दूसरा प्रश्न विद्युत से संबंधित था । मैंने विद्युत विभाग से पूछा था कि मिलर्स का कितना कनेक्शन निम्नदाब/उच्चदाब आपने दिया और उन मिलर्स की महीनवार विद्युत खपत की जानकरी ली और किसको-किसको कनेक्शन दिया, पहले दिन के प्रश्न में इसका भी मेरे पास जवाब आया । दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह देखा गया कि कौन-कौन से मिलर्स की कितनी बिजली खपत हुई और किसको कनेक्शन मिला या नहीं मिला? उसका मेरे पास जो डाटा आया हुआ है, सुरेश राईस मिल कांकरिया पोहा/मुरमुरा, अग्रवाल प्रोसेस, मेसर्स चोपड़ा राईस मिल, मेसर्स जे.आर.राईस मिल, ज्योति राईस मिल, करण ट्रेडर्स, सिंघवी इंडस्ट्रीज़, विकास ट्रेडर्स, शिवशंकर राईस मिल, तिरूमुला वर्धमान क्लाथ, श्रीओम इंडस्ट्रीज, मेसर्स पुष्पा इंडस्ट्रीज, पद्मा

राईस मिल, गुरूदेव ट्रेडर्स लगभग 60 हजार 211 टन धान इनको दे दिया गया और इन्होंने 40 हजार टन चावल उनसे ले लिया गया । वहां मिलर्स का कोई कनेकशन नहीं है । जब कनेक्शन ही नहीं है तो उन्हें धान कैसे दे दिया गया और उनसे चावल कैसे ले लिया गया ? इसमें हमारे खाद्य निरीक्षक का क्या रोल रहा। पंजीयन के सारे बिंदुओं का उल्लेख हमारे मंत्री जी ने किया, उसमें उन्हें बिजली की आवश्यकता भी बताई, अन्य 10-15 बिंदु भी बताए । ऐसा प्रतीत होता है कि फर्जी तरीके से पंजीयन हुआ और धान उठाव करने दिया गया और उनसे वापस चावल भी लिया गया । ऐसे मामले की क्या मेरी उपस्थिति में जांच कराएंगे क्या ? मैं जांच कराना चाहता हूं जब मैंने इतना बड़ा डाटा दे दिया है कि उनका कोई विद्युत कनेक्शन नहीं है । आपने लगभग 60 हजार टन धान उनको दे दिया और उनसे 40 हजार टन चावल ले लिया तो इस मामले की मेरी उपस्थिति में जांच कराएंगे क्या ? मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न था, उसे वे एक आर फिर से पढ़ लें । उन्होंने लिखा है कि मार्कफेड राजनांदगांव में 2018 से नवम्बर 2019 तक कितने राईस मिलर्स धान की कस्टम मिलिंग हेतु पंजीकृत हैं । उसका उत्तर आपको दे दिया गया है । उसमें उक्त अवधि में मिलर्स को उसना और अरवा चावल की कस्टम मिलिंग हेतु कितने टन धान प्रदाय किया गया, उसका उत्तर भी आ गया । आपने पूछा कि कस्टम मिलिंग हेतु पंजीकृत कराने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज की आवश्यकता है, मैंने वह भी पढ़कर बता दिया । इसके बाद आप जो शेष प्रश्न कर रहे हैं, वह इससे उद्भुत नहीं होता है और अगर आप चाहें और यदि आपके पास कोई जानकारी हो तो हमें उपलब्ध करवा दें हम उसको दिखवा लेंगे ।

श्री दलेश्वर साहू :- उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नाम सहित सभी मिलर्स के बारे में बताया है । उन्होंने फर्जी तरीके से पंजीयन कराकर धान बेच दिया, मैं आपको सबूत दे रहा हूं । मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरी उपस्थिति में जांच करवा दीजिएगा । मैं इससे ज्यादा और क्या डाटा दे सकता हूं । बिजली विभाग में भी मेरा प्रश्न लगा था जिसमें बताया गया है कि उन्होंने कनेक्शन ही नहीं लिया है । मैंने महीनेवार उनकी बिलिंग के बारे में भी पूछा है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत गंभीर मसले की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं । उन्होंने जितना प्रश्न पूछा उसका उत्तर आपने दिया होगा लेकिन यहां सदन में वे यह कह रहे हैं मिलर्स के पास बिजली का लायसेंस नहीं होने के बाद भी उन्होंने कैसे मिलिंग कर लिया ? किसी के पास कनेक्शन नहीं है । उन्होंने जांच की मांग की, आप जांच करवा लीजिए । आप कहते हैं कि अलग से बताइए, वे तो सदन में बता रहे हैं । आप इसकी जांच कराने की घोषणा कर दीजिए ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्न का जवाब ही नहीं आया और आप बीच में खड़े होकर शुरू हो गए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आदरणीय, मैंने अनुमति ली है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप वरिष्ठ सदस्य हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अरे भईया, मुझे आप मत समझाइए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उनके प्रश्न का जवाब आने दीजिए, फिर पूरक प्रश्न पूछ लेना ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं उपाध्यक्ष महोदय से अनुमति लेकर पूछ रहा हूं, मुझे आप ज्ञान मत दीजिए । मंत्री जी, मैं आपसे ज्ञान नहीं लेना चाहता ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मत लीजिए मुझसे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैंने उपाध्यक्ष महोदय से अनुमति ली है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, डॉ. डहरिया ज्ञान नहीं दे रहे हैं। धर्मजीत भैय्या, उनका केवल यही कहना था कि माननीय मूल प्रश्नकर्ता का प्रश्न अभी अनुत्तरित है। उसका उत्तर आ जाये फिर..।

श्री अजय चन्द्राकर :- उत्तर आ गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- उत्तर आ गया तभी तो हम लोग खड़े हुए हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कक्ष में दे दीजिए, मैं दिखवा लूंगा कहा।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, सुनिए न। उन्होंने जब यह कहा आप कोई और बात हो तो मुझे बता दीजिए। मैंने कहा कि वे सदन में बता रहे हैं। वे और क्या बतायेंगे?

श्री रविन्द्र चौबे :- उसी का उत्तर दे रहे हैं न।

श्री अजय चन्द्राकर :- वे दे चुके।

श्री धर्मजीत सिंह :- मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- अजय जी, आप पूरा उत्तर क्यों नहीं सुनना चाहते ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अब उनसे आप ज्ञान दिलवाओ। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- हम लोग सुन रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- आप कुछ बोलने दीजिएगा। उत्तर मुझे देना है। आप प्रश्न जरूर पूछिए। आप इतना लंबा खींच देंगे तो आप बताइए कैसे उत्तर आयेगा ? माननीय सदस्य ने जो-जो चिंता जाहिर की है, उन्होंने पंजीयन के लिए पूछा, उसका मैंने दस्तावेज की जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा है कि कस्टम मिलिंग में मीटर नहीं लगा है या मीटर का रिडिंग नहीं आया है और उनका चावल जमा हो गया। तो पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता।

श्री अजय चन्द्राकर :- उत्तर आ गया है।

श्री अमरजीत भगत :- आप मुझे बोलने दीजिए। आप जरा सा चुप रहा करिए। आप पहले बोलने दीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- हर बात में छेड़ने की आदत हो गई है क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- उनकी छेड़ने की उम्र है ही नहीं अभी।

श्री अमरजीत भगत :- पहली बात तो जो निर्देश है, उसका पालन करना रहता है। अगर माननीय सदस्य के पास जो निर्देश है इसके अतिरिक्त यदि कोई भी दस्तावेज हो तो आप हमें दे दें। हम उसका परीक्षण करा लेंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जांच चाह रहा हूं। मैं किसी के ऊपर कार्रवाई..।

उपाध्यक्ष महोदय :- आदरणीय एक मिनट।

श्री दलेश्वर साहू :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सारे डाक्यूमेंट फर्जी तरीके से पंजीयन कराया गया। फर्जी तरीके से निरीक्षण भी हुआ और 40 हजार टन किसको बोलते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं का तो जांच चाह रहा हूं। उनकी जांच कराने में इन्हें क्या दिक्कत हो रही है ? मैं यह पूछना चाहता हूं और मैं जांच चाह रहा हूं। मेरी उपस्थिति में जांच करा दीजिएगा। मैं इतना पढ़कर डाटा दिया हूं। मैं गलत ढंग से तो नहीं कह रहा हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने सारे डाक्यूमेंट दे दिये। राइस मिल के ऑनर का नाम भी बता दिया। उसके बाद भी बोलते हैं कि मुझे नाम बताओ। कोई दस्तावेज दे दो। आपको तो सारी चीज बता चुके। वे केवल आपसे इतना ही आग्रह कर रहे हैं कि आप उनकी उपस्थिति में जांच करा दीजिए। आप घोषणा कर दीजिए। माननीय सदस्य की उपस्थिति में जांच हो जाये।

श्री दलेश्वर साहू :- पहले दिन के 21 तारीख के प्रश्नोत्तरी में भी उनका डिटेल है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। आप बैठिए।

श्री अमरजीत भगत :- कस्टम मिलिंग से पहले उनका जो पंजीयन और दस्तावेज जमा करना रहता है, उसमें सभी दस्तावेज के बारे में कहा और यह तो सतत निरीक्षण होता है। अगर कोई भी गलत जानकारी दिया हो तो वह वैसे ही अपराधी है। मैं बोल तो रहा हूं आपके पास जो दस्तावेज है, उसको उपलब्ध करा दीजिए। जिसके ऊपर आपको आपत्ति है, हम उसकी जांच करा लेंगे। हम उसे दिखवा लेंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- मैं वही तो कह रहा हूं साहब। आप जांच का आदेश करा दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- आपके पास जो भी दस्तावेज है, आप उपलब्ध करा दीजिए।

श्री दलेश्वर साहू :- आप केवल एक ही शब्द बोल दीजिएगा कि जांच हो जायेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- मैं आपसे दस्तावेज इसीलिए ले रहा हूं कि मैं उसे दिखवा लूंगा और जहां भी कुछ गड़बड़ी है उसे हम आपको बता देंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- जांच करवा दीजिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपसे अनुमति चाहता हूं कि मैं जांच चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मंत्री जी ने बोल दिया है कि जांच करवा लेंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, मंत्री जी ने यह कहा है कि परीक्षण करवा लूंगा आखिरी बार।

श्री दलेश्वर साहू :- आप एक आदेश कर दीजिएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इनसे पूछ लीजिए। मंत्री जी के ऊपर मेरा कोई आक्षेप नहीं है, पर उन्होंने आखिरी बात यह कही कि मैं परीक्षण करवा लूंगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- तो परीक्षण और जांच में क्या अंतर है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने कहा कि जांच करा लेंगे तो दोनों में सत्य क्या है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अजय जी, माननीय मंत्री जी ने कहा परीक्षण करायेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- वे जांच करायेंगे बोले हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- उपाध्यक्ष महोदय, आप आदेश करवा दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप जांच और परीक्षण में कितना अंतर समझ रहे हैं भाई? परीक्षण करायेंगे वही तो जांच करायेंगे है भैय्या।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुझे नहीं मालूम। मैं आप जितना विद्वान नहीं हूं। उसी को क्लियर कर रहा हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप इस सदन के सर्वाधिक विद्वान हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं भैय्या, सर्वाधिक विद्वानों की फौज आपके पास है।

श्री दलेश्वर साहू :- आप छोटा सा आदेश तो करें। आपका जांच अधिकारी भी रहेगा। मंत्री जी आप आदेश करवा दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, अगर लगातार बात आ रही है तो ऐसी क्या जरूरत हो गई कि राइस मिलर को बचाने की जरूरत है। जांच के लिए कार्रवाई कर देनी चाहिए।

श्री अमरजीत भगत :- पुराना जो जवाब है, उसी की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करा रहा हूं। आपने जो-जो मांग की, जो-जो प्रश्न किया, उसका जवाब आपको मिल गया और मैंने कहा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कि कोई भी कस्टम मिलिंग से पहले सभी दस्तावेज का परीक्षण होता है। अगर किसी ने उसमें कोई गलत जानकारी दी है तो आप बता दें। हम उसे बिल्कुल दिखवा लेंगे और उसका परीक्षण करवा लेंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- मंत्री जी, मैं केवल आपसे जांच शब्द मांग रहा हूं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- चलिए, आप जांच से ही संतुष्ट हैं तो जांच भी करा देंगे। ठीक है।

श्री दलेश्वर साहू :- ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. विनय जायसवाल।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत कोशिश की। चौबे जी बहुत कोशिश की। (हंसी)

चिरमिरी नगरीय निकाय के सड़कों का निर्माण

4. (*क्र. 551) डॉ. विनय जायसवाल : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर निगम चिरमिरी में वर्ष 2019 से 2020 तक कितनी सड़कों का किन-किन योजनाओं के तहत निर्माण हुआ है ? (ख) शेष कार्य को कब तक पूरा करायेंगे ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) एवं (ख) जानकारी परिशिष्ट पर † [4] संलग्न है.

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी से मेरे विधान सभा क्षेत्र की नगर निगम, चिरमिरी को लेकर था कि 2019-20 के वित्तीय वर्ष में कितनी सड़कें किस-किस मद से बनी है ? उसमें मंत्री जी का उत्तर आ गया है कि जो 32 सड़कें हैं, वह 2019 में बनी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न भी है और मांग भी है कि पिछले 15 वर्षों से चिरमिरी नगर निगमों की सड़कों की हालत बड़ी दुर्दशा थी, अभी सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से वहां सड़कों की स्थिति ठीक हुई है, लेकिन चिरमिरी में कई ऐसे शहर है, छोटा बाजार और बड़ा बाजार की कई ऐसी सड़कें हैं, जो नगर निगम के अंतर्गत उन सड़कों का निर्माण होना बाकी है । मैं आपसे मांग करता हूं कि अगर आप उसमें अनुमति दे देंगे तो बहुत कृपा होगी ।

डा. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप प्रस्ताव भिजवा दीजिएगा, उसको दिखवाकर करवा देंगे ।

[4] परिशिष्ट "चार"

कस्टम मिलिंग हेतु धान का उठाव

5. (*क्र. 219) श्री रजनीश कुमार सिंह (श्री धरमलाल कौशिक) : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि पिछले वित्तीय वर्ष में धान खरीदी केन्द्रों के माध्यम से क्रय किए गये धान का प्रश्नांक दिनांक तक कई धान खरीदी केन्द्रों व संग्रहण केन्द्रों में रखे हुए है व मिलिंग हेतु उनका उठाव नहीं हुआ है ? यदि हॉ, तो किन-किन स्थानों पर कितने-कितने धान का उठाव व मिलिंग होना शेष है ? कितने मिलर्स के द्वारा धान के एवज में चॉवल दिया जाना शेष है ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार धान का उठाव नहीं होने के क्या कारण हैं, इस हेतु दोषी कौन है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) प्रश्नांश "क" अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में क्रय किये गये धान में कितना धान व कितने मूल्य का धान खराब हुआ है ? इस हेतु दोषी कौन है व उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय किये गये धान में से दिनांक 11-12-2020 की स्थिति में खरीदी केन्द्रों में धान शेष नहीं है. संग्रहण केन्द्रों में 4.15 लाख टन शेष धान की जानकारी ††[5] संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. 541 राईस मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग का चावल दिया जाना शेष है. जिलेवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है. (ख) खरीफ वर्ष 2019-20 में खरीदे गये धान की कस्टम मिलिंग प्रचलित है. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ग) खरीफ वर्ष 2019-20 में खरीदे गये धान की कस्टम मिलिंग प्रचलित है. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है । कुल 93.94 लाख Metric Ton धान की खरीदी हुई है और 11.12.2020 तक 4.15 लाख Metric Ton धान बाकी है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि संग्रहण केन्द्रों में जो धान बचा हुआ है, यदि उसका प्रतिशत निकाला जाये तो 5 प्रतिशत के आसपास बल्कि उससे अधिक के आसपास का धान बाकी है और समर्थन मूल्य में आपने 25 सौ रूपये कहा है, उस मूल्य में नहीं, समर्थन मूल्य में 846 करोड़ रूपए का होता है । यह धान का उठाव अभी तक क्यों नहीं हुआ और इसे आप कब तक उठा लेंगे ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर हमने दे दिया है कि खरीदी केन्द्र में कोई भी धान शेष नहीं है । संग्रहण केन्द्र में 4 लाख, 15 हजार Metric Ton धान शेष है, जिसके उठाव की प्रक्रिया लगातार जारी है । आज की तिथि में वहां पर धान का उठाव हुआ है, उसके बाद 80 हजार Metric Ton धान का और उठाव किया गया है । 3 लाख,

---

††[5] परिशिष्ट "पांच"

76 हजार Metric Ton धान उठाव हेतु बचा है । आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि धान नहीं उठने का क्या कारण है ? इसका कारण आपको भी मालूम है कि केन्द्र से हमको जो अनुमति मिलती है, उसमें विलंब हुआ है । इसके कई कारण है । एक तो कोविड-19 के संक्रमण के कारण स्थिति निर्मित हुई । दूसरा, लॉकडाऊन के कारण, तीसरा कारण जो असामायिक वर्षा हुई और चौथा, कस्टम मिलिंग के कारण कार्य प्रभावित हुआ और सबसे ज्यादा केन्द्र से अनुमति मिलने में विलंब हुआ । 1 दिसम्बर से धान खरीदी शुरू हुई और केन्द्र से एफ.सी.आई. में चांवल जमा करने की अनुमति मिली, वह 19 दिसम्बर के आसपास अनुमति मिली तो इतने दिनों का जो अंतर रहा कि उसमें कितना उसना चांवल जमा करना है, कितना अरवां चांवल जमा करना है ? इसमें चांवल जमा करने के लिए हमारे पास केन्द्र का जो पत्र आया था, उसमें 30.9.20 तक चांवल जमा करने के लिए कहा गया था । उसके बाद पत्र आया कि 30.10.20 तक चांवल जमा करना है, फिर 30.11.20 तक चांवल जमा करने का पत्र आया । आज के समय में हमारे पास चांवल जमा करने के लिए 31 दिसम्बर, 20 तक का समय है इसलिए कस्टम मिलिंग का काम चल रहा है और यह जमा हो रहा है । जैसे-जैसे एफ.सी.आई. में जगह बनती है, वैसे-वैसे चांवल जमा हो रहा है, उठाव हो रहा है ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र से अनुमति मिलने के कारण विलंब हुआ है । आपने बताया कि अभी 80 लाख Metric Ton धान का उठाव अभी और हुआ है और 3,76,000 टन धान का उठाव अभी बाकी है । क्या आपने इसका भौतिक सत्यापन किया और 20 जिलों में साख संग्रहण केन्द्र में, मैं संग्रहण केन्द्र की ही बात कर रहा हूं, आप सोसायटियों का जवाब दे रहे हैं, मैं सोसायटी की बात ही नहीं कर रहा हूं । संग्रहण केन्द्रों में आपने जो सूची मुझे दी है कि छत्तीसगढ़ के 20 जिलों के 60 संग्रहण केन्द्रों में, ठीक है, आपने 3,76,000 टन धान आपने अभी बताया, वह आज की तारीख में है तो क्या वह कस्टम मिलिंग की स्थिति में है और आपने उसका भौतिक सत्यापन करवाया है?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जी बिल्कुल । अभी कस्टम मिलिंग का काम चल ही रहा है और 31 दिसम्बर तक हमारे पास समय है। इसमें जिसका-जिसका डी.ओ. कट रहा है, वे उठाव कर रहे हैं और कस्टम मिलिंग का काम चल रहा है ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया है कि कस्टम मिलिंग का काम चल रहा है । मेरे विधानसभा बिलासपुर में मोपका और समरताल है। वहां बिल्कुल धान नहीं है जो धान है, पूरा सड़ चुका है। यह बिल्कुल गलत जानकारी दी जा रही है कि कस्टम मिलिंग चल रहा है और संग्रहण केन्द्रों में है, उठाने लायक नहीं है। छत्तीसगढ़ में आप कहीं भी जांच करवा कर देख लीजिए जहां-जहां धान रखा है, वह पूरी तरह से सड़ चुका है और लगभग 800 करोड़ की धान सड़ चुका है और कस्टम मिलिंग चल रही है करके इसको नहीं टाल सकते, ठीक है, 31 दिसंबर लास्ट है। लेकिन

31 दिसंबर के बाद क्या 376 लाख मीट्रिक टन धान है, वह कस्टम मिलिंग के लायक रहेगा और उसमें जीरो घाटा रहेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो 31 दिसंबर की स्थिति के बाद क्लीयर होगा। अभी तो कस्टम मिलिंग का काम चल रहा है और जब तक कस्टम मिलिंग का काम कम्प्लीट नहीं होगा, किस संग्रहण केन्द्र में कितना का सार्टेज आया है, वह तो बाद में पता चलेगा ?

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मैं आपके क्षेत्र में गया था।

श्री अमरजीत भगत :- सूरजपुर गये थे, मालूम है ना।

श्री धरमलाल कौशिक :- जाकर देख करके आया हूं और हाथ में रखा हूं, टी.वी. वाले सब सामने खड़े हैं। अधिकारी का बयान है, मैं अभी आपको सुना सकता हूं। वहां पर लगभग 40 से 50 करोड़ रूपये का धान सड़ गया है। उसके बाद रजनीश ने अभी बताया, इसके बाद भरनी परसदा का है, पसई में है, आपका हिर्री, मुंगेली का है। आपका लगभग धान जो बचा हुआ है, वह सड़ गया है। आपको अधिकारी ने गलत जानकारी दी है। आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मैं केवल आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं। इस सदन के किसी को भी, आपके यहां से दो विधायक और हमारे एक विधायक, तीन लोगों की कमेटी बना करके उसकी जांच करा लीजिए और यदि उसमें धान नहीं सड़ा है, वह आ करके जानकारी दे देंगे, तो जैसा आप बोलेंगे। मैं प्रमाणित करके बात कर रहा हूं, प्रमाणित करने के बाद में, जाने के बाद में देख करके आने के बाद में, धान सड़ा हुआ है, यह गलत जानकारी दी है। आप उसकी जांच करायेंगे क्या ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी जो प्रश्न कर रहे हैं, हम उस बात को मान रहे हैं कि 4 लाख 15 हजार मीट्रिक टन संग्रहण केन्द्र में शेष है, उसमें से अभी प्रश्नांक दिनांक तक था। आज के तारीख में 80 हजार टन फिर उठ गया है। 3 लाख 76 हजार टन अभी संग्रहण केन्द्र में है। नेता जी, अभी जब तक कस्टम मिलिंग का काम चल रहा है। जब तक वह कम्प्लीट नहीं होगा, तो हम आपको उसके आंकड़े के बारे में कैसे बतायेंगे ? 31 तारीख तक कितना सही है, सुन तो लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं-नहीं, आपने जवाब ये दिया है कि शेष लागू नहीं होता, हम लोगों ने यह कहा कि धान खराब हुआ है, आपने कहा कि लागू नहीं होता। आप अभी भी उस बात को बोल रहे हैं, कब उठायेंगे, मैं उस बात पर नहीं जा रहा हूं कि कब उठायेंगे। जो धान सड़ा हुआ है, आप उस बात को मान लीजिए। प्रदेश में लगभग 1 हजार से डेढ़ हजार करोड़ रूपये धान का नुकसान हुआ है, धान सड़ गया है। उसके बाद मैं बता दूं। दिसंबर में जो धान खरीदी हुई।

श्री अमरजीत भगत :- आप बैठेंगे तब तो उत्तर दूंगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- दिसंबर में जो धान खरीदी हुई है, आपके बसदई में गया। दिसंबर में आपने डी.ओ काटा। उसे बाद में आपने कब डी.ओ. काटा, आपने सीधा जून में डी.ओ. काटा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, पांच महीने आप क्या कर रहे थे।

श्री अमरजीत भगत :- जितना आप रट के आये हैं, उतना बोलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, आप सुन तो लीजिए, मैं आपके ही प्रश्न का जवाब दे रहा हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं तो एक लाईन बोल रहा हूं कि आप जांच का आदेश कर दीजिए। सदन की कमेटी से जांच करवा दीजिए, मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। उसमें आपके विधायक रहेंगे। किसी भी विधायक को आप कर दीजिए। उसके लिये हम तैयार हैं।

सौरभ सिंह :- मंत्री जी जांच करा लीजिए, आपके ऊपर आंच मत आये।

श्री अमरजीत भगत :- एक मिनट, थोड़ा सा रूकिए ना। नेता प्रतिपक्ष की क्षमता पर आप प्रश्नचिन्ह मत लगाईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी तो आपकी क्षमता पर प्रश्नचिन्ह है। इस विभाग में आप निर्णय ले रहे हैं कि कोई और निर्णय ले रहा है। अभी तो आपकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह है, अभी तो आप ये बताईये कि आपको निर्णय लेने का अधिकार है या नहीं है यह बताईये।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता जी ने जो बात कही, उस बात को हम इंकार नहीं कर रहे हैं। अभी संग्रहण केन्द्र में धान शेष है जिसका निपटारा होना है। माननीय नेता जी, जब कस्टम मिलिंग कम्प्लीट होगा तो हम बता पायेंगे, दूसरी बात 15 साल तक आपकी सरकार रही। (शेम शेम की आवाज) 15 साल में एक भी चबूतरा नहीं बनाया। एक भी शेड नहीं बनाया और आज धान खराब होने की जो बात कर रहे हैं, (व्यवधान) ये 15 साल का पुराना, अगर आपने चबूतरा बनाया होता, आपने शेड बनाया होता तो धान खराब नहीं होती।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, ये उत्तर नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- 15 साल में कितनी बार (व्यवधान) कार्टेज हुआ है, ये भी बताईये।

श्री नारायण चंदेल :- सदन की जांच कमेटी से जांच कराई जाये। आसंदी स आदेशित कर दीजिये कि सदन की जांच कमेटी से जांच कराई जाये।

श्री अमरजीत भगत :- 15 साल तक आपकी सरकार रही। आपने 15 साल में एक भी चबूतरा नहीं बनवाया। आज आप जो धान खराब होने की बात कह रहे हैं। अगर आपने चबूतरा बनवाया होता, शेड बनवाया होता तो धान खराब नहीं होता। हम लोगों ने अभी तक 4 हजार से ज्यादा शेड और चबूतरा बनवा दिए हैं। आप देखियेगा, उसमें लगातार कमी आयेगी। बारिश को कोई नहीं रोक सकता। प्रकृति के ऊपर किसी का चला है क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी, आप संसदीय कार्यमंत्री 2 के रूप में खड़े नहीं हुए हो।

श्री अमरजीत भगत :- आप बारिश को नहीं रोक सकते। बारिश होगी और सरकार बचाव के लिए पूरे उपाय कर रही है। अधिकांश जगह पर चूबतरें और शेड बनाये गये हैं और आप जो बोल रहे हैं तो हम उसमें 31 दिसम्बर की स्थिति में कुछ बता पायेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो प्रश्न नहीं पूछा गया है, उसका उत्तर बता रहे हैं। प्रश्नकाल में भाषण क्यों हो रहा है ? जो पूछा गया है उसका उत्तर तो आ जाये।

सभापति महोदय :- अजय भाई, आप पूछिये।

श्री नारायण चंदेल :- संसदीय कार्यमंत्री ने उनको घुमाना सीखा दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इसमें मेरा भी प्रश्न है जो आज अतारांकित प्रश्न के रूप में परिवर्तित है, उसमें क्रमांक-9 को देखिये। यह सदन से जांच कराने का मामला बनता है। हम जिस दिन प्रश्न लगाये थे, उसी दिन..।

श्री बृहस्पत सिंह :- क्रम से आगे बढ़ने का भी सिस्टम है क्या ? जो क्रम चल रहा है, उससे आगे बढ़कर क्रमांक-9 पर आ जायेंगे क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- जय हो, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी। आप उस प्रश्न के उत्तर को देखिये। हम जिस दिन प्रश्न लगाते हैं और आखिरी दिन तक सदन में जानकारी आती है। भाई रजनीश जी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने 4.15 लाख टन कहा है और इन्होंने उसी दिन मेरे प्रश्न के उत्तर में 4.65 लाख टन कहा है। अब एक ही मंत्री, एक विभाग, एक ही सचिव, एक ही सब चीज और आकड़े में एक ही दिन में अंतर आ गया। दूसरी बात, जो इन्होंने कहा कि हमको अनुमति नहीं मिली।

श्री अमरजीत भगत :- आप एक-एक प्रश्न का उत्तर ले लो न।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं इधर(आसंदी की ओर) देखकर बोल रहा हूं। आप ही कहते हैं न कि सुनिये। तो आप धैर्य क्यों खो रहे हो ?

श्री अमरजीत भगत :- मैं बोल रहा हूं कि आप एक-एक प्रश्न का उत्तर ले लो, ठीक रहेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने क्या उत्तर दिया है, मैं उसको सुना हूं। आपकी 15 साल की सरकार, शेड और चबूतरा बता रहे थे। वैसा उत्तर नहीं होता है। आप संसदीय कार्यमंत्री जी से ठीक से सीखो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ही विषय में विभाग 2 उत्तर दे रहा है। दूसरी बात, माननीय मंत्री जी ने धान खराब होने का जो कारण बताया, 5 महीने तक आर.ओ. क्यों नहीं कटा ? आप उसका उत्तर दीजिये। दिसम्बर के बाद जून तक का जो आर.ओ. था, किन कारणों से नहीं कटा ? तीसरा, महासमुन्द में कितना धान है, जो मैंने संग्रहण केन्द्रों का पूछा है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, एक-एक करके प्रश्न पूछिये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनिये साहब, मेरा एक ही प्रश्न है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- उस विभाग से संबंधित सारे प्रश्न पूछने के लिए इनको अधिकृत कर दिया जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा है, यदि मैं बोल दूंगा तो आप कहेंगे कि गड़बड़ हो गया और फिर खड़े हो जायेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- नहीं-नहीं, आज हम सब लोग आपको अधिकृत कर देते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा मत समझिए कि वाणी आप ही लोगों को आती है। सबसे ज्यादा तीखी वाणी मुझको आती है।

श्री अमरजीत भगत :- चन्द्राकर जी, आप उसका उत्तर ले लीजिये न।

श्री बृहस्पत सिंह :- आज सारे प्रश्न पूछने का अधिकार इन्हीं को है।

श्री अजय चन्द्राकर :- तीसरा, जो जानकारी दी गई है, महासमुन्द में कितना धान किन कारणों से अभी तक कस्टम मिलिंग हेतु बकाया है ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इनका प्रश्न इससे उद्भुत नहीं होता है। यह जो प्रश्न है, मूल रूप से रजनीश जी का है। पूछा गया है कि खरीदी केन्द्र और संग्रहण केन्दों के धान के बारे में प्रश्न पूछा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- :- खराब कितना हुआ है, पूछा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने इसी सदन में, आज ही के दिन में, एक ही प्रश्न में दो आकड़ें दिए हैं और यह जांच का विषय बनता है।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपका जो क्रमांक-9 का प्रश्न आ जायेगा तो पूछ लेना भाई।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आकड़ें में फर्क तो आयेगा। लगातार कस्टम मिलिंग का काम चल रहा है। आज जो आकड़ा रहेगा, वह जरूरी नहीं है कि कल भी वही आकड़ा रहेगा। कस्टम मिलिंग में रोज धान का उठाव हो रहा है। चन्द्राकर जी जो बोल रहे हैं, उस आकड़ें में अंतर आयेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- रजनीश जी के प्रश्न में, 5 महीन तक आर.आ. क्यों नहीं कटा और महासमुन्द में कितना धान बाकी है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, आप बैठिये।

श्री सौरभ सिंह :- आप एक ही प्रश्न का जवाब दे दीजिये कि 5 महीने तक आर.आ. क्यों नहीं कटा ?

श्री रजनीश सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ही 3 आकड़ें दिए हैं। 2 आकड़ें नहीं है, तीन आकड़ें हैं। आप 6.5 टन और 6.7 टन भी बताये हैं। तीन आकड़ें हैं।

श्री अमरजीत भगत :- मैं महासमुन्द के बारे में बता दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप एक मिनट सुनिये, सुनिये। आप बैठिये।

श्री अमरजीत भगत :- उपाध्यक्ष महोदय, महासमुन्द में जो पिथौरा, बसना, बागबाहरा, महासमुन्द एवं सरायपाली में 36,507 टन धान शेष है।

श्री अजय चन्द्राकर :- 5 महीने तक आर.ओ.क्यों नहीं कटा, यह बता दो।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप 5 महीने का पूछ रहे हैं और ये 15 साल का पूछ रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे यार, जितना हल्ला कर लो, समझ रहे हो न, उधर जगह नहीं मिलेगी। किसी के प्रश्न में बार-बार टोका मत करो। आपको पूछना रहे तो अलग से पूछ लिया करो। जिसको पसंद है उसको टोका करो, मुझे मत टोका करो। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डेढ़ हजार करोड़ रूपये का धान सड़ गया है और माननीय मंत्री जी जवाब देने को तैयार नहीं हैं और उसके बाद गोल-गोल घुमा रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप पहले उनको बैठाइये।

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत सिंह जी, आप बैठिए ना।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप ये व्यवस्था दे दें कि प्रश्नकाल में जिस सदस्य का प्रश्न है और पूरक प्रश्न पूछने वालों को ही अनुमति होगी, बाकी जो डिस्टर्ब करते हैं वह कम से कम प्रश्नकाल में डिस्टर्ब न करें। अगर ये करेंगे तो फिर विधानसभा चलनी मुश्किल होगी। आसंदी से ये आपकी व्यवस्था आनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- जो प्रश्न पूछा गया है प्राय: सभी सदस्य जिन-जिन ने हाथ उठाया है सबने पूछा है और मंत्री जी ने अच्छा जवाब दिया है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अब ये थोड़ा बहुत होता रहता है।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, इसमें व्यवस्था आनी चाहिए।

श्री सौरभ सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, ये प्रदेश का सबसे बहुमूल्य प्रश्न है साढ़े आठ सौ करोड़ का धान खराब हो गया। धान की मिलिंग नहीं हो रही है, कलेक्टर बुलाकर मिलर्स को दबाव डाल रहे हैं कि धान उठाओ। कलेक्टर मिलर्स को बुलाकर दबाव डाल रहे हैं। जांजगीर जिले में जबरदस्ती की जा रही है कि रद्दी धान को ले जाकर मिलिंग की जाए।

श्री अजय चंद्राकर :- कस्टम मिलिंग के लिए दबाव डाला जा रहा है, इसमें जांच होनी चाहिए। सदन की समिति बनाकर जांच होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप सब विद्वान सदस्य हैं, मंत्री जी ने ये कहा है कि पूरा कारण आप सबको बता दिया गया है। क्या कारण है, कैसे है आप सबने सुना है।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, इसकी सदन की समिति से जांच होनी चाहिए। ये जानबूझकर किया गया भ्रष्टाचार है। शासकीय संपत्ति की लूट है।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक हजार करोड़ रूपये का धान सड़ गया।

उपाध्यक्ष महोदय :- पर्याप्त उत्तर आ चुका है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक हजार करोड़ का धान सड़ गया है, इस पर किसी न किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, यह जनता के पैसे की लूट है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार कर्ज पर कर्ज लिये जा रही है और दूसरी तरफ एक हजार करोड़ रूपये का धान सड़ गया और इसके लिए आप किसी को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं। आप इसकी सदन की कमेटी से जांच करवाईये।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, हम सदन की कमेटी से नीचे नहीं मानेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये इतना महत्वपूर्ण मामला है कि प्रदेश के exchequer से 1300 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है। यह 1300 करोड़ रूपये का नुकसान जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है और यह नुकसान सरकार की लापरवाही से हुआ है इसलिए हम चाहेंगे कि सदन की कमेटी से इस पूरे मामले की जांच हो और सरकार को भी स्वयं घोषणा करनी चाहिए स्वमोटो कि किनकी गलतियों के कारण 1300 करोड़ रूपये का नुकसान राज्य को हो रहा है। यह सरकार स्वयं स्वीकार करे कि सदन की समिति जांच करे।

श्री नारायण चंदेल :- सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि हमारी गलती है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की समिति में ज्यादा सदस्य आपके ही होंगे, हमारे तो कम सदस्य होंगे, आप इस समिति से उसकी जांच करवा लें।

श्री नारायण चंदेल :- वह सदन की समिति बनाने की घोषणा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रश्न हो चुका है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्याप्त मात्रा में प्रश्नों का उत्तर कहां आया? प्रदेश के इतने राजस्व का नुकसान हो रहा है उसका उत्तर तो आना चाहिए। इसमें जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, सदन की जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए। जब भी कोई प्रश्न उठाता है तो वह छत्तीसगढ़ माटी के लिए उठाता है और छत्तीसगढ़ के लिए उठाता है लोगों के लिए उठाता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है।, मैं समझता हूं कि आप सब के द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्रश्न किया गया है अब मंत्री जी ने..।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न नहीं किया है। मुझे कहां अवसर मिला है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- एक प्रश्न पर 4-5 लोगों ने प्रश्न किया।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,एक मिनट सुन लीजिए। फिर आप बोल लीजिएगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय धर्मजीत भईया आप बैठिए। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो कारण, स्थिति बतायी गई है वर्षा और जो भी जैसे कारण कोविड से लेकर सब चीजें बतायी गईं । इसमें कोई शक की बात नहीं है कि.. (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोविड काल में कोई सुरक्षा नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- उस हिसाब से मैं ये सोचता हूं कि पर्याप्त मात्रा में उत्तर आ चुके हैं। इसलिए मैं डॉ. प्रीतम राम जी का नाम पुकारता हूँ। डॉ. प्रीतम राम जी। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की कमेटी बनाने की घोषणा कर दीजिए। यह बहुत बड़ा मामला है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अच्छा संदेश जाएगा। आसंदी का सम्मान होगा। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- देखिए वर्ष 2013-14 में 11 महीने तक चला है (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप बैठिए। डॉ. प्रीतम राम जी।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की कमेटी से जांच करा लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट तो सुन लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये। आप बोलिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की कमेटी बनाने की घोषणा कर दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे विनम्रतापूर्वक यह आग्रह करने के लिए समय मांगा हूँ। जब इतने विपक्ष के निर्वाचित सदस्य जो अपने-अपने क्षेत्रों में देखकर आये हैं उससे सरकार को अवगत करा रहे हैं। आप पहली बार पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में इस सदन का निर्वहन कर रहे हैं ये परम्परा रही है कि अगर सरकार न माने तो अध्यक्ष अपनी आसंदी से जांच का निर्देश करा सकते हैं इसलिये आप करिये। आप कीर्तिमान बनाईये। मनोज मण्डावी पूर्वकालिक अध्यक्ष थे उन्होंने जांच का आदेश दिया। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके अधिकार क्षेत्र में है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तत्काल कर दीजिए। आसंदी की गरिमा बढ़ेगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप यह मौका बिल्कुल मत चूकिए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्रकार :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जांच कराईये। (व्यवधान)

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पर्याप्त जवाब दे दिया है कि 31 दिसंबर के बाद जितना उठाव होगा तभी वह आंकड़े आ पाएंगे। अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं और आप लोग छट्ठी मना रहे हो ? पूरे आंकड़े आ जाने दीजिए। 31 दिसम्बर तक उन्होंने कहा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- अब हो गया। आप लोग बैठिए। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नौबत नहीं आती। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मछली बाजार न बनने दिया जाए।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको किसानों के हित की चिंता नहीं है। 15 सालों तक होश नहीं आया। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- नेता जी, आप बैठिए। मैं पहले ही व्यवस्था दे चुका हूँ कि चूंकि पर्याप्त मात्रा में प्रश्न किया गया है और उत्तर भी पर्याप्त मात्रा में दिया गया है और मैं डॉ. प्रीतम राम जी का नाम पुकारता हूँ। (व्यवधान)

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,ये पूरे के पूरे खड़े क्यों हो जाते हैं ? आंसदी की व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 सालों तक इनकी सरकार ने व्यवस्था की होती तो यह नौबत नहीं आये रहती। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,हमारे जांजगीर चांपा जिले में सर्वाधिक है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,15 सालों तक इनको याद नहीं आया।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हजारों क्विंटल धान सड़ गया है। मंत्री जी स्वीकार भी कर रहे हैं। (व्यवधान) ये क्षति है और किसानों का अपमान है, अन्न का अपमान है और मंत्री जी का जवाब नहीं आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आ गये हैं, आप बातचीत करें और सदन की कमेटी बना करके इसकी जांच करायें। हम आपसे मांग करते हैं। आप बोल रहे हैं कि धान नहीं सड़ा है, जो मामला है, वह जांच में आ जायेगा। धान राख हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- पर्याप्त मात्रा में उत्तर आ चुका है। आप सबको कहा गया है और आप सबने पर्याप्त मात्रा में प्रश्न किये हैं। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी पर्याप्त मात्रा में सदन को उत्तर दे चुके हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं, हम माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

समय :

11:56 बजे

बहिर्गमन

शासन के उत्तर विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष, श्री धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से गहिर्गमन किया गया।)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)

विधानसभा लुण्ड्रा अंतर्गत नवीन सड़क का निर्माण एवं मरम्मत कार्य

6. (*क्र. 420) डॉ. प्रीतम राम : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र लुण्ड्रा अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों में विभाग द्वारा कितनी सड़कों का नव-निर्माण तथा कितनी सड़कों का वार्षिक मरम्मत एवं रख रखाव के कार्य स्वीकृत किए गए हैं? (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ? यदि कार्य अपूर्ण है, तो कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी ‡ संलग्न[6] परिशिष्ट में दी गयी है.

डॉ. प्रीतम राम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से प्रश्न किया था विधानसभा क्षेत्र लुण्ड्रा अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों में विभाग द्वारा कितनी सड़कों का नव-निर्माण तथा कितनी सड़कों का वार्षिक मरम्मत एवं रख रखाव हेतु क्या प्रावधान किया गया था ? इसका विस्तृत जवाब मिला है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी सरगुजा प्रवास के दौरान मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में भी आये और एक सप्ताह के अंदर पूरी सड़कों की पैच रिपेयरिंग का काम अच्छे से हो गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि इतना अच्छा जल्दी से काम हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात रखना चाहता हूं कि रघुनाथपुर-लुण्ड्रा-धौरपुर-बरियो मार्ग अत्यन्त जर्जर स्थिति में है और यह मार्ग दो एन.एच. को जोड़ता है। इस मार्ग से भारी भरकम वाहनों का परिवहन होता है, पेंच रिपेयरिंग करने से सड़कों की गुणवत्ता ठीक नहीं रहती है एवं रखरखाव ठीक से नहीं हो पाता है। मैं इस संबंध में बजट में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भी भेजा हूं कि इसे पुर्ननिर्माण के लिए स्वीकृत प्रदान करें। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस मार्ग को बजट में प्रावधान करने का कष्ट करेंगे।

[6] परिशिष्ट- "छ:"

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय उपाध्यक्ष जी, डॉ. प्रीतम राम जी ने जिस सड़क के बारे में प्रश्न किया है, पहले तो उसका रिपेयरिंग कार्य करा लिया गया था, नये सिरे से लघुनाथपुर-लुण्ड्रा-धौरपुर मार्ग को ए.डी.बी. योजना में शामिल कर लिये हैं। उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वह मार्ग बढ़िया बनेगा, क्योंकि ए.डी.बी. में थोड़ा सा समय लगता है।

डॉ.प्रीतम राम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि 8 सड़कों का वार्षिक मरम्मत कार्य प्रगति पर है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि समय-सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण हो। मेरे क्षेत्र में अंबिकापुर-रायगढ़ एन.एच.-43 का कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है। उसमें तत्काल तेजी से काम हो। कृपया यह भी जानकारी देने का कष्ट करें कि मुख्यमंत्री गौरव पथ कब प्रारंभ होगा ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री गौरव पथ का कार्य मेरे विभाग में नहीं होता है, लेकिन बाकी जो आपने कहा है, अभी हम लोग एन.एच. की मीटिंग लिये हैं, उसमें जो-जो कमी होगी, उसको बहुत तेज गति से कार्य करके समय-सीमा में करा लेंगे।

डॉ. प्रीतम राम :- धन्यवाद।

रायपुर भिलाई के मध्य फोर लेन पर फ्लाईओव्हर का निर्माण

7. (*क्र. 9) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 26 फरवरी, 2020 को अतारांकित प्रश्न क्रमांक 424 के उत्तर में बताया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 (रायपुर-भिलाई के बीच) में कुल 4 स्थानों पर कि.मी. 286.400 कुम्हारी, कि.मी. 299.000 ट्रांसपोर्ट नगर, कि.मी. 302.000 पावर हाउस चौक, कि.मी. 304.000 से 305.000 चंद्रामोर्या चौक से सुपेला में निर्माणाधीन फ्लाई ओव्हर दिनांक 27-01-2021 तक पूर्ण हो जायेंगे ? यदि हां, तो कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है ? कब तक पूर्ण होगा ? (ख) क्या विभाग ने निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण हो इस हेतु कोई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है ? यदि हां, तो कब, नहीं तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जी हां. परन्तु कोरोना माहमारी के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है. कार्य दिनांक 01 जनवरी, 2022 तक पूर्ण होना संभावित है. अद्यतन स्थिति की जानकारी ‡‡ संलग्न[7] परिशिष्ट के अनुसार है. (ख) जी हां. माननीय मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 23-01-2020 एवं 12-11-2020 को कार्य की समीक्षा की गई थी. डायरेक्टर जनरल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 29-04-2020 को उपरोक्त कार्य की समीक्षा की गई है. मुख्य अभियंयता, रा.रा. परिक्षेत्र, लो.नि.वि. रायपुर द्वारा दिनांक

[7] परिशिष्ट- "सात"

18-04-2019, 02-07-2019, 20-08-2019, 11-09-2019, 13-11-2019, 14-01-2020, 11-05-2020, 18-06-2020, 16-10-2020, 22-10-2020, 02-12-2020 को समीक्षा की गई.

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि भिलाई राष्ट्रीय राजमार्ग है और वहां पर बहुत समय से काम चल रहा है जिसके कारण वहां रोज 4-5 घंटे ट्रैफिक जाम रहता है, क्या उन्होंने इस विभाग की कोई समीक्षा की है, अधिकारियों के साथ कोई बैठक की है कि काम कब तक शुरू हो जायेगा ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, कुलदीप जुनेजा जी ने जो प्रश्न किया है, उसकी मैंने विस्तृत जानकारी दी है कि 4 जगह फ्लाईओव्हर बन रहा है। बीच में कोरोनाकाल में मजदूर और ठेकेदार काम नहीं कर पाये, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ, पर चारों स्थानों में बहुत तेज गति से काम चालू कर दिया गया है। काम चलने में थोड़ी परेशानी होती है।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:00 बजे

<u>कार्यमंत्रणा समिति का बारहवां प्रतिवेदन</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 में लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई :-

1.	**<u>वित्तीय कार्य</u>** -	**<u>निर्धारित समय</u>**
	वित्तीय वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण ।	3 घंटे
2.	**<u>विधि विषयक कार्य</u>**	
	(1) छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020	30 मिनट
	(2) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2020	30 मिनट
	(3) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020	30 मिनट
	(4) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020	30 मिनट

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार तथा पारण को बुधवार, दिनांक 23 दिसंबर, 2020 के स्थान पर अब गुरूवार दिनांक 24 दिसंबर, 2020 को लिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब इसके संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार उनकी आत्महत्या को लेकर किसी भी प्रकार का उनको मुआवजा नहीं दे रही है ।

असंशोधित/अप्रकाशन के लिये नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- पत्रों का पटल पर रखे जाने के बाद आप बोलिएगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने इसके ऊपर स्थगन प्रस्ताव दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- पहले दो मिनट यह काम हो जाये उसके बाद बोल लेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप सरकारी काम इसके बाद में निपटा लें । स्थगन तो बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है ।

समय :

12:02 बजे

<u>पत्रों का पटल पर रखा जाना</u>

<u>(1) अधिसूचना क्रमांक एफ 17-5/2019/एक-13, दिनांक 31 अगस्त, 2020</u>

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 17-5/2019/एक-13, दिनांक 31 अगस्त, 2020 पटल पर रखता हूं ।

<u>(2) अधिसूचना क्रमांक 87/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2020, दिनांक 13 जुलाई, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020</u>

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 87/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2020, दिनांक 13 जुलाई, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020 पटल पर रखता हूं ।

<u>(3) अधिसूचना क्रमांक 86/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2020, दिनांक 15 मई, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) विनियम, 2020</u>

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 86/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2020, दिनांक 15 मई, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युक नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) विनियम, 2020 पटल पर रखता हूं ।

(4) अधिसूचना क्रमांक 85/सी.एस.ई.आर.सी.//2020, दिनांक 17 जनवरी, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 85/सी.एस.ई.आर.सी.//2020, दिनांक 17 जनवरी, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020 पटल पर रखता हूं ।

(5) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित, रायपुर की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2017-2018 एवं 2018-2019

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित, रायपुर की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2017-2018 एवं 2018-2019 पटल पर रखता हूं ।

(6) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (दिनांक 01.04.2014 से 31.05.2015)

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (दिनांक 01.04.2014 से 31.05.2015) पटल पर रखता हूं ।

(7) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक (ऑडिट रिपोर्ट) वर्ष 2019-2020

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक (ऑडिट रिपोर्ट) वर्ष 2019-2020 पटल पर रखता हूं।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

(8) छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा), रायपुर का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम 2016 (क्रमांक 38, सन् 2016) की धारा 29 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा), रायपुर का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 पटल पर रखता हूं ।

(9) अधिसूचना क्रमांक एफ1-22/2014/32, दिनांक 16 सितम्बर, 2020

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 1-22/2014/32, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 पटल पर रखता हूं ।

(10) परिवहन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 5-10/आठ-परि./2020, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020
(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 5-06-01/आठ-परि./2020, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020
(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 5-06-02/आठ-परि./2020, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020
(iv) अधिसूचना क्रमांक एफ 5-06-03/आठ-परि./2020, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020

परिवहन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25, सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक -

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 5-10/आठ-परि./2020, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020
(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 5-06-01/आठ-परि./2020, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020
(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 5-06-02/आठ-परि./2020, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020
(iv) अधिसूचना क्रमांक एफ 5-06-03/आठ-परि./2020, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020

पटल पर रखता हूं ।

(11) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा देय विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य संवर्गों के लिए वेतनमान सहित अर्हताएं एवं सेवा शर्तों संबंधी अध्यादेश क्रमांक-31

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25, सन् 2004) की धारा 66 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा देय विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य संवर्गों के लिए वेतनमान सहित अर्हताएं एवं सेवा शर्तों संबंधी अध्यादेश क्रमांक-31 पटल पर रखता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी अनुपस्थित रहेंगे । इसकी कोई सूचना आपके द्वारा प्रसारित नहीं हुई है । उसके बाद संसदीय कार्यमंत्री पढ़ें, कोई आपत्ति नहीं है । आज उनकी अनुपस्थिति की जानकारी आपके द्वारा सदन को नहीं दी गई है ।

(12) राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49, सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 पटल पर रखती हूं ।

समय :
12:08 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्नकाल में दसवें नम्बर का मेरा प्रश्न था । उसके पूरे उत्तर को परिवर्तित किया गया है और परिवर्तित उत्तर की कॉपी मुझे विधान सभा में आने के बाद उपलब्ध करवाई गई है । अगर वह प्रश्न सदन में चर्चा में आ जाता तो मैं किस प्रकार प्रश्न पूछ सकता था ? आपके ओर से निर्देश जारी होना चाहिए कि वे पहले रात में उत्तर उपलब्ध करवाएं । हमें प्रश्नोत्तर सूची उपलब्ध होती है, 21 दिनों का समय मिलता है । विधान सभा में आने के बाद परिवर्तित उत्तर की कॉपी दी गई है । मैं चाहूंगा कि विधान सभा के माध्यम से सदस्यों के प्रश्नों जवाब समय पर उपलब्ध हो । इसके बारे में आसंदी के माध्यम से निर्देश जारी होना चाहिए अन्यथा सदस्यों के प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं होगा । हम कैसे प्रश्न पूछेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मुझे भी कल ऐसे ही उत्तर मिला था । विधान सभा के अंदर ।

सभापति महोदय :- नोटिस में ले लिया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नोटिस में लेने से नहीं होगा । 21 दिन पहले हम प्रश्न लगाते हैं ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्रिगणों से निवेदन है कि वे समय पर सूचना दे दिया करें ताकि माननीय सदस्यों को किसी प्रकार से कुछ कहने का अवसर न मिले ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आसंदी को आदेश करना चाहिए, निवेदन नहीं । क्योंकि यह विधान सभा का प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण काल है ।

सभापति महोदय :- मुझे क्या करना है, मुझे करने दीजिए । मैं आदेश दूं या निवेदन करूं, यह तो मेरा काम है । आपने बताया और मैंने कर दिया ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- हमारा काम आसंदी का सम्मान बढ़ाना, इसलिए आप आदेशित कीजिए ।

सभापति महोदय :- जैसा है वैसा ही रहने दीजिए आप । न बढ़ाने की जरूरत है न घटाने की जरूरत है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- व्यवस्थाओं के बाद आसंदी के प्रति कितना सम्मान किसका है वह हमने देखा है, सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- वह हमने भी सदन में देखा है, कौन कितना सम्मान करता है, इसलिए जाने दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय सभापति जी, हम लोगों ने लगातार इस बात को उठाया कि छत्तीसगढ़ में किसान लगातार धान खरीदी की अव्यवस्था के कारण आत्महत्या कर रहा है और आत्महत्या के कारण पूरे प्रदेश में वातावरण खराब हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक परिवार के 5 लोगों को परिवार का मुखिया मार दे और उसके बाद स्वयं आत्महत्या कर ले और सरकार इसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही है, बल्कि उसके परिवार के ऊपर में उनके परिवार की महिला के ऊपर में अनर्गल आरोप लगा दिया। कभी भी यह नहीं होता कि मरने वाले के बारे में अनर्गल आरोप लगाया जाये। सरकार को उसकी जांच करवानी चाहिए। जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एक भी किसान की आत्महत्या की जांच नहीं करवाई गयी। उनके परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया। उनके परिवार के लोगों को किसी भी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं करवाई गयी और उनके परिवारों की हालत इतनी खराब है कि उनके भूखों मरने की स्थिति आ रही है। हम चाहेंगे कि इसके ऊपर में किसानों की आत्महत्या के ऊपर में हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है, उस पर आप चर्चा करवायें।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति महोदय..।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति महोदय..।

श्री रविन्द्र चौबे :- मेरी बात हो जाये।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह शून्यकाल है।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं समझ रहा हूं कि यह शून्यकाल है। मैं इतना समझता हूं। माननीय सभापति जी, माननीय बृजमोहन जी ने स्थगन के लिए आपके सामने एक प्रश्न उठाया। यह स्थगन दो दिन पहले ही इस सदन में आसंदी ने ग्राहय किया था। हम चर्चा कराना चाहते भी थे, लेकिन आप चर्चा से क्यों भाग गये? और उसी विषय को लेकर आप दोबारा स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, नंबर एक। आपने कह दिया कि सरकार ने किसी किसानों का मुआवजा नहीं दिया। आपके हुकूमत में भी 15-15 हजार किसानों ने आत्महत्याएं की थीं, तब आपने कोई मुआवजा दिया था क्या?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह 15 हजार का आंकड़ा। माननीय हमें आपत्ति है कि माननीय कृषि मंत्री जी सरकार के मंत्री हैं। उनको तो कम से कम कोई बात हवा-हवाई वाली नहीं करनी चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- अगर कोई आंकड़ा है तो उसे प्रस्तुत कर दे न। 15 हजार किसानों ने आत्महत्या की है तो उसकी सूची प्रस्तुत कर दे न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर 15 हजार का आंकड़ा आपके पास है तो आप 15 हजार आंकड़ा इस सदन में प्रस्तुत करिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, आप निर्देश दें कि 15 हजार किसानों ने आत्महत्या की तो उसकी सूची सदन में प्रस्तुत कर दें। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप 15 हजार के आंकड़े प्रस्तुत करिए। ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- यह मेरे विधान सभा के प्रश्न में 15 हजार आंकड़ा है। आपके उत्तर में भी है।

श्री रविन्द्र चौबे :- हम प्रस्तुत करेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप कीजिए न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- हम 15 हजार का आंकड़ा भी प्रस्तुत कर देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी करिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप प्रस्तुत करिए। हम चुनौती देते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप प्रस्तुत करिए। उसके बाद हम आंकड़ं पर चर्चा करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी चर्चा करते हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- मेरी बात तो पूरी होने दीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमने स्थगन में नाम लिखे हैं। आपने 15 हजार बोल दिया। आप हवा-हवाई बात तो मत करो। कम से कम आप रखो न।

श्री धनेन्द्र साहू :- मैं बोल रहा हूं न। मेरे प्रश्न के उत्तर में 2 साल का 23 हजार आया है। सारे आत्महत्या के आंकड़े हैं। मेरे पास लिखित जवाब है।

श्री शिवरतन शर्मा :- 15 हजार किसानों के आत्महत्या की सूची आप रखो न।

श्री दलेश्वर साहू :- स्थगन लगाकर आप भागे क्यों ?

श्री रविन्द्र चौबे :- ये विधान सभा के आंकड़े हैं। ये विधान सभा के आंकड़े हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अभी भाई, सभापति महोदय, आज के प्रश्न में आया है। आपके राज में जनवरी, 2019 से 12 हजार लोग आत्महत्या किये हैं। मैं दे देता हूं आप पढ़ लेना। आप कहां पुरानी बात कर रहे हो ? अभी आप रोक नहीं पा रहे हो और उसके बाद में 15 हजार गिना देते हो चौबे जी। एक मंत्री बोले कि अभी हिसाब-किताब कर रहा हूं। अमरजीत जी अभी हिसाब-किताब भी कर रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, ये पिछले 17 साल का रिकॉर्ड बता रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, कोण्डागांव जिले का एक किसान धनीराम जो 6.70 एकड़ जमीन का किसान था और उसका रकबा इतना काटा गया कि उसको केवल 11 क्विंटल धान बेचने की अनुमति दी। इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं।

सभापति महोदय :- वह कल आपने कह दिया । परसो आपने कह दिया है। अब मैं आपके स्थगन को पढ़ रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- चलिए, आप पढ़िए।

समय :
12:13 बजे

<u>स्थगन प्रस्ताव</u>

<u>प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या किया जाना।</u>

सभापति महोदय :- प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने के संबंध में 16 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

प्रथम सूचना	-	श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
दूसरी सूचना	-	श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
तीसरी सूचना	-	श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
चौथी सूचना	-	श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
पांचवीं सूचना	-	डॉ. रमन सिंह, सदस्य

छठवीं सूचना - श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य
सातवीं सूचना - श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य
आठवीं सूचना - श्री नारायण चंदेल, सदस्य
नौवीं सूचना - श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य
दसवीं सूचना - श्री ननकी राम कंवर, सदस्य
ग्यारहवीं सूचना - श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य
बारहवीं सूचना - डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य
तेरहवीं सूचना - श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
चौदहवीं सूचना - श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य
पन्द्रहवीं सूचना - श्री सौरभ सिंह, सदस्य
सोलहवीं सूचना - श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य

चूंकि श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, अत: उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं :-

प्रदेश में किसानों की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, किन्तु समस्या का समाधान होने के बजाय और बढ़ते ही जा रहा है। प्रदेश के अन्नदाता कर्ज, भुखमरी, आर्थिक समस्या, फसल की खराबी तथा अन्य मुसीबतों से घिरे हुए हैं, जिसके कारण आत्महत्या को ही अपना समाधान बना रहे हैं।

राज्य में विगत दो माह में ही 5 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जिला रायपुर अंतर्गत अभनपुर तहसील के ग्राम तोरला के कृषक प्रकाश तारक ने आत्महत्या कर ली किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि सरकार द्वारा जांच कराने पर अपने बयान में कहा कि फसल क्षति, कर्ज और भूखमरी का इस आत्महत्या से कोई संबंध नहीं है, यह आत्महत्या मानसिक अवसाद के कारण की गयी है । बयान से ऐसा लगता है जैसे मृतक किसान ने बेवजह आत्महत्या की है । इसी जिले के ग्राम-केन्द्री, तहसील अभनपुर में आर्थिक तंगी के कारण कृषक कमलेश साहू ने अपनी माता, पत्नी व दो बच्चे सहित आत्महत्या कर ली, जिसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हो पायी है । दुर्ग जिला अंतर्गत धमधा तहसील के ग्राम-हरदी में लीलूराम पटेल 45 वर्षीय ने खेत के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया और प्रशासनिक जांच में इसका कारण अज्ञात पाया गया, जबकि उनके बेटे का कहना है कि उसके पिता फसल नहीं बिकने तथा बैंक के कर्ज से परेशान थे । इसी जिले तथा तहसील अंतर्गत ग्राम डोमा के किसान प्रेमलाल साहू 35 वर्षीय ने दिनांक 19 नवम्बर, 2020 को खेत में लगे पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी जांच अभी तक नहीं की गयी । जिला दुर्ग में ही ग्राम-मातरोडीह के किसान दुर्गेश कुमार निषाद ने फसल की खराबी के कारण आत्महत्या कर ली, उसकी फसल नकली कीटनाशक

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

छिड़काव के कारण पूरी तरह बरबाद हो चुकी थी । पूर्व में नकली कीटनाशक, खाद व बीज के गंभीर विषय पर चर्चा के दौरान इन आरोपियों पर कड़ाई से कार्यवाही तथा रोकथाम के लिए निर्देशित किया गया था, इसके बावजूद ये बेचा जा रहा है । जिला बलरामपुर अंतर्गत ग्राम टांगमहरी के 50 वर्षीय किसान दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 को वन भूमि में जोताई के आरोप में वन विभाग द्वारा ट्रेक्टर की जब्ती होने की वजह से आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जहां अपने जब्त ट्रेक्टर छुड़वाने के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा रहा था, कोई कार्यवाही नहीं होने पर आत्महत्या करने का फैसला कर लिया । सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पूरे प्रदेश में प्रारंभ की है, किन्तु प्रदेश के सभी केन्द्रों पर अव्यवस्था का आलम है । कहीं बारदाने की कमी के कारण तो कहीं हमालों के नाम पर खरीदी रोकी जा रही है । कुछ स्थानों पर जगह की कमी के नाम पर खरीदी रोकी गयी है । वहीं गिरदावली के नाम पर किसानों का रकबा कम किया जा रहा है । मुंगेली के केसली कला में नवीन धान खरीदी केन्द्र खुला है, जो अभी तक शुरू नहीं किया गया है ।

सरकार प्रदेश के अन्नदाताओं की समस्याओं को सुलझाने के बजाय बयान दे रही है कि किसान बिना वजह के आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि प्रदेश के किसान आर्थिक तंगी, नकली कीटनाशक के फसल की बरबादी, असमय बारिश से फसल की क्षति, धान खरीदी की समस्या एवं अन्य कारणों से आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं । प्रदेश सरकार किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं को रोकने से नाकाम हो चुकी है ।

अत: इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये । इस संबंध में शासन का क्या कहना है ?

(सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम के खड़े होने पर)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, इसमें तो गृहमंत्री का जवाब आना चाहिए, यह आत्महत्या से संबंधित मामला है ।

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- इसमें दोनों हैं । इसमें किसान का भी मुद्दा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, आत्महत्या करना तो अपराध है और इसके लिए हम यही तो चाहते हैं कि जिनके कारण उन्होंने आत्महत्या की है, उनके खिलाफ में अपराध दर्ज किया जाये । इसलिए इसका जवाब गृहमंत्री की तरफ से आना चाहिए क्योंकि यह आत्महत्या से संबंधित मामला है ।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, आप तो मंत्री रहे हैं । माननीय मंत्री जी का जवाब तो सुन लें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, हमने परसों सुना था।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं। आपने जवाब नहीं सुना।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमने जो विषय दिया उसका जवाब ही नहीं आया। ये आत्महत्या का मामला है।

सभापति महोदय :- देखिये, कोई भी माननीय सदस्य, माननीय मंत्री को किस तरह जवाब दे, ये इसके लिये बाध्य नहीं कर सकते।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम तो आपसे आग्रह करना चाहते हैं। हमको आसंदी से आग्रह करने का अधिकार है।

सभापति महोदय :- मैंने माननीय मंत्री जी को पुकारा है, आप सुन लें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, हमको आसंदी से आग्रह करने का अधिकार है।

सभापति महोदय :- आपने आग्रह किया है, मैंने सुन लिया है।

श्री बृहमोहन अग्रवाल :- आप जवाब मत दें, इसका जवाब शासन देगा।

सभापति महोदय :- शासन जवाब दे रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आत्महत्या से संबंधित मामला है और आत्महत्या का जवाब गृहमंत्री को देना चाहिए। हमने आत्महत्या का मामला उठाया है। पिछली बार जो हमारा स्थगन था, उस स्थगन में पूरा जवाब नहीं आया है, इसलिए हमने नया स्थगन लगाया है। हम चाहते हैं कि इसमें आत्महत्या का जवाब आना चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, मेरा एक निवेदन है, मैंने जो स्थगन प्रस्तुत किया है, आपने उसको सदन में पढ़ा है। उसमें आत्महत्या गृह विभाग से, नकली खाद बीज, कृषि विभाग, धान खरीदी, मॉर्फेड से और रकबा घटने की बात, राजस्व विभाग से है। तीन चार विभाग इसमें सम्मिलित होते हैं। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि जब चार विभागों का उत्तर है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर दें तो सबसे अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय :- जहां responsibility रहती है, ये संयुक्त जिम्मेदारी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये आज सामूहिक उत्तरदायित्व की बात नहीं है, जब इसमें सारे विभाग हैं, किसान एक मुद्दा है, हमारा विषय किसान है।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, ये ज्वाईंट responsibility है। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं तो मुख्यमंत्री जी जवाब दे देंगे तो अच्छा रहेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति महोदय, बहुत सम्माननीय श्री शिवरतन जी ने प्रस्तुत किया और उन्होंने स्वयं कहा कि 4 विभागों से संबंधित है।

श्री शिवरतन शर्मा :- हमारा विषय किसान है।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप इसको अग्राह्य कर दीजिये। चार विभाग का एक साथ स्थगन ले नहीं सकते।

श्री शिवरतन शर्मा :- हमारा विषय किसान है, किसान एक विषय है। इसमें सारे मुद्दे शामिल हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- किसानों की आत्महत्या का मामला है। किसानों की आत्महत्या को अग्राह्य कर रहे हैं। (व्यवधान) कृषि मंत्री जी, किसानों की आत्महत्या पर आप चर्चा कराना नहीं चाहते। किसानों की आत्महत्या का मामला है, आपको चर्चा कराना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने कहा कि गृह विभाग उत्तर दे, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उत्तर दे। ऐसे कैसे काम चलेगा, भाई। आप अभी कह रहे थे, गृह विभाग उत्तर दे। ऐसा नहीं हो सकता।

श्री शिवरतन शर्मा :- किसानों की आत्महत्या का मामला है। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- चर्चा ग्राह्य हुआ था, आप भाग क्यों गये। आप चर्चा नहीं कराना चाहते। फिर आप भाग क्यों गये।

श्री मोहन मरकाम :- आप चर्चा से भाग गये हैं और बार-बार वहीं प्रश्न कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके ही जिले का है। आपके ही क्षेत्र के किसान ने आत्महत्या की है।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, आपने स्थगन प्रस्तुत किया। ये मंत्रिमंडल की ज्वाईंट responsibility है। कोई भी मंत्री जवाब दें, जवाब दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आगे जब आप चेयर पर होंगे तो इसको रिपीट करेंगे। अगर कोई मंत्री जवाब नहीं देगा, हम इसको रिपीट करेंगे। ज्वाईंट responsibility है, किसी भी मंत्री को, किसी का भी जवाब देना चाहिए।

सभापति महोदय :- आपने इस बात को कई बार कहा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, जिस संजय सिंह की बात कर रहे हैं, टांगर महरी मेरे क्षेत्र की गांव है, वह अभी भी जिंदा है, जिसको मरा हुआ है, लिखे हैं। बोलिये अभी बात करा देता हूं, आपको बता देता हूं। संजय सिंह (व्यवधान) समाज का है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में किसानों की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है तथा प्रदेश के अन्नदाता कर्ज भुखमरी व आर्थिक समस्या से घिरे हुए हैं अपितु सरकार द्वारा किसानों की स्थिति सुदृढ़ करने हेतु अनके कार्य किये जा रहे हैं। वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात किसानों के हित में कृषि ऋण माफी का निर्णय लिया गया। सहकारी बैंकों के 13.46 लाख किसानों का 5260.69 करोड़ का ऋण माफ किया गया, जिससे किसानों में अत्यधिक प्रसन्नता है।

वर्ष 2019-20 में 11.34 लाख किसानों को 4,420 करोड़ का 2020-21 में 12.65 लाख किसानों को 4,630 करोड़ का ऋण वितरण 0 प्रतिशत ब्याज दर पर दिनांक 15.12.2020 तक किया गया है। वर्ष 2018-19 में 15.71 लाख किसानों से 80.38 लाख टन धान खरीदा गया जिसकी 14,115.66 करोड़ राशि किसानों को भुगतान की गई है। रू. 2500 प्रति क्विंटल धान का मूल्य किसानों को भुगतान करने हेतु समर्थन मूल्य से अंतर की राशि का 5,979.49 करोड़ प्रोत्साहन बोनस किसानों को प्रदाय किया गया है। वर्ष 2019-20 में 18.38 लाख किसानों से 83.94 लाख टन धान खरीदा गया, जिसकी 15,285 करोड़ राशि किसानों को भुगतान की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अन्तर्गत धान बेचने वाले सभी किसानों को रू. 10,000 प्रति एकड़ के मान से कृषि आदान सहायता राशि भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना की 3 किश्तों में राशि 4,488 करोड़ का भुगतान 18.38 लाख किसानों को किया गया है।

धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन कार्य 17 अगस्त 2020 से 17 नवम्बर 2020 तक किया गया। किसान पंजीयन कार्य के लिए गत खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के लिए पंजीकृत किसानों का डेटा कैरी फारवर्ड किया गया एवं गिरदावरी के अनुसार किसान के धान के रकबे मे डेटा संशोधन/अद्यतन किया गया, साथ ही नवीन किसानों का पंजीयन भी किया गया। पंजीयन अवधि के पश्चात भी किसान के पंजीकृत रकबे में परिवर्तन/संशोधन, त्रुटि सुधार इत्यादि विभिन्न प्रकार के आवेदन/प्रस्ताव जिलों से विभाग को प्राप्त होते रहे हैं, जिसके निराकरण की कार्यवाही विभाग द्वारा की जाती रही है। राज्य शासन द्वारा धान के रकबे में संशोधन संबंधी कार्य जिले स्तर पर ही कराने हेतु निर्देश दिनांक 05 दिसम्बर एवं 09 दिसम्बर 2020 को जारी किये गये हैं। साथ ही किसान द्वारा धान बोये रकबे का गिरदावरी पूर्ण कराकर पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देश के तारतम्य में जिलों में गिरदावरी अनुसार रकबा संशोधन का कार्य किया गया है। खरीफ वर्ष 2020-21 में 21.52 लाख किसानों का धान खरीदी हेतु 27.60 लाख हैक्टेयर रकबा पंजीकृत किया गया है, जबकि गत खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में 19.55 लाख किसानों का 26.88 लाख हैक्टेयर रकबा पंजीकृत किया गया था। खरीफ वर्ष 2020-21 में पंजीकृत नये किसानों में से अधिकतर किसान सीमांत एवं लघु किसान हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 2,310 धान खरीदी केन्द्रों के माध्यम से धान खरीदी का कार्य किया जा रहा है, जबकि गत खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में 2,048 खरीदी केन्द्रों के माध्यम से धान खरीदी किया गया था। इस वर्ष किसानों की सुविधा हेतु 262 नये खरीदी केन्द्र प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। खरीफ वर्ष 2020-21 में धान खरीदी का कार्य 01 दिसम्बर 2020 से 31 जनवरी तक किया जावेगा। दिनांक 20 दिसम्बर 2020 की स्थिति में 7.78 लाख किसानों से 28.82 लाख टन धान की खरीदी की जा चुकी है। उपार्जित धान का मिलिंग के माध्यम से निराकरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है।

अभी तक 05 लाख टन धान मिलर्स द्वारा उठाव किया गया है। परिवहनकर्ता द्वारा लगभग 1,289 टन धान का उठाव किया जा चुका है।

प्रदेश में धान खरीदी हेतु 4.45 लाख गठान बारदाने की व्यवस्था की जा रही है। राज्य शासन द्वारा खाद्य विभाग भारत सरकार से 2.03 लाख गठान नया जूट बारदाना की मांग पूर्व में की गई थी। किन्तु खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी में कम उत्पादन के कारण मात्र 1.45 लाख गठान ही नये जूट बारदाना देने का प्लान स्वीकृत किया गया है, जिसके विरूद्ध 1.03 लाख गठान ..(जारी)

श्री मिश्रा

मिश्रा\23-12-2020\c10\12.30-12.35

(पूर्व से जारी) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- किया गया है, जिसके विरूद्ध 1.03 लाख गठान बारदाने जूट कमिश्नर से प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 0.70 लाख गठान नया एच.डी.पी.ई./पी.पी. बारदाना क्रय करने की कार्यवाही प्रचलित है। पुराने बारदाने पी.डी.एस. से 0.65 लाख गठान, मिलर्स से 1.65 लाख गठान प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार किसानों से पुराने जूट बारदाने प्राप्त कर धान खरीदी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। राज्य शासन द्वारा बारदाने की कमी को ध्यान में रखते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए किसानों से धान खरीदी एवं सीएमआर जमा कार्य के लिए भारत सरकार से 1.10 लाख गठान नये जूट बारदाने की आपूर्ति जूट कमिश्नर भारत सरकार से कराने अनुरोध किया गया है।

जिला रायपुर अंतर्गत गोबरा नवापारा अभनपुर तहसील ग्राम तोरला के कृषक प्रकाश तारक द्वारा दिनांक 03.11.2020 को फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना पर थाना गोबरा नवापारा में मर्ग क्रमांक 72/2020 धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता कायम कर शव पंचनामा बाद पोस्ट मार्टम कराया गया। मर्ग जांच पर मृतक प्रकाश तारक की विगत 2 वर्षों से मानसिक स्थिति खराब चल रही थी, जिसका ईलाज उसके परिजन करवा रहे थे। मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु फांसी लगाने से दम घुटने के कारण होना लेख किया गया है, मर्ग की जांच जारी है। मृतक श्री प्रकाश तारक का सहकारी समिति में ऋण निरंक है।

इसी प्रकार ग्राम केन्द्री तहसील थाना अभनपुर में कमलेश साहू के द्वारा दिनांक 16-17.11.2020 की दरम्यानी रात को मृतक का शव फांसी में लटके होने और उसकी पत्नी, मां और दो बच्चे का शव घर के अंदर पड़े होने की सूचना पर मर्ग क्रमांक 71, 72, 73, 74, 75/2020 धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच के दौरान गवाहों/पड़ोसियों के कथनानुसार पाया गया कि मृतक कमलेश साहू अपनी पत्नि प्रमिला बाई साहू, मां ललिया बाई, पुत्री किर्ती साहू, पुत्र

नरेन्द्र साहू की गला घोंटकर हत्या करने के उपरांत स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। प्रकरण की जांच जारी है। मृतक श्री कमलेश साहू का सहकारी समिति में ऋण निरंक है।

जिला दुर्ग अंतर्गत धमधा तहसील के ग्राम हरदी के लीलूराम पटेल द्वारा दिनांक 14.10.2020 को फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना पर थाना नंदनी नगर में मर्ग क्रमांक 82/20 कायम कर मर्ग जांच की कार्यवाही तहसीलदार की उपस्थिति में की गई। मर्ग जांच के दौरान गवाह क्रमश: रोशन पटेल, हीरामणी, ठेलुराम पटेल, कमला पटेल, जीवन पटेल, कन्हैया राम, अश्विनी के कथन पर पाया गया कि मृतक अत्यधिक शराब सेवन का आदि था। मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया, मर्ग की जांच जारी है। मृतक श्री लीलूराम साहू का सहकारी समिति में ऋण निरंक है। तहसील धमधा के ग्राम डोमा के कृषक स्व. श्री प्रेमलाल साहू का भी सहकारी समिति में ऋण निरंक है। इसी जिले के किसान स्व. दुर्गेश कुमार निषाद के द्वारा भी सहकारी समिति से कोई ऋण नहीं लिया गया।

जिला बलरामपुर अंतर्गत ग्राम टांगमहरी के प्रकरण में अनावेदक संजय सिंह पिता स्व. सिया राम सिंह के ट्रेक्टर को परिक्षेत्र सहायक बलरामपुर क्षेत्र के द्वारा अपराध प्रकरण क्रमांक 16561/2017 के तहत जप्त किया गया था। अनावेदक संजय सिंह ट्रेक्टर को छोड़ने के लिए परिक्षेत्र सहायक के शासकीय आवास पर जा कर ट्रेक्टर को छोड़ दो नहीं तो तुम्हें फंसा दूंगा कहकर धमकी देने लगा और अपने साथ लाये डिब्बे में कुछ रखा हुआ था, जिसे वह पी गया। इलाज जिला चिकित्सालय बलरामपुर में कराया गया। वर्तमान में अनावेदक पूर्णत: स्वस्थ है।

यह कहना सही नहीं है कि मुंगेली के केशली नवीन खरीदी केन्द्र को अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है। मुंगेली जिला में सिंगारपुर समिति अंतर्गत केशली उपार्जन केन्द्र हेतु केशली में भूमि उपलब्ध नहीं होने से जिला प्रशासन द्वारा सहमति से ग्राम विचारपुर में धान उपार्जन किया जा रहा है। दिनांक 21.12.2020 तक इस केंद्र में 264 पंजीकृत कृषकों से 11268.40 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। प्रदेश में वर्ष 2019-20 में जहां 19.55 लाख कृषकों का पंजीयन किया गया था वहीं वर्ष 2020-21 में 21.52 लाख कृषकों का पंजीयन किया गया है। इस प्रकार किसानों के हित में लगातार पंजीयन में वृद्धि की गई है। अतएव यह कहना कि किसानों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है, सही नहीं है।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन जी, ग्राह्यता पर चर्चा करें।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, आपकी अनुमति से एक निवेदन करना चाहूंगा कि कृषक संजय सिंह जाति मार्क है ग्राम टांगमहरी, थाना-तहसील- बलरामपुर वह मेरे क्षेत्र का है और वह जीवित है। जिन्दा लोगों को विपक्ष ने मृत घोषित किया है। इसे विलोपित कराया जाए उसके बाद चर्चा करायें यह मेरी प्रार्थना है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति महोदय, थोड़ा इधर नजरें इनायत हो जाएं। सभापति जी, आज प्रतिपक्ष की कितनी दयनीय स्थिति है, जिस किसान को मृतक बताकर आपने

स्थगन लगा दिया, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं और उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि माननीय बृहस्पत सिंह जी कह रहे हैं कि वह जिन्दा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- जिन्दा है, मेरा कार्यकर्ता है, मैं खुद उसके यहां गया हूं। (शेम-शेम की आवाज)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है।(शेम-शेम की आवाज) इनके पास कोई मुद्दा नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अगर विपक्ष को जरूरत है तो मैं बात करा सकता हूँ।

श्री मोहन मरकाम :- इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। एक जिंदा किसान को मृत घोषित कर दिया। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है।

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, यह विपक्ष के लिए दुर्भाग्यजनक है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, जिंदा आदमी को मारा जा रहा है। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के पीछे कारण यह था। (व्यवधान)

रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति महोदय, ऐसा स्थगन। जिंदा व्यक्ति को मृत बताकर स्थगन बनाते हो।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। जिंदा आदमी को मृत बताकर (व्यवधान) इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आपको क्षमा मांगनी चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय,किसान आत्महत्या किये हैं। आपका निर्वाचन क्षेत्र धमधा है। (व्यवधान)

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोगों ने इतने दिनों, सालों तक सड़ने में रखा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- यह गलत परम्परा है। माननीय सभापति महोदय जी आप पूरा विलोपित करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय जी ने चर्चा शुरू करवा दी है।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप लोग पहले क्षमा मांगे तब हम आगे बढ़ेंगे। जिंदा किसान को मृत बता दिया।

नगरीय प्रशासन मंत्री(डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय जी, पहले विपक्ष माफी मांगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, जिंदा व्यक्ति को मृत बताया गया।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिए।

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, पहले विपक्ष क्षमा मांगे।।

रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति महोदय, जिंदा किसान को मृत बताकर, स्थगन लाया गया है। सवाल ही नहीं, पहले माफी मांगे तब स्थगन में चर्चा होगी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, लिपकिय त्रुटि होती रहती है।

रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति महोदय, सवाल ही नहीं,जिंदा किसान को मृत बताकर, स्थगन लाया गया है। पहले माफी मांगे तब स्थगन में चर्चा होगी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, लिपकिय त्रुटि होती रहती है। अब कार्यवाही शुरू हो गई है। आप चर्चा करायें।

रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति महोदय, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। गलत परम्परा होगी।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, जिंदा व्यक्ति को मृत बताया गया। विपक्ष को क्षमा मांगना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, एक मंत्री को फुरसत नहीं है कि किसान मरे हुए हैं, लूटा गया था(व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यगण, महेरबानी करके आप लोग बैठिए। ये प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। ये नारेबाजी की प्रतिस्पर्धा बंद करिये। आप लोग बैठ जाएं।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, जिंदा व्यक्ति को मृत बताया गया, यह बहुत गंभीर मामला है।

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, इनको असत्य बोलने की आदत है।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यगण, आप लोग बैठिए। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- राजनीति में इस स्तर तक जा सकता है कि आप लोगों ने जिंदा आदमी को मार दिया। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, विपक्ष को लज्जा आना चाहिए कि जिंदा किसान को मृत घोषित कर दिया।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, जिंदा व्यक्ति को मृत बताया गया।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, विपक्ष को लज्जा आना चाहिए।

असंपादित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यगण, मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग बैठिए। ये पूरी कार्यवाही का अंश नहीं बनेगा। इसमें कोई कार्यवाही में नहीं आएगा। मैं इसको कार्यवाही से हटाने के लिए भेजता हूँ। (व्यवधान) सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(12.40 से 1.03 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

1:03 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)**

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी का स्वागत है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपकी हर व्यवस्था मान्य है, लेकिन इनको पहले बिठाया करें। ट्रेजरी बेंच की जिम्मेदारी है कि सदन ठीक से चले, हमारी भर जिम्मेदारी नहीं है।

सभापति महोदय :- दोनों की जिम्मेदारी है।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति जी, मेरे स्थगन में आपने मेरा नाम पुकारा था, उस बीच में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हुए और खड़े होकर कहने लगे कि हमने अपने स्थगन में संजय सिंह की मृत्यु का जिक्र किया है और हमने असत्य लिखा है, इसके लिए हमको माफी मांगनी चाहिए। माननीय सभापति जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री पूरे सदन को गुमराह कर रहे थे। हमारा जो स्थगन का विषय है, उसमें हमने लिखा है कि ग्राम टांगमहरी, जिला बलरामपुर के किसान 50 वर्षीय संजय सिंह के ट्रेक्टर को वन भूमि में जोताई के नाम पर रेंजर ने जब्त कर लिया था। चार पीढ़ियों से खेती कर रहे किसान ने ट्रेक्टर छुडाने भारी मिन्नत की। रेंजर की प्रताड़ना से दु:खी होकर रेंजर के कार्यालय में किसान ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। हमने ये नहीं लिखा है कि उसने आत्महत्या कर ली, उसने आत्महत्या की कोशिश की, जहर खाया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूरे सदन को गुमराह किया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप निर्देशित करें कि संसदीय कार्य मंत्री सदन से माफी मांगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपने जो सदन में पढ़ा है, उसमें किसान ने आत्महत्या किया है, यह बताया है।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति जी, एक मिनट सुन लीजिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति जी, इनके सम्माननीय सदस्य बोलते हैं कि वह किसान मर गया। इस तरीके से असत्य, फरेब फैलायेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने माननीय सभापति जी से अनुमति ली है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री देवेन्द्र यादव :- मैं भी अनुमति लेकर ही बात कर रहा हूं। माननीय सभापति जी, अगर इस तरीके असत्य, फरेब सम्माननीय सदस्य फैलायेंगे तो विधानसभा से क्या विचार लेकर बाहर निकलेंगे।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं हैं तो संसदीय कार्यमंत्री का पद या संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, सरकार की ओर से जो भी सूचनाएं आयें, कोई भी गतिविधियां हों, क्या चीजें हों, किस तरह से हाऊस चले, संसदीय कार्यमंत्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है । हम लोगों ने जिनका आपने सबसे पहले स्थगन पढ़ा, सबसे पहले उनके स्थगन में कहीं पर संजय जी मर गये हैं, भगवान उनको लंबी आयु दे लेकिन मर गये हैं, यह उल्लेख ही हमने नहीं किया । जैसे पढ़ना शुरू किया सबसे वरिष्ठतम् सदस्य में से एक और संसदीय कार्यमंत्री जी का दायित्व नहीं मालूम कितनी बार सम्भाल चुके हैं वे यह कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग क्षमा मांगें और यह पूरा डिलीट हो । स्थगन को स्थगित करें और क्षमा मांगें, इससे किसान के प्रति कृषि मंत्री की संवेदना कितनी है, गंभीरता कितनी है, इस चर्चा पर सरकार कितनी गंभीर है जब तक जैसा उन्होंने कहा यह स्थगन डिलीट होना चाहिए वैसे ही हम मांग करते हैं कि संसदीय कार्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी खड़े होकर सदन से क्षमा मांगें तब यह सदन चलेगा । इतनी बड़ी घटना नहीं हुई कि सदन में...(व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मेरा भी निवेदन है कि जब तक विपक्ष सदन में माफी नहीं मांगता तब तक आगे न चलायें । (व्यवधान) सदन में जिंदा आदमी को मरा हुआ बोलना आपत्तिजनक है, इसको विलोपित किया जाये । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिए । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव लगाया और पूरा ट्रेजरी बेंच उस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा से भाग रहा था और सत्तापक्ष के पास तो पूरी ठीक से जानकारी होती है, स्थगन प्रस्ताव की कॉपी 4-4 मंत्रियों के पास गयी है । चारों मंत्रियों ने उसको पढ़ा है उसके बाद सत्तापक्ष के द्वारा हमारे ऊपर यह आरोप लगाना कि हमने उसकी मृत्यु हो गई है, हमने ऐसा लिखा है यह बहुत दुर्भाग्यजनक है और यह शर्मनाक है और यह संसदीय कार्यवाही की अवहेलना भी है । (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति जी, सम्माननीय सदस्य खुद अपने मुंह से यह बोल रहे हैं कि वह मर गया है । (व्यवधान) वह खुद सदन को गुमराह करने के प्रयास में हैं । (व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- किसान तो अभी मण्डी में धान बेच रहा है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- विधानसभा की कार्यवाही में व्यवधान उपस्थित न करें । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- हो गया, श्री बृहस्पत सिंह जी बैठिए । (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- अभी माननीय मंत्री जी से उस किसान ने खुद बात की है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, विपक्ष अपनी जानकारी के आधार पर बात करता है परंतु सत्तापक्ष के पास में तो पूरे सोर्सेस होते हैं । सत्तापक्ष के पास पूरे सोर्सेस होने के बाद भी पूरे सदन को गुमराह करने की कोशिश करना बहुत शर्मनाक है और आपको उन्हें ताकीद देना चाहिए । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- जिंदा लोगों को मरा हुआ सदन में पढ़ा जाना क्या सही है, विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- श्री बृहस्पत सिंह जी बैठिए । (व्यवधान)

श्री ताम्रध्वज साहू :- जिस किसान के बारे में बात आयी है कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, वह किसान अभी मण्डी में धान बेच रहा है । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अभी किसान धान बेच रहा है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- तो इसमें माफी मांगने का प्रश्न ही नहीं है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- देखिए, मैंने स्थगन को देखा है और स्थगन में मृत्यु का उल्लेख नहीं है लेकिन माननीय बृहस्पत सिंह जी ने केवल एक सूचना दी है कि वह जिंदा है । सदन में कभी-कभी गलतफहमियां हो जाती हैं इसलिए मैं सारी बातों को देखकर सदन की कार्यवाही आगे चले इसलिए मैंने श्री शिवरतन शर्मा जी का नाम पुकारा है । अब आगे चर्चा नहीं होगी । (व्यवधान) अब आगे कोई चर्चा नहीं होगी । मेरी अनुमति के बिना जो बोल रहा है वह रिकॉर्ड में नहीं आयेगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- (XX)[8]

सभापति महोदय :- बैठिए, श्री शिवरतन जी चर्चा करिए । ग्राह्यता पर चर्चा करिए । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- (XX)

श्री बृहस्पत सिंह :- (XX)

सभापति महोदय :- बैठिए-बैठिए । मैंने श्री शिवरतन शर्मा जी को पुकारा है । श्री शिवरतन शर्मा जी चर्चा प्रारंभ करें ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- (XX)

श्री बृहस्पत सिंह :- (XX)

सभापति महोदय :- आप बैठ जाएं ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- हमने स्थगन दिया और स्थगन में पूरा कंटेंट लिखा हुआ है । पूरा लिखा हुआ है कि हम लोगों ने क्या दिया है । इसके बाद में बात यहां तक बढ़ गई ।

---

[8] (XX) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

श्री बृहस्पत सिंह :- (XX)[9]

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, बात यहां तक बढ़ गई कि हम लोग माफी मांगें और उसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी तो उसके पहले देख तो लिये होते कि उसमें लिखा क्या है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- नेता जी, आपने जो पढ़ा है उसको देख लीजिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- हम लोग किसान हैं और किसान के साथी हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- देखिये, मैंने सभी विषय वस्तुओं पर जानकारी दे दी । अब किसी को [XX][10] जरूरत नहीं है, [XX] कृपया सदन की कार्यवाही चलने दीजिए । माननीय शिवरतन शर्मा चर्चा प्रारंभ करेंगे । अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, इस विषय पर जो भी बात आएगी उस मैं अनुमति नहीं देता, वे बातें कार्यवाही में नहीं आएंगी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसके लिए माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी दोषी हैं, कि [XX] ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत दुख का विषय है ।

सभापति महोदय :- मैंने सदन की कार्यवाही चलने के लिए [XX] । सदन की कार्यवाही चले, यह देखना मेरी जिम्मेदारी है । सदन की कार्यवाही चलाने के लिए मैंने आप सबसे [XX] है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX]

सभापति महोदय :- इसको मैं विलोपित करता हूं । मेरी अनुमति के बगैर जो बोलेगा, वह कार्यवाही का अंश नहीं होगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- ये क्या है, या तो चर्चा करें या तो आगे बढ़ें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार है । व्यवस्था के प्रश्न को नहीं रोक सकते ।

सभापति महोदय :- अधिकार आपको सब कुछ है । लेकिन सदन की कार्यवाही तो चलने दो भाई ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां, चलने देंगे । लेकिन व्यवस्था का प्रश्न तो सुन लें । सभापति जी, मुझे भी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के सदन में लगभग 30 साल हो गए । ऐसी दुर्भाग्यजनक परिस्थितियां बहुत कम आती हैं जब चेयर पर बैठे हुए सभापति, विधान सभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को माफी मांगनी पड़े । सामान्यत: हम उसका सम्मान करते हैं । यदि कोई सदस्य गलती करता है तो वह माफी मांग लेता है और मामला समाप्त हो जाता है । परंतु आज छत्तीसगढ़ के 20 साल के इतिहास में

[9] (XX) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

[10] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

यह पहली बार हो रहा है । यहां उच्च परम्पराएं रही हैं । हमने उच्च परम्पराओं को निभाया है । अगर सदन के वेल में कोई आ आएगा तो वह निलम्बित हो जाएगा, विश्व में इसकी चर्चा होती है । आप वरिष्ठ सदस्य हैं, हम सबके साथ लम्बे समय से काम कर रहे हैं । किसी सदस्य या मंत्री की गलती से आपको [XX][11], इससे ज्यादा दुखद दिन और कोई दूसरा नहीं होगा । संसदीय इतिहास का काला दिन इससे ज्यादा दूसरा नहीं होगा । यह मैं सत्ता पक्ष के विवेक पर छोड़ता हूं कि उनकी गलतियों के कारण [XX], यह हमारे लिए दुर्भाग्यजनक है । मैं तो कहूंगा कि यदि सत्ता पक्ष माफी नहीं मांगता है तो हम आपसे माफी मांगते है और आज जो [XX] उसको आप डिलिट कर दें, उसको आप वापस ले लें, वह ठीक नहीं होगा ।

सभापति महोदय :- देखिए, मैंने सदन की कार्यवाही चले इसलिए [XX] दोनों से मैंने निवेदन किया कि सदन की कार्यवाही चलने दें । मैंने शिवरतन शर्मा जी का नाम पुकारा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम नहीं चाहते कि रिकॉर्ड में कभी यह आए कि सभापति ने माफी मांगी । [XX] यह हम नहीं चाहते । पूरे सदन की गरिमा आपकी गरिमा के साथ जुड़ी हुई है और आपकी गरिमा कम हो, चेयर की गरिमा कम हो, यह हम नहीं चाहते ।

सभापति महोदय :- जब सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चलती तो [XX]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम नहीं चाहेंगे ।

सभापति महोदय :- ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो कार्यवाही चलने दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम चाहते हैं कि [XX] उसको डिलिट किया जाए । हम सत्ता पक्ष के विवेक पर छोड़ते हैं अगर वे माफी नहीं मांगते और चेयर का ऐसे ही अपमान करते हैं तो यह ठीक नहीं है ।

सभापति महोदय :- मैं कार्यवाही देख लूंगा यदि आवश्यक हुआ तो विलोपित कर दूंगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, आप इसे विलोपित करें । यह हम सबका अपमान है ।

सभापति महोदय :- मैं कार्यवाही देखकर कार्रवाई करूंगा । माननीय शिवरतन शर्मा जी चर्चा प्रारंभ करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, यह आपका अपमान नहीं, यह पूरे सदन का अपमान है कि [XX] । हम चाहेंगे कि आप उसको डिलिट कर दें । हम उनके विवेक से कोई उम्मीद नहीं करते ।

सभापति महोदय :- मैं कह रहा हूं कार्यवाही देख लूंगा ।

---

[11] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह तो सबके सामने कहा गया, इसमें देखने की क्या बात है । सबने सुना है कि [XX][12] ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप उसको डिलिट कर दें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, आप क्या कार्यवाही देखेंगे । [XX] उसको डिलिट कर दीजिए । यही तो मांग हो रही है ।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, विपक्ष को क्या हो गया है । ऐसा लगता है कि ये अपने अपने घर में भाभीजी लोगों से लड़कर आए हैं । इन लोगों की लाईन लैंथ एकदम अलग जा रहा है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने खुद कहा है उसको विलोपित कर दीजिए, क्या मतलब । रिकार्ड में रहेगा कि [XX] ।

सभापति महोदय :- ठीक है, धर्मजीत जी । अगर आप सब लोग चाहते हैं कि इसे विलोपित कर दिया जाए तो मैं विलोपित करता हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, सारे समाचार पत्रों में एक समाचार छपा कि 6.7 एकड़ के कोंडागांव के किसान धनीराम साहू ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने का बड़ा कारण यह था ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, समाचार यहां कोई आधार नहीं बन सकता। उसके आधार पर कहीं की चर्चा..।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं चर्चा शुरू कर रहा हूं। आप सुन तो लो।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं, आप समाचार पत्र का उल्लेख कर रहे हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं समाचार पढ़ नहीं रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- उसको आधार नहीं मानना चाहिए।

श्री सौरभ सिंह :- समाचार पत्रों में छपा।

सभापति महोदय :- यह ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है।

श्री सौरभ सिंह :- शब्दों पर ध्यान दीजिए। समाचार पत्रों में छपा। उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं। छपा बोल रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- जिस व्यक्ति को 100 क्विंटल धान बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए थी, उस व्यक्ति को धान बेचने की अनुमति मिली 11 क्विंटल की। दुर्ग जिला जहां से इस प्रदेश सरकार में 5-5 मंत्री हैं। माननीय कृषि मंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, पी.एच.ई. मंत्री का स्वयं का गृह जिला है, वहां धमधा ब्लॉक के दो किसानों ने आत्महत्या की। माननीय गृह मंत्री जी के

[12] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

निर्वाचन क्षेत्र मतरोडीह में एक किसान दुर्गेश निषाद ने आत्महत्या की। ज्यादातर जहां किसानों ने दो-तीन महीने के बीच में आत्महत्या की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सदस्य उन परिवारों से मिलने गये हैं। उन पीड़ित परिवारों से हम लोगों की बातचीत हुई है। सभापति जी, मैं स्वयं मतरोडीह गया था और मृतक के परिवार वालों ने मुझे बताया कि दुर्गेश निषाद की आत्महत्या करने का मेन कारण यह था कि उसने स्वयं की जमीन के साथ-साथ रेघा में खेती की थी। खेत में बीमारी लगी। उसने दो बार दवाई का छिड़काव किया। फसल ठीक नहीं हुई।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन जी। एक सेकण्ड, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था। आपने स्थगन पर ग्राह्यता पर चर्चा करे कि आपका स्थगन क्यों ग्राह्य किया जाये। इस पर आप चर्चा करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- यही मैं बोल रहा हूं। वही मैं विषय रख रहा हूं। अगर आप मुझे बोलने के लिए 15-20 मिनट देंगे तो मैं बोल पाउंगा।

सभापति महोदय :- आप संक्षेप में बोलिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- संक्षेप में। सभापति महोदय, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। अगर नहीं है तो फिर मैं बैठ जाता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- इस बार विपक्ष का विषय एकदम लाइन लेन से बाहर जा रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, मतरोडीह के किसान दुर्गेश निषाद ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या की उसके दो बार दवाई छिड़काव के पश्चात् फसल ठीक नहीं हुई।

श्री अमरजीत भगत :- एक कहावत है, शिवरतन जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- किसान की आत्महत्या का गंभीर मामला है। हंसी मजाक का मामला नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- मैं उसी को बोल रहा हूं कि राग रशम और पागड़ी कभी-कभी जम जाये। मैं जानता हूं कि कभी-कभी नहीं जमता है। उसी पर बढिया एक्सरसाइज करके बोलिए न।

श्री शिवरतन शर्मा :- परिवार का आरोप था कि उसने दो बार दवाई का छिड़काव किया और दोनों दवाइयां नकली थीं और उससे बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना यह हुई कि उस घटना के बाद माननीय कृषि मंत्री जी का समाचार पत्र में बयान छपा कि डॉ. रमन रमन के 15 साल के कार्यकाल में नकली दवाई बेचने वाले, गलत बीज बेचने वाले पनपे हैं। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि इस सरकार को बने दो साल हो गये। अभी डॉ. रमन की सरकार को याद करोगे या अपने पुरूषार्थ से भी दो साल में कुछ करोगे, वह बताओगे लोगों को। माननीय सभापति जी, धमधा माननीय कृषि मंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र डोमा के प्रेमलाल साहू ने आत्महत्या की । लीलूराम पटेल ने क्षेत्र में आत्महत्या की और सबसे

महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस संजय सिंह की बार-बार चर्चा हो रही है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने शायद हमारे स्थगन को पढ़ा ही नहीं, इसलिए यह विवाद की स्थिति सदन में उत्पन्न हुई।

सभापति महोदय :- वह बात तो खत्म हो गई। उस बात पर चर्चा न करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, स्थगन पर ही बोल रहा हूं।

सभापति महोदय :- जो बात सदन में खत्म हो गई, उसमें चर्चा न करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं स्थगन पर ही बोल रहा हूं। मेरा स्थगन क्यों ग्राह्य किया जाये, मैं इस विषय पर बोल रहा हूं। पूरे प्रदेश में आज किसान पीड़ित है और पीड़ा के चलते कहीं वे आंदोलन कर रहा है, कहीं आत्महत्या कर रहा है तो कहीं परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस सरकार के चलते हो रही है। हमारे यहां किसान ज्यादातर मीडियम वैरायटी का धान बोता है और मीडियम वैयायटी का धान हमेशा 31 अक्टूबर के पहले कटकर तैयार हो जाता है। इस सरकार ने एक दिसंबर को धान खरीदी की है। एक महीना किसान के लिए धान संभाल कर रखना, उसकी सूखत का नुकसान सहना और उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात ये 2500 रूपये कीमत देने की बात करते हैं। गिरदावरी के माध्यम से किसान का 20 से 25 प्रतिशत रकबा काट दिया गया। 20 से 25 प्रतिशत किसान का रकबा और धनीराम साहू कोण्डागांव जिले के किसान ने जिसने आत्महत्या की, उसका रकबा कम करना ही सबसे बड़ा कारण है। उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि जो पी.सी.सी. चीफ है, वह खड़े होकर संजय सिंह की चिंता तो करता है, पर धनीराम उसके क्षेत्र का किसान मारा गया, उस विषय पर मौन है। उस पर कभी चिंता जाहिर नहीं करता। ये दुर्भाग्यजनक बात है ।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन जी, माननीय मरकाम जी इस सदन के सदस्य हैं । उनके संबंध में कोई चर्चा न करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वे कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया ।

सभापति महोदय :- अपने किसी साथी के बारे में कुछ कहना, मैं इसे विलोपित करता हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, इसको विलोपित करने की क्या बात हो गई ? हमने स्थगन में जो विषय उठाया, उस पर चर्चा हो गई और इसको विलोपित करने की क्या बात हो गई ?

सभापति महोदय :- आपने मरकाम जी के बारे में जो कहा है, उसको मैं अनुमति नहीं देता ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, मैंने आरोप नहीं लगाया ।

सभापति महोदय :-आप स्थगन तक सीमित रहें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा कौन सा विषय है, बताईए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, मैं स्थगन पर ही बोल रहा हूं । कोण्डागांव के किसान ने आत्महत्या की ।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, मेहरबानी करके बैठिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह अच्छी बात नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, जब बात ठीक नहीं है तो बोलने का क्या मतलब है ? मेरे हिसाब से यह विलोपित नहीं होना चाहिए ।

सभापति महोदय :- सदन के किसी सदस्य के बारे में बोलना उचित नहीं होता, आप दूसरी बात करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

सभापति महोदय :- आप स्थगन पर चर्चा करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, मैं आपसे व्यवस्था का प्रश्न कर रहा हूं । आपने व्यवस्था दी कि इस सदन के किसी सदस्य के बारे में बोलना उचित नहीं होता। माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने हम सदन के सदस्यों के ऊपर झूठा आरोप लगाया कि संजय सिंह जिन्दा है और हमने मरने की बात की ।

सभापति महोदय :- मैंने वह विषय ही समाप्त कर दिया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, विषय कैसे समाप्त हो गया । जब एक विषय को आप विलोपित करने की बात करते हैं तो दूसरे विषय को आप कैसे कर सकते हैं । यह दोहरी बात नहीं चलेगी ।

सभापति महोदय :- उस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, यह दोहरी बात नहीं चलेगी । अगर वे चर्चा करें तो चर्चा स्वीकार्य है । हम चर्चा करें तो नाम विलोपित किया जाये, यह कहां की बात हो गई ? माननीय सभापति जी, यह कैसे व्यवस्था है ?

सभापति महोदय :- आप उस पर बात नहीं कर सकते ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- यह आसंदी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- आप आसंदी पर इस प्रकार से आक्षेप नहीं लगा सकते।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, आप आसंदी का कितना सम्मान कर रहे हैं, यह पूरे सदन ने देख लिया है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मुझे आपसे शिक्षा नहीं चाहिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, मुझे भी आपसे शिक्षा नहीं चाहिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मुझे आपसे शिक्षा नहीं चाहिए । आप कितना सम्मान कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, मैं आसंदी से बात कर रहा हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- आसंदी के ऊपर इस प्रकार से आक्षेप लगाना उचित नहीं है ।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, आप विषय से भटक रहे हैं । आप अपने विषय पर चर्चा कर लें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, मैं विषय पर ही बोल रहा हूं ।

सभापति महोदय :- आप स्थगन के विषय तक सीमित रहें ।

श्री अमरजीत भगत :- आप खूब भाषण दीजिए, पर आसंदी के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप लगाना कदापि उचित नहीं है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, शर्मा जी जान-बूझकर ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, ताकि सदन में बवाल आये । वे इसके विशेषज्ञ हैं ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय सभापति जी, पीसीसी अध्यक्ष जोर से उछलकर खड़े होते हैं और जोर से उछलकर खड़े होने के बाद में जब उनके क्षेत्र के किसान खुद मर गए, किसान सिर्फ मरे ही नहीं, उसमें उन्होंने तहसीलदार को सस्पेंड किया । मतलब यह प्रमाणित हुआ है कि रकबे की कटौती हुई है । यदि इस बात का उल्लेख यदि सदन में नहीं होगा तो कहां होगा । इसलिए उनके खिलाफ में कोई द्वेषपूर्ण बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे किसानों की कितनी चिन्ता कर रहे हैं, यह तो आना ही चाहिए न ।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, आप यह विषय समाप्त करें । मेहरबानी करके स्थगन के विषय-वस्तु तक सीमित रहें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, मैंने अपने स्थगन में कोण्डागांव के किसान का जिक्र किया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, आप सभापति हैं, इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं । आपने भी विपक्ष की भूमिका निभाई है, परन्तु हम कुछ गलत बोलेंगे, असंसदीय बोलेंगे तो आपको सचिवालय तुरंत आपको बतायेगा, परन्तु अगर आप बार-बार हम लोगों के विषय में, हमारे भाषणों में आप स्वयं अगर वह करेंगे तो मुझे लगता है कि यह उचित नहीं होगा ।

सभापति महोदय :- वे मरकाम जी पर आरोप लगा रहे थे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आरोप नहीं लगा रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, मैंने आरोप नहीं लगाया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम आरोप नहीं लगा रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, हमारे स्थगन के विषय में है कोण्डागांव ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, हमने स्थगन का जो विषय लिखा है, उसके बारे में बोलने का अवसर दें तो ज्यादा औचित्यपूर्ण रहेगा ।

सभापति महोदय :- उस विषय में मरकाम जी की बात कहां से आ गई ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह ज्यादा औचित्पूर्ण रहेगा और आप बोलने का अवसर दें ।

सभापति महोदय :- चलिए, ठीक है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। हम उनके बारे में नहीं बोल सकते, जो सदन में आकर स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। यदि किसी सदस्य के बारे में हमने कहा है और वह सदन में मौजूद है और यदि वे स्पष्टीकरण दे सकते हैं तो हम उनके खिलाफ बोल सकते हैं । यह नियम, प्रक्रियाओं में है । जो दीर्घा में मौजूद हैं, हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, यह नियमों में है।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, अपनी बात कहें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, गिरदावली के नाम पर किसानों की 20 से 25 प्रतिशत रकबा काट दिया गया । किसान आवेदन लेकर घूमते रहे । शासन ने आदेश जारी किया कि इस तारीख तक किसान का अगर गिरदावरी का रकबा कटा है तो वह उसको सुधरवा सकते हैं । पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में किसानों ने अपने गिरदावली के रकबे को सुधारने के लिए तहसील आफिस में आवेदन लगाया, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि न किसान को उसके आवेदन की पावती दी गई और न उसका रकबा सुधारा गया और बाद में सारे आवेदन जला दिए गए और आप बोलेंगे तो जो अधिकारी-कर्मचारी आवेदन जला रहे थे, मैं उसकी वीडियो क्लिपिंग आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- किसानों के उन आवेदनों को जब तहसीलदार जला रहे थे तो उन आवेदनों को जलाते हुए शर्मा जी ने देखा भी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, धान खरीदी में बारदाने का मामला आया। आज मेरा एक प्रश्न था और उस प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 4.45 लाख गठान समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिये लगेगी। अभी तक 1.31 लाख गठान उपलब्ध है। 3 लाख 13 हजार 283 लाख गठान अभी कम है। इन्होंने जो आदेश दिया है, इन्होंने 1.45 लाख खरीदने का अलग आदेश दिया है, 70 हजार गाठ खरीदने का आदेश अलग दिया है। उसके बाद भी 1 लाख 3 हजार गाठ बारदाने की कमी रहेगी। माननीय सभापति जी, माननीय कृषि मंत्री जी का समाचार पत्रों में बयान छपा कि हमको बारदाना केन्द्र सरकार नहीं दे रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि केन्द्र ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिये छत्तीसढ़ को कब बारदाना दिया। समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिये बारदाना खरीदने का काम हमेशा प्रदेश की सरकार करती है। अपनी असफलता को छिपाने के लिये केन्द्र पर

आरोप लगाना कि केन्द्र हमको बारदाना नहीं दे रही है। स्वयं मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि कितने बारदाने खरीदे गये। (व्यवधान) एक लाख गठान...।

श्री अमरजीत भगत :- या तो आपको जानकारी नहीं है या जबर्दस्ती भोले बनते हो।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, आपकी सभी बातें आ गयी।

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री किसानों के समर्थन में अनशन में बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन शर्मा जी, जो आरोप लगाते हैं, ये तो इनके तथ्यात्मक में रहता है या तो इनको जानकारी नहीं है। हुल जुलूल कुछ भी बात करते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- इसी वरिष्ठ मंत्री ने सार्वजनिक बयान दिया था कि नये धान खरीदी के पहले किसानों को अगर चारों किस्त नहीं मिली तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दूंगा। कहां है माननीय, जो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, आज वे उपवाश की नौटंकी कर रहे हैं। इस्तीफा देने वाले कहां हैं ?

श्री अमरजीत भगत :- आपके बगल में जो मंत्री बैठे हैं, शिवरतन जी, अजय चंद्राकर ने भी इस्तीफे की बात की थी। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- कार्यसूची के पद 3 तक कार्य पूर्ण होने तक भोजन अवकाश के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूं, सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गयी।)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, इस्तीफा देने के बजाय (व्यवधान) ये कर्जा माफी की बात करते हैं। आपसे चुनौतीपूर्वक बोलता हूं कि पूरे प्रदेश में 25 प्रतिशत से ज्यादा किसानों को पूरा कर्जा माफ नहीं हुआ। अभी उनकी कर्जा माफी बाकी है।

श्री अमरजीत भगत :- आप किसी की सुनते नहीं हो। अजय चंद्राकर जी ने इस्तीफे की बात बोली थी, माननीय शिवरतन शर्मा जी जो बात कर रहे हैं, अजय चंद्राकर जी ने घोषणा की थी कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, उन्होंने दिया क्या ?

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, बैठिये।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, लगातार मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, (व्यवधान) मोहन मरकाम जी के नाम लेने पर। (व्यवधान) कैसी व्यवस्था आ रही है।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- मेरा आपसे एक आग्रह है, जिस बात को माननीय मंत्री जी ने बार बार उपयोग किया। हमने केन्द्र सरकार से बोला, केन्द्र सरकार ने बोरा नहीं दिया। अब यह

बात तो चर्चा में आना ही है ना, तो मंत्री जी को उत्तेजित होकर खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। शिवरतन जी, अपनी बात रख रहे हैं। आप यदि हर बात में खड़े होंगे तो उसमें चर्चा क्या करेंगे। इसलिए मंत्री जी विधायक नहीं हैं, मंत्री हैं और मंत्री जी को शांति से सुनना चाहिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, नेता जी, इस बात को भी देख लीजिए कि शर्मा जी ने यह कहा कि तहसीलदारों ने आवेदनों को जला दिया। शर्मा जी की व्यवस्था में देख लीजिए आया है। किसानों ने जो आवेदन दिया, वह जला दिया गया। इन्होंने कितने लोगों के आवेदनों को जलाते हुए देखा है। कितने तहसीलों के आवेदन को जलाते देखा है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय कृषि मंत्री जी, (व्यवधान) मैं जब बोलता था तो परसों क्या परिस्थिति बनी थी। (व्यवधान) आज क्या परिस्थिति बन रही है, आप्सन बराबर होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। (व्यवधान) और मेरा नाम कितनी बार लिया गया। अब उन्होंने एक बार नाम लिया, तो इस सदन में क्या हुआ, आप देख रहे हैं और दुर्भाग्य है कि आप दोनों चुप बैठे हुए हो।

सभापति महोदय :- माननीय चंद्राकर जी, बैठ जाईये। शिवरतन जी, खत्म करिये।

श्री अमरजीत भगत :- इस्तीफा मत दीजिए, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दो। लेकिन आपने कहा था।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, किसानों के आवेदन को जला दिया गया, इस बात का उल्लेख किया गया है। छत्तीसगढ़ के किसानों के धान के रकबे को सुधारने का आवेदन तहसील में दिया, उस आवेदन को तहसीलदारों ने जला दिया। इन्होंने बोला है, आप देख लीजिए। आपने तहसीदार को आवेदन जलाते देखा है क्या?

श्री शिवरतन शर्मा :- हां, मैंने बोला है।

सभापति महोदय :- बैठिये। शिवरतन जी, कृपया खत्म करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, आज के समाचार पत्रों में एक बड़ा समाचार छपा है और समाचार ये है कि किसान बारदाने खरीदकर धान बेच सकता है। किसान बारदाना 30 रूपये का खदीदेगा और कीमत वापस 15 रूपये की मिलेगी। क्या सच्चाई है ? (शेम शेम की आवाज) आज के समाचार-पत्रों में यह समाचार है। माननीय सभापति जी, आज हालत यह है कि मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में कबीरपंथ का अन्तर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। कबीरपंथ के लोगों ने जो जमीन दान की है, वह लगभग सौ एकड़ से ऊपर जमीन है। हर साल उसका पंजीयन अधिया, रेगहा वालों को हो जाता था। उन लोग आवेदन दे-देकर थक गये। उनका आज तक पंजीयन नहीं हुआ है। बृहस्पत सिंह जी जो बोल रहे हैं, तो यदि आप बोलेंगे तो मैं प्रमाण दे दूंगा, जलाते हुए क्लिपिंग है। उसमें आपके राजस्व विभाग के कर्मचारी मिल जायेंगे और बोलते हुए मिल जायेंगे।

माननीय सभापति जी, पूरे प्रदेश में किसान परेशान हैं। इस साल सबसे अच्छी बात यह थी कि बम्फर क्रॉप है। अगर सरकार इस साल ईमानदारी से धान खरीदती तो छत्तीसगढ़ में सरकार को 110 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी करनी पड़ती। सरकार यह सारा प्रपंच चाहे गिरदावरी के नाम पर, चाहे बारदाने की कमी के नाम पर खाली इसलिए कर रही है ताकि किसान का कम से कम धान खरीदना पड़े। आप इस स्थगन को ग्राह्य करिये। हम सारे तथ्य रखेंगे।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करिये। माननीय बृजमोहन जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, आपने स्थगन की ग्राह्यता पर चर्चा प्रारंभ करवाई है। छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं ? छत्तीसगढ़ में किसान अपने परिवार के 4 लोगों को मारकर स्वयं आत्महत्या क्यों कर लेता है ? छत्तीसगढ़ के पाटन में 4-4 लोगों की हत्या क्यों हो जाती है ? सभापति महोदय, मुझे लगता है कि हमें गंभीरता के साथ जांच करवानी चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं, इस बात का सर्वे कराना चाहिए, इसका निदान कराना चाहिए कि आखिर किसान को आत्महत्या के लिए क्यों मजबूर होना पड़ता है ? यह बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है। मैं मंत्री जी का जवाब पढ़ रहा हूं। माननीय मंत्री जी आप बोल रहे हैं कि प्रकाश तारक की मानसिक स्थिति खराब थी, उसका ईलाज चल रहा था। आप जरा बताईये कि उसका कहां ईलाज चल रहा था ? आपके पास कोई प्रिसस्क्रप्सन है ? पुलिस कुछ भी कह देगी ? कम से कम मृतकों के प्रति हमारी संवेदना होनी चाहिए। मैं समाचार-पत्रों में पढ़ता हूं कि मृतक की पत्नि का गलत चाल-चलन था। यह कोई छपने की चीज है ? सरकार को शर्म आनी चाहिए। कम से कम मृतक के बारे में इस प्रकार की बातें न कहे। मृतकों के बारे मे इस प्रकार की दुर्भाग्यजनक बातें ..।

श्री धनेन्द्र साहू :- आप जानकारी लेने अकेले चले जाईये। उनके परिवार वालों ने बताया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अकेले कुछ भी कहे, आप सार्वजनिक रूप से मत कहिये।

श्री धनेन्द्र साहू :- सार्वजनिक रूप से परिवार वालों ने बताया है। आपको तो फोटोसेशन कराना है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सार्वजनिक रूप से समाचार-पत्रों में मत कहिये। माननीय सभापति जी, मृतक व्यक्ति चाहे जैसा भी रहा हो, मरने के बाद उसकी बुराईयों की चर्चा नहीं करते, उसकी अच्छाईयों की चर्चा करते हैं। यह परम्परा बन गई है।

श्री धनेन्द्र साहू :- यह सरकार नहीं कह रही है। इस बात को उसके परिवार वाले कह रहे हैं। उसके परिवार वाले कह रहे हैं, उसी को पुलिस कह रही है। परिवार वालों का ही बयान है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- धनेन्द्र जी, आप तो किसान हैं, वरिष्ठ नेता हैं। परिवार कहे, ठीक है। परन्तु समाचार-पत्रों में यह नहीं छपना चाहिए। उनके बच्चों का क्या होगा ?

श्री धनेन्द्र साहू :- बिलकुल छपा है, उसके परिवार वालों ने बयान दिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनके बच्चों की क्या हालत होगी ? वे बच्चें कहीं मुंह दिखा पायेंगे कि वे उस मां के सुपुत्र हैं ? यह नियम है कि लड़कियों का नाम, महिलाओं का नाम प्रकाशित नहीं किया जाता है। आप नाम प्रकाशित कर रहे हैं। परन्तु उसके साथ उनके बारे में भी जानकारी रहे हैं। माननीय सभाति महोदय, माननीय गृहमंत्री जी बैठे हैं, माननीय कृषि मंत्री जी, जो हमारे संसदीय कार्यमंत्री हैं, खाद्य मंत्री बैठे हैं, हमारे सहकारिता मंत्री बैठे हैं, मै कहना चाहूंगा कि आप जरा एक बार इस बात का अध्ययन करवा लीजिये। आपने सदन में जवाब दिया, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु आप अध्ययन करवा लें। माननीय खाद्य मंत्री जी, आपकी गलती नहीं है। आपके अधिकारी एक महीने तक डी.ओ. जारी नहीं किया इसलिए 13 करोड़ का धान सड़ रहा है। आपकी जानकारी में भी नहीं है। हो सकता है कि आपका निर्देश नहीं मान रहे हो। क्यों 13 सौ करोड़ रूपये का धान सड़ा ? आप भी जानते हैं कि जो कुछ नहीं है, अधिकारी मनमानी करते हैं, आपके मंत्रिमण्डल की उप समिति की रिपोर्ट को भी लागू नहीं करते हैं। समय पर बारदाने की खरीदी क्यों नहीं की ? किसकी गलती है ? पहले क्यों आर्डर नहीं दिया ? मैं भी कृषि मंत्री रहा हूं। मुझे भी जानकारी है कि पहले साल के खरीदी के समय ही दूसरे साल के लिए बारदाना खरीदने की तैयारी हो जाती है। अगर कोई अव्यवस्था होती है तो उसको सुधारा जाता है। परन्तु आपके पास वह व्यवस्था नहीं है । देखिए, गलतियों को सुधारेंगे तब छत्तीसगढ़ के किसानों की ठीक तरह से सेवा कर पायेंगे। आप गलतियों को छिपाने की कोशिश मत करिये।

श्री अमरजीत भगत :- जितनी बात आप बोल रहे हैं ना, दिल्ली वालों से भी कभी-कभी बात कर लिया कीजिए। दिल्ली वाले एकदम नहीं सुन रहे हैं और किसानों के मामले और छत्तीसगढ़ के मामले में तो एकदम से उनका रूख नकारात्मक है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अमरजीत जी, सच्चाई को स्वीकार कर लो कि आपके विभाग में आपकी चलती नहीं और कोई अन्य व्यक्ति आदेश देता है। इस बात को आप स्वीकार कर लो।

सभापति महोदय :- मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य बोल रहे हैं, टोकाटोकी कोई न करे। इससे समय जाया होता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, मुझे कई बार बहुत हंसी आती है।

श्री अमरजीत भगत :- रमन सिंह जी की तरफ देखकर हंसा करिये। इधर-उधर देखकर मत हंसा करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, शादी आप कर रहे हैं और बच्चा दूसरे को पैदा करने के लिए बोल रहे हैं? पुरूषार्थ होना चाहिए। केंद्र सरकार के बिहॉफ में आप धान खरीदते हैं। हर चीज के लिए केन्द्र सरकार। बारदाने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र की नहीं है, यह राज्य की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार आपको सहयोग करती है।

श्री अमरजीत भगत :- जूट कमिश्नर, भारत सरकार को देना रहता है, आपको मांग करना रहता है। हमने मांग की, आपके भारत सरकार ने नहीं दी। आपने एक बार भी चिट्ठी लिखी क्या, एक बार भी बयान दिया क्या, एक बार भी आप लोगों ने कहीं कहा क्या? किसानों के बारे में एक बार भी भारत सरकार को आपने कहा क्या? नहीं कहा। आप लोग किसानों के बारे में इस प्रकार से दिखावा करना बंद करें।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- आपका पैसा आप देंगे तब तो जूट कमिश्नर देगा। जब आप पैसा जमा करेंगे तब तो जूट कमिश्नर देगा। आज की प्रश्नोत्तरी में आपका जवाब आया है कि 8 सितंबर को आपने जूट कमिश्नर को Requisition लेटर भेजा।

सभापति महोदय: - सौरभ सिंह जी यह उचित नहीं है। माननीय मंत्री जी कृपया कार्यवाही चलने दें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, जूट कमिश्नर आपको बारदाने की सप्लाई करे यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है। बारदाना कहां से खरीदना है यह सरकार को तय करना है कि वह बाजार से खरीदेगी या किसानों से खरीदेगी या राईसमिलर्स से खरीदेगी या राशन दुकान से खरीदेगी या जूट कमिश्नर से खरीदेगी या प्रायवेट प्रोडक्सन वालों से खरीदेगी। यह आपकी जिम्मेदारी है। मुझे मालूम है, आप गुमराह मत करो।

श्री अमरजीत भगत :- या तो आपने पालिसी पढ़ा नहीं है, आप मनगढ़ंत बात कर रहे हैं। आपने नहीं पढ़ा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, मैंने पढ़ लिया है। मैंने पूरा पढ़ा है, मुझे आदेश बता दो कि कहां आवश्यक है कि आप जूट कमिश्नर से खरीदेंगे। आप किसी से भी बारदाना खरीद सकते हैं। बारदाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है। समाचार पत्रों में छपवाने के लिए ठीक है कि जूट कमिश्नर हमको बारदाना नहीं दे रहा है। कम से कम सदन में तो असत्य मत बोलिए। बारदाने की जिम्मेदारी आपकी है और अगर बारदाना सोसायटियों में नहीं है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आपकी सरकार जिम्मेदार है। किसान जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- ये जितनी बात बोल रहे हैं, एक चिट्ठी तो भारत सरकार को लिखते, एक तो बयान देते। नीति में है कि भारत सरकार को उसमें बारदाना उपलब्ध कराना है। अगर केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है तो आप लोग एक बार बोले क्या?

सभापति महोदय :- आप जल्दी कर लें इसके बाद माननीय धर्मजीत सिंह जी को पुकारूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, मेरी बात पूरी कहां हुई है। मुझे बार-बार टोकाटाकी कर रहे हैं। मैं वास्तविक और एकदम अलग बात कर रहा हूं, जिन बातों पर यदि सरकार ध्यान देगी तो मुझे लगता है कि पूरा मंत्रि-मंडल उपस्थित है, क्योंकि धान पूरे छत्तीसगढ़ की आत्मा है। धान

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है। धान छत्तीसगढ़ के किसान का जीवन है। अगर इसको हम ठीक कर लेंगे हमारे समय भी 15 सालों तक हमने धान खरीदा है। गिरदावली बरसात में होती है? क्यों उसने गिरदावली करने का आदेश दिया? क्यों आपने निकाला? क्यों हमारे कोंडागांव के किसान को आत्महत्या करनी पड़ी? आपने क्यों तहसीलदार को सस्पेंड किया? माननीय सभापति महोदय, इन सब बातों का जवाब नहीं आ रहा है इसलिए आपको इस स्थगन को स्वीकार करना चाहिए। और हम तो चाहते थे, मैंने शुरूआत में ही कहा कि ये दुर्भाग्यजनक है कि चार विभागों से जुड़ा हुआ विषय है और एक विभाग की सेक्रेटरी बैठी हैं और वह भी लेट आई हैं और बाकी विभागों के अधिकारी उपस्थित नहीं हैं यह सरकार की क्या दशा है? इस सरकार की क्या दिशा है? इस सरकार का कोई वजूद है?

सभापति महोदय :- चलिए, इस स्थगन से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, यह आपके सम्मान का सवाल है। आप जरा देखें, आप उधर देखें कि इस विधानसभा का इतना अपमान कि छत्तीसगढ़ की आत्मा की जब बात हो रही है तब कोई अधिकारी उपस्थित नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, बृजमोहन जी की इधर-उधर देखने की पुरानी आदत है। आप सामने देखकर बात करिये। सब मंत्री बैठे हैं, कितने बैठे हैं।

सभापति महोदय :- माननीय अमरजीत जी, मेहरबानी करके चलने दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, जो यहां पर किसानों ने आत्महत्या की है जरा आप उसको मजाक में मत लीजिए। चाहे वह हमारे समय हुई हो या आपके समय हुई हो। हमको इसकी चिंता करने की जरूरत है। स्वाभाविक आत्महत्या तो समझ में आती है, परंतु आत्महत्या खेती किसानी के कारण, कीटनाशन के कारण, गिरदावली के कारण अगर कोई आत्महत्या करता है तो यह गंभीर मामला है और इसके ऊपर में आपको ध्यान देने की जरूरत है।

सभापति महोदय :- आपको बहुत धन्यवाद्।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि हमने परसों इस बात को कहा था कि जो किसानों की मृत्यु हुई है उसमें 35, 40, 50 साल के बहुत कम उम्र के लोग भी हैं उनके परिवार, बच्चे छोटे-छोटे हैं। उनके परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। ऐसे किसानों को कम से कम 25 लाख रूपये का मुआवजा देना चाहिए और जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण उन किसानों ने आत्महत्या की है उन अधिकारियों के खिलाफ में कार्यवाही होनी चाहिए और क्योंकि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में इन सब बातों का उल्लेख नहीं किया है। जो 4 मंत्रियों का संयुक्त जवाब आना चाहिए, वह संयुक्त जवाब नहीं आया है। आप इसलिये इसको स्वीकार करें और स्वीकार करके इस पर चर्चा करवायें। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, आपने हमारे स्थगन की ग्राह्यता पर चर्चा की अनुमति दी है उसके लिए आपका आभारी हूँ।

माननीय सभापति महोदय, चाहे वह कोई भी प्रदेश हो, चाहे वह किसी भी दल की सरकार हो अगर उस प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है तो इस सरकार को हम इस स्थगन के माध्यम से आईना दिखाना चाहते हैं। अगर किसान की आत्महत्या को लिपापोती करके उसे सामान्य मौत, परेशानी की मौत या विक्षिप्त अवस्था की मौत बताना चाहते हैं तो मुझे आपकी सोच पर कुछ नहीं कहना है।

माननीय सभापति महोदय जी, मेरे पास भी कुछ किसानों के नाम हैं तारीख सहित हैं जिसका आप लोगों ने अभी जिक्र किया है। मैं उसमें से सिर्फ एक किसान का नाम भी नहीं लूंगा। उसके सिर्फ आत्महत्या का कारण पढ़ना चाहता हूँ। 3 बार दवाई छिड़काव के बाद भी फसल नहीं सुधरा जिससे फांसी लगाकर आत्महत्या उसको करना पड़ा।

माननीय सभापति महोदय जी, किसान बाजार में जाता है और सरकार की दवाईयों को खरीदता है जो बीज निगम से सप्लाई होती है और वह सरकार के भरोसे में आपकी विश्वसनियता पर, उसको लेकर, जाकर अपने खेत में छिड़काव करे और उसकी फसल बर्बाद हो तो यह व्यवस्था सरकार की है जिस पर प्रश्नवाचक चिन्ह स्वाभाविक रूप से उपस्थित होता है। मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है गृहमंत्री जी आप गये थे और पिछले सत्र में जब आपने कृषि उपज मण्डी विधेयक लाया था तो मैंने कहा था कि बीज निगम में जो सप्लाई का काम होता है उसमें भयंकर भ्रष्टाचार है। वहां 4 लोग सप्लाई करते हैं मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यह कह सकता हूँ कि उसमें एक दाल तड़का बनाने वाला जो ढाबा चलाता है वह सप्लाई करता है। आप उस व्यवस्था को नहीं सुधार सकते। अगर आप उस व्यवस्था को सुधारते तो यह किसान नहीं मरता। इस सरकार में आप बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि किसानों को उच्च कोटि का सामान मिले। उनको अच्छे स्तर का बीज, खाद मिले। ये दाल तड़का बेचने वाले लोग जो कृषि का "क" भी नहीं जानते हैं वह क्या बीज निगम में सप्लाई करेंगे और आपके संरक्षण में इस तरीके की सप्लाई हो और सरकार के संरक्षण में घटिया और नकली माल बिके और किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो तो क्या हम चर्चा नहीं करायें ? इसलिए हम चर्चा कराना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपने गिरदावली में कम करा दिया। आपके तहसीलदार, एस.डी.एम. गिरदावली मनमाने तरीके से कर रहे हैं। मैं अभी अपने विधान सभा क्षेत्र के दौरे में था। वहां पर एक आदमी पर्ची रखकर आया, बोला भईया मैं पिछले साल धान बेचा हूँ और मेरा नाम काट दिये। मुझे कलेक्टर के पास जाना पड़ा। कुछ लोग आये कि हमारा नाम ही नहीं जुड़ रहा है हम परेशान हैं। पण्डरिया विधान सभा के कोकडोर और कामठी में मैं गया था वहां के लोगों ने कहा कि हमारा नाम काट दिये हैं जोड़ नहीं रहे हैं। मैं जंगल से फोन किया और तहसीलदार के पास भेजा। पता नहीं जुड़ा या नहीं जुड़ा । अगर आप अफसरशाही के हाथ में लगाम नहीं लगायेंगे तो किसानों के मनमर्जी तरीके से रकबे

काटे जा रहे हैं और माननीय मंत्री जी, उनको आप परेशानी में झोंकने का काम रहे हैं। यहां बैठ करके लीपापोती वाला जवाब दे करके आप बच नहीं सकते। इन किसानों के आत्महत्या का जुर्म आपके सिर पर ही आने वाला है क्योंकि सरकार में आप बैठे हैं।

माननीय सभापति महोदय, धान के टोकन में समस्या है। धान का टोकन लेने के लिए लोगों को रात-रात भर रतजगा करना पड़ा। आप कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते थे कि किसानों को टोकन भी कम से कम इज्जत और सम्मान से मिल सके। इस प्रदेश में धान खरीदी की शुरूआत स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने की थी। यह धान की खरीदी चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, इस धान की खरीदी को किसी को भी रोकने की हिम्मत नहीं है और न कोई रोक सकेगा। जब आप जानते हैं कि लाखों टन धान खरीदी होना है तो 6-8 महीने पहले से तैयारी क्यों नहीं करते हैं? बीज निगम में उच्च कोटि के बीज के लिए 15 हजार किसानों ने धान बेचा है। उनका भी भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। क्यों भुगतान नहीं हुआ? अगर उनका इतने दिन तक भुगतान नहीं हुआ है, अगर वह आत्महत्या कर ले तो आप बोलेंगे कि उसका दिमाग खराब था।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- बीज निगम का पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ है।

श्री धर्मजीत सिंह :- पिछले साल का। फिर आप बोलेंगे कि उसकी पत्नी चरित्रहीन थी।

सभापति महोदय :- माननीय धर्मजीत जी, कृपया संक्षेप में अपनी बात टू द प्वाईन्ट कहें। रिपीटेशन न हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति जी, दो ही लकीर तो बोला हूं। आप रिकार्ड देख लीजिए। मैं बिल्कुल संक्षेप में करता हूं। अगर कोई किसान आत्महत्या करेगा तो आप बोलेंगे कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था। मतलब मानसिक रूप से सिर्फ आप लोग अच्छे हैं। उसकी पत्नी चरित्रहीन थी। उसके लिए यहां पर तर्क दिये जा रहे हैं। इस तरह की बातों को सार्वजनिक रूप से कहना सामाजिक रूप से बहुत ही घोर अपराध है। माननीय सभापति जी, मैं एक-दो बात कह कर अपनी बात खत्म कर दूंगा, आपकी बात का पालन करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, बोरा की समस्या है। बोरा की समस्या हर साल आती है, आप क्या कर रहे थे, आपने बोरा खरीदा क्यों नहीं? जब आप किसानों को बोलते हैं कि बोरा खरीद करके आप धान बेच सकते हैं तो सरकार में आप बैठे हैं तो आप सरकार की तरफ से कहीं से भी बोरा खरीद लेते। एस.डी.एम. आर्डर कर रहा है कि जो राशन दुकान वाले हैं, जितना बोरा चावल बेचे हैं, उतना अगर आप 100 प्रतिशत राशन का बोरा नहीं देंगे, आपकी दुकान निलंबित कर दी जायेगी। वह बोरा कहां से लायेगा? क्या राशन दुकान वाले को मालूम था कि आप धान खरीदी के लिए बोरा मागेंगे? 100 में से 70 बोरे देने के बाद भी उसको नोटिस मिल रही है, उसकी दुकान निरस्त करने की कार्यवाही हो रही है। आपको बोरा चाहे दिल्ली की सरकार दे या न दे, आपको धान खरीदना ही पड़ेगा। अगर दिल्ली की

सरकार बोरा नहीं देगी तो क्या आप यह बोल देंगे कि धान के लिए बोरा दिल्ली सरकार ने नहीं दिया तो हम धान नहीं खरीदेंगे? इस प्रदेश में बगावत हो जायेगी। माननीय मंत्री जी आप लोगों का निकलना दुभर हो जायेगा। जनता को इस बात से मतलब नहीं है कि दिल्ली की सरकार ने बोरा दिया या नहीं दिया। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप बोरे का इंतजाम करें। अच्छा चलिये, आपको बोरा नहीं मिला, पानी गिरा तो नहीं खरीदे। आजकल आप लोग पहली बार शनिवार, रविवार को छुट्टी की घोषणा कर रहे हैं। वहां जो धान पड़ी हुई है उसका ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं हो रहा है? उसमें आपको कौन सी अनुमति दिल्ली की सरकार की चाहिए। माननीय सभापति जी, आपका पूर्व विधानसभा क्षेत्र मंदिरहसौद और आरंग में, मैंने कल ही अखबार में पढ़ा कि वहां 3 लाख टन धान का उठाव नहीं हुआ है। इसी तरह से पूरे प्रदेश में लाखों टन धान का उठाव आपके ट्रांसपोर्टर लोगों ने नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्या आप यह बतायेंगे कि ट्रांसपोर्ट का टेंडर हुआ या नहीं हुआ? उसकी स्वीकृति हुई या नहीं? यदि स्वीकृति नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? अगर स्वीकृति हो गई है तो आपके ट्रांसपोर्टर धान का उठाव क्यों नहीं कर रहे हैं? इस तरीके से आप कुछ भी बयानबाजी करके अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। आपको शायद अनुभव न हो, लेकिन हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं। गांव के हर किसान केन्द्र में लोग बहुत दु:खी हैं। सरकार की व्यवस्था चकनाचूर, कोलेप्स हो चुकी है। धान की खरीदी के नाम पर पिछले साल ही कवर्धा-जबलपुर हाईवे चक्काजाम किये थे। इधर जगदलपुर का हाईवे चक्काजाम हुआ था। अभी तो धान खरीदी में बहुत समय है। मैं आपको फिर सचेत करना चाहता हूं किसानों को चक्काजाम भी करने की स्थिति आ सकती है। किसान और भी आगे आत्महत्या कर सकते हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए हमने ये स्थगन लगाया है।

सभापति महोदय :- माननीय अजय चन्द्राकर जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति जी, एक मिनट। आपने तो अभी जो पिछले बार एक मंडी कानून लागू किया, उसमें लिख दिया कि जो किसान गलत जानकारी देगा उसको 6 महीने के लिए जेल भेज देंगे । अब जेल भेजने का भी प्रावधान आपने विधानसभा में करा लिया है, आपके अधिकारी उसको अपनी परिभाषा में पढ़कर किसानों को जेल भी भेज देंगे । आपके एस.डी.एम., आपके तहसीलदार बिल्कुल निरंकुश होकर काम कर रहे हैं और आप लोग अधिकारियों की हां में हां मिला रहे हैं, आप प्रेक्टिकल नहीं हैं, आपको गांव में जाना चाहिए, आपके 12 मंत्रियों को जाकर धान खरीदी केंद्रों में खड़े होना चाहिए, देखना चाहिए, सरप्राईज विजिट करना चाहिए, आप सहित मिलाकर के 70 एम.एल.ए. हैं, उनको भी धान खरीदी केंद्रों में जरा भेजिए तो, कितना आक्रोश है आपको पता चल जाएगा और आपकी अव्यवस्था के कारण यदि किसान आत्महत्या करेगा तो इस सरकार के माथे पर सबसे बड़ा काला दाग होगा और मैं आपके माध्यम से यह मांग भी करना चाहता हूं कि ये जितने किसान मरे हैं, जिनका हम लोगों ने जिक्र किया है उनको आप कम से कम आर्थिक रूप से पैसे का सहयोग करिए और उनके

परिवार के लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने का रास्ता प्रशस्त करिए और धान खरीदी की व्यवस्था का सतत् निरीक्षण करिए । जो प्रेक्टिकल परेशानी है उसको दूर करने का प्रयास करिये इसलिए हमने यह स्थगन रखा था । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको थोड़ा सा 2-3 पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा । सबसे पहले आज एक वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे माननीय टी.एस. सिंहदेव किसानों के समर्थन में उपवास किया, कर रहे होंगे और जाकर बैठेंगे, हो सकता है । दूसरी बात, परसों एक बात हुई कि मैं बार-बार खड़ा हुआ । जितनी बार श्री अमरजीत भगत जी खड़े हुए हम लोगों के बोलने में शायद एक लाईन भी हम बोल देंगे तो शायद बात दूसरी हो जाएगी । इतना दबाव हमारे ऊपर है, तीसरी बात मेरा नाम आया, आपने नाम पर व्यवस्था दी कि माननीय मोहन मरकाम जी वरिष्ठ सदस्य हैं ।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, जो बात हो चुकी उस पर चर्चा नहीं होगी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं बोलूंगा, मेरा अधिकार है । मैं क्या बोल रहा हूं उसको सुन तो लीजिए । आप बिना बोले व्यवस्था दे रहे हैं । मैं क्या बोल रहा हूं उसको सुन तो लीजिये ।

सभापति महोदय :- श्री मोहन मरकाम जी के बारे में चर्चा हो चुकी है उस पर कोई बात नहीं होगी ।

श्री अजय चंद्राकर :- मेरी बात तो सुन लीजिए । बिना सुने आप व्यवस्था दे रहे हैं ।

सभापति महोदय :- तो आप ऐसी बात को क्यों कह रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- तो मैं क्या बोलूंगा, उसको तो सुन लीजिए फिर आप विलोपित करा दीजिएगा ।

सभापति महोदय :- चलिये, कहिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- [XX][13]

सभापति महोदय :- शर्मा जी बैठिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम लेकर 10 बार जो अभी आप व्यवस्था दे रहे हैं, मैं आपके ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूं लेकिन 10 बार मेरा नाम उन्होंने लिया । एक व्यवस्था नहीं आयी, एक निंदा नहीं आयी और एक-बार भी नहीं कहा गया यदि मैं आपकी व्यवस्थाओं पर चलूं

[13] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

तो, यदि मैं आपकी व्यवस्था को स्वीकार करता हूं तो अब दूसरी बात मैं वहीं से अपनी बात की शुरूआत करता हूं कि हां मैंने कहा था कि मैं 10 दिन में इस्तीफा दे दूंगा ।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, स्थगन पर चर्चा करिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप कहेंगे तो फिर मैं इतनी टोका-टाकी में नहीं बोलता।

सभापति महोदय :- आप स्थगन पर चर्चा करिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं क्या बोलना चाहता हूं, आप तो वही नहीं बोलने देते हैं । मेरी बात तो आने दें, किसानों की समस्या में क्या बोलना है यह भी निर्देश आपसे मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- [XX]

सभापति महोदय :- श्री शिवरतन जी, आप बैठिए । मैंने आपको अनुमति नहीं दी । जो मेरी अनुमति के बिना बोलेगा वह कार्यवाही का अंश नहीं होगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप पूरा सुन कर जो लगेगा उसको विलोपित कर दीजिएगा ।

सभापति महोदय :- आप अपनी चर्चा करिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप मेरी बात विलोपित कर दीजिएगा ।

सभापति महोदय :- चलिये, बोलिए ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, जो जवाब आया है उसमें कर्ज माफी का आया है इसलिए कर्जमाफी वाला उल्लेख तो होगा न ।

श्री शिवरतन शर्मा :- (XX)[14]

सभापति महोदय :- श्री शिवरतन जी आप बार-बार खड़े हो रहे हैं । यह उचित नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपकी व्यवस्था ऐसी आयी तो हम क्या करें ।

सभापति महोदय :- यह उचित नहीं है । मैंने इनका जो भी कथन आया, विलोपित करता हूं । चंद्राकर जी आप बोलिए न ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं एक मिनट बोल लूं ।

सभापति महोदय :- हां ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, इस सदन की परंपरा यह है कि इस सदन के बाहर के किसी सदस्य के नाम का हम जिक्र जरूर नहीं कर सकते, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते ।

श्री अजय चंद्राकर :- जिक्र कर सकते हैं, आरोप नहीं लगा सकते ।

[14] (XX) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, इस सदन में भी हम किसी के नाम का जिक्र नहीं कर सकते, ऐसी कोई परंपरा नहीं है । हमको अगर कोई आरोप लगाना होगा तो हम आपको लिखकर देंगे और तब आरोप लगा सकते हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- हां, सीधी सी बात है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, और माननीय सदस्य भाषण में जो जिक्र कर रहे हैं वह इसलिए कर रहे हैं कि इनके ऊपर आरोप लगा कि आपने इस्तीफा देने की घोषणा दी । उसका वे स्पष्टीकरण दे रहे हैं और यहां पर किसी के लिये व्यक्तिगत रूप से आरोप नहीं लगाया है, यह एक प्रक्रिया है और हम एक विषय पर ध्यानआकृष्ट करने के लिये यहां पर खड़े हुए हैं । माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण बहुत जरूरी है । फ्री एण्ड फेयर बोलने की अनुमति आप इनको दे दीजिए ।

सभापति महोदय :- स्थगन की विषयवस्तु तक सीमित रहकर बोलें । समय का ध्यान रखें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपका संरक्षण रहेगा तभी वे बोल पाएंगे अन्यथा वे बोल भी नहीं पाएंगे ।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, आप बोलिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि जो बात अप्रिय लगे आप विलोपित करवा दीजिएगा लेकिन मुझे बोलने दीजिए ।

सभापति महोदय :- ठीक है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 10 दिन में इस्तीफा दे दूंगा यह कहा था, यह किसानों की समस्याओं से जुड़ा है । माननीय सिंहदेव साहब ने जब कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाया तो उन्होंने लिखा कि किसानों की ऋण माफी । किसानों के लिए उपवास में बैठने वाले महान नेता टी.एस.सिंहदेव साहब ने यह कहीं पर नहीं लिखा था कि अल्पकालिक ऋण की माफी होगी । आज की तारीख तक जब मैं बोल रहा हूं, पूरे कर्जों की माफी नहीं हुई, वाणिज्यिक बैंकों के कर्जों की आज भी माफी नहीं हुई है, मैं सत्य हूं । दूसरी बात, 10 दिन के अंदर किसी भी किसान को को-ऑपरेटिव बैंक के अल्पकालिक ऋण माफी का प्रमाण पत्र नहीं मिला, 4 महीने के बाद मिला । इसलिए जब सत्तारूढ़ दल के लोग जब बोलते हैं, जिनके पास सोर्सेस हैं । कितने रिसोर्सेस हैं, यह बृजमोहन जी ने बताया है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता । यहां एक ए.पी.सी. ही बैठीं हैं, हमने 10 विभागों की सूचना दी है । सभापति जी आप तो प्रताड़ित करेंगे नहीं, आप तो हम ही को कर रहे हैं । उधर कोई न आए, हमें कोई मतलब नहीं है । किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है उस सत्र से आज तक 8-9 लोगों ने और सामूहिक आत्महत्या को जोड़ लें तो 14-15 लोगों ने आत्महत्या की । उसको घुमाने की कोशिश बलरामपुर की घटना से हुई । जो हमने लिखा ही नहीं है कि मर गया। आपके सामने भी हमने अपनी नोटिस दी । वे लगातार बोलते रहे और हमको अपमानित करते रहे लेकिन उसमें कोई व्यवस्था नहीं आई । सदन में यह पहली बार हुआ कि एक जिम्मेदार नेता

किसानों के मामले में गलत वक्तव्य देने की कोशिश कर रहा है । विपक्ष को अपमानित करने का षडयंत्र, आप किसानों की राजनीति करते हैं ।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, वह विषय समाप्त हो चुका । अब आप स्थगन पर आइए । आप अपने आप को स्थगन तक सीमित रखिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय टी.एस.सिंहदेव जी, आप देशी घी हैं, आपको प्रचार की जरूरत नहीं है । किसानों के मामले में संवेदनशील रहिए । पहले साल आपने फरवही महीने तक खरीदा, तीन महीना किया । धान खरीदी की अवधि घटाई, अभी आपने 2 महीने कर दिया । 2 महीने में शासकीय छुट्टी को घटा दें तो सिर्फ 35 दिन धान की खरीदी होगी । आप क्या किसानों के हित की बात करते हैं । आप क्या बजट की बात करते हैं, जिस समय मैं बोल रहा हूं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं । आज की तारीख में अधिकांश सोसायटियों में मार्कफेड के साथ अनुबंध नहीं हुए हैं कि धान कब उठेगा, कहां पर जमा होगा, संग्रहण केन्द्रों में जाएगा तो कई जगहों में अब तक परिवहन का भी कांट्रेक्ट नहीं हुआ है । आप कहते हैं कि किसान क्यों मर रहे हैं? यह आपकी गंभीरता है कि 4 लाख 65 हजार टन यानी लगभग 50 लाख क्विंटल धान सड़ गया, 1300 करोड़ रूपए का । आपमें यह नैतिक ताकत नहीं है ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, 2003 का मेनीफेस्टो देख लीजिए, भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ । 15 साल सत्ता में रहे, आपकी सरकार ने कितने किसानों का कर्जा माफ किया (मेजो की थपथपाहट) । आज आप किसानों के हमदर्द बनते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- चलो मैं चुनौती देता हूं आप 2003 का घोषणा पत्र ला दो । आप 2003 का घोषणापत्र ला दो जिसमें भाजपा ने कहा हो कि हर किसान का कर्जा माफ । मैं चुनौती देता हूं आपको ।

श्री मोहन मरकाम :- आपका मेनीफेस्टो देख लो, आप 15 साल तक सरकार में रहे । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- 2003 का घोषणा पत्र पढ़कर बता दीजिए । उसके बाद बात होगी । (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- इतिहास पलटकर देखिए फिर बात कीजिए । धमतरी में किसानों के साथ अत्याचार किये उसका क्या होगा । धमतरी में किसानों को मारा है उसका क्या होगा । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- थोड़ी बहुत शर्म है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप इसे ग्राह्य कर लीजिए । हम चुनौती देते हैं पी.सी.सी.चीफ को ।

श्री मोहन मरकाम :- 2003 का घोषणा पत्र देख लो । 15 साल सरकार में रहे कितना कर्जा माफ किये, थोड़ी बहुत है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके क्षेत्र के किसानों ने आत्महत्या कर ली कुछ शर्म आती है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, माननीय कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने कहा है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में था । मैं पूरे सदन के सामने कहना चाहूंगा कि उसकी कॉपी पटल पर रख दें ।

सभापति महोदय :- कृपया कार्यवाही में सहयोग करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, वे सदन के पटल पर उसकी कॉपी रख दें ।

श्री मोहन मरकाम :- अनुमति मिले तो मैं रख दूंगा, आप ही का संकल्प पत्र।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर 2003 के घोषणा पत्र में नहीं लिखा होगा तो क्या पूरे सदन से माफी मांगेंगे ? इस बात तो वे यहां पर बोल दें ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- जिस घोषणा पत्र में होगा उस घोषणापत्र को प्रस्तुत कर देंगे ।

श्री मोहन मरकाम :- भाजपा का कहना साफ हर किसान का कर्जा माफी । गांव-गांव, गली-गली।

समय :
2:00 बजे

श्री मोहन मरकाम :- भाजपा का कहना साफ हर किसान का कर्जा माफी। गांव-गांव, गली-गली।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप कॉपी रखो न। हम आपका निर्देश चाहते हैं। हम आपका निर्देश चाहते हैं। हमारे घोषणा पत्र के बारे में हम जानते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय बृजमोहन भैय्या। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय बृजमोहन जी और अजय जी। पिछला कर्म इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा। वह तो पिछला जो गरीब किसानों का कर्जा माफ हुआ था..।

श्री मोहन मरकाम :- इसीलिए किसानों का हित नहीं किया। इसीलिए 14 सीटों में सिमट गये।

सभापति महोदय :- माननीय अमरजीत जी। माननीय मरकाम जी।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति जी, कहां कहां आया है कि घोषणा पत्र में यह लिखा हुआ था।

सभापति महोदय :- पाण्डे जी, बैठिए। एक मिनट बैठिए। चन्द्राकर जी चर्चा प्रारंभ करें।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, जब लिखा है तो ये पटल पर ले आयें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी कांग्रेस के सदस्य ने कहा कि बी.जे.पी. के वर्ष 2003 के घोषणा पत्र में हर किसान का कर्जा माफ लिखा है। हमारी जानकारी में हम यह शपथ के साथ कह सकते हैं कि ऐसा नहीं लिखा है। वे सदन में प्रस्तुत कर दें, अगर वर्ष 2003 का घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं कर पायेंगे तो क्या वे सदन में माफी मांगेंगे ?

श्री मोहन मरकाम :- क्या चन्द्राकर जी, इस्तीफा देने वाले हैं। कर्जा माफ होगा तो इस्तीफा देंगे कहा था। क्या आपने इस्तीफा दिया ?(व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- सौरभ सिंह जी, बैठिए। बार-बार खड़े मत हो। चन्द्राकर जी, यह घोषणा पत्र स्थगन का विषय नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो बोल रहा हूं। ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं-नहीं, मैं आपकी अनुमति लेकर बोल रहा हूं। मैंने नहीं उन्होंने कहा है।

सभापति महोदय :- अब कोई भी हो। चाहे उन्होंने कहा हो या आपने कहा हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- वे बोल सकते हैं। मैं नहीं बोल सकता।

सभापति महोदय :- घोषणा पत्र स्थगन का विषय नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, मोहन जी बोल सकते हैं। मंत्री जी बोल सकते हैं। मुझे नहीं बोलना है।

सभापति महोदय :- आप केवल स्थगन पर सीमित रहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- किसान का कर्ज माफी घोषणा पत्र में है। सभापति जी, वह तो चर्चा में आयेगा ही।

सभापति महोदय :- शर्मा जी बैठें।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं बोलना है तो मैं नहीं बोलूंगा।

सभापति महोदय :- शर्मा जी की कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं आयेगी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कैसे, आप कुछ भी मत लिखवाइए।

श्री शिवरतन शर्मा :- [XX][15]

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, आज विपक्ष को क्या हो गया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय..। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आप विपक्ष को क्या हो गया है?

सभापति महोदय :- नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- [XX]

सभापति महोदय :- बार-बार आप खड़े मत होहिए। मैं आपको निर्देशित करता हूं कि कृपया आप बार-बार खड़े मत होइए।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, चलिए। नहीं बोलते स्थगन पर चलो। चलिए बाहर चलिए।

श्री अमरजीत भगत :- आज ये लोग घर से लड़कर आये हैं, ऐसा लगता है।

सभापति महोदय :- डॉ. रमन सिंह जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, चलिए। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आसंदी पर इस तरह की टिप्पणी उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, हर बात पर विलोपित। चलिए बाहर चलिए।

---

[15] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

समय :
2:02 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

(माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।)

श्री अमरजीत भगत :- आसंदी के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी कदापि उचित नहीं है।

सभापति महोदय :- शासन तथा सदस्यों के वक्तव्यों को पढ़कर विचार करने के बाद मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

सभापति महोदय :- सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए 3.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(2.02 से 3.01 बजे तक अंतराल)

समय :
3:01 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन अग्रवाल जी अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों का स्थगन प्रस्ताव की ग्राहता पर चर्चा चल रही थी और व्यवधान उपस्थित हुआ, उस व्यवधान के कारण हम बाहर चले गए थे । अभी बहुत से सदस्यों का ग्राहता पर भाषण बचा है, उसको आप पूरा करवा लें और पूरा करवाने के बाद में आप अगला विषय लें, इस बात का आपसे निवेदन है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- उपाध्यक्ष महोदय, बहिष्कार करके चल देव भैया । अउ का बाचे हे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तै सुने हस का ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं सुनत रेहेंव ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- का सुने हस, तेन ला बता ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हमन जाथन, अब चर्चा नहीं करन ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कोनो नई बोलिन, कोनो कुछु नहीं बोलिस अउ बाहर चले गेन ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अईसे नहीं हे, हमन जाथन, बहिष्कार करथन केहेव।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमन काबर चले गेन, सब जानथव अउ ओला समझे के जरूरत हे । माननीय उपाध्यक्ष जी, हमन आसंदी के सम्मान करथन, एकर खातिर हमन कुछू नहीं बोले हन ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, फिर आपको ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ना है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एकर खातिर आपसे निवेदन हे कि जो स्थगन प्रस्ताव के बचे कार्यवाही हे, ग्राहता पर अभी हमर नेता जी नहीं बोले हे, अजय चन्द्राकर जी के भाषण चलत रिहीसे । केशव चंद्रा जी ला बोलना हे । छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े समस्या कोई हे तो धान खरीदी हे, ओला पूरा होना चाहिए ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजय भैया भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि ऐसे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, हम वापस जा रहे हैं । यह मैंने खुद सुना है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह स्थिति बदल गई है न ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चूंकि आसंदी से स्थगन की सूचना अग्राह्य की गई है इसलिए अब आगे बढ़िए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष जी, कहां अग्राह्य किया गया है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अग्राह्य नहीं किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्राकर जी का भाषण चल रहा था और व्यवधान उत्पन्न हुआ इसलिए भाषण अधूरा रह गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिना पक्ष सुने अग्राह्य कर दिया गया । जिन लोगों के नाम हमने दिए हैं, उसको आप पूरा सुन लेते । आसंदी की व्यवस्था है कि इतने लोग बोलेंगे, उसके बाद अग्राह्य करते तो समझ में आता । अभी तो भाषण चल ही रहा है और अग्राह्य कर दिया गया । ऐसी व्यवस्था तो कभी नहीं आई ।

श्री शिवरतन शर्मा :- बिना सुने अग्राह्य कर दिया गया ।

श्री उमेश पटेल :- आप ही तो भाषण छोड़कर गए थे ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि चन्द्राकर जी बोले कि हम नहीं बोलेंगे, जा रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा भी स्थगन हैं, आप हमें तो बोलने का मौका दीजिए ।

श्री उमेश पटेल :- आप लोग ही तो भाषण छोड़कर गए हैं, आप लोग ही पूरी चर्चा को छोड़कर गए हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप देशी ही हो साहब । किसान के मसीहा हो, देशी ही हो ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- पूरे लोगों को बोलने नहीं दिया गया ।

श्री उमेश पटेल :- चर्चा को छोड़कर गया कौन ।

अभिलेख/प्रकाशन के लिए नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप एक, दो, तीन में नहीं हो, मैं बता दूं ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने वैसे ही कम नाम दिया था और उसके आधार पर कुल 4-5 नाम चर्चा के लिए दिए हैं । उसमें केशव चंद्रा जी हैं, अजय जी बोल रहे हैं । मुझे बोलना है । हम लोगों की बात आ जाये, उसके बाद कार्यवाही को आगे बढ़ा लेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- संसदीय कार्यमंत्री जी के तीन हैं, उन तीन में आपकी गिनती नहीं है । आप क्यों गिनती कराना चाहते हो ?

श्री उमेश पटेल :- मैं गिनती नहीं करा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आप लोग चर्चा से भागे ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें तीन-चार लोगों की थोड़ी-थोड़ी बात आ जाये और ज्यादा लोग नहीं हैं । अजय चन्द्राकर जी के बाद केशव चंद्रा जी हैं, उनके बाद मैं बोल लूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आजतक ऐसा नहीं हुआ है कि जो नाम तय हुआ है, उनको न बोलने दिया गया हो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम सबने बहिर्गमन किया तो कम से कम केशव चंद्रा का नाम तो आना चाहिए था ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप सबने बहिर्गमन किया था, इसके बाद में हमने स्थगन को अग्राह्य कर दिया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जैसा आप कहें ।

श्री धरम लाल कौशिक :- हमने बहिर्गमन नहीं किया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम लोगों ने व्यवस्था नहीं सुनी थी, आप नई व्यवस्था दे दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- स्थगन प्रस्ताव के उपर में आपकी व्यवस्था नहीं आयी है। आपकी व्यवस्था आ जाती तो अच्छा होता। ये व्यवस्था आ जाये कि जब आप लोग सदन से बाहर चले गये थे तब माननीय सभापति जी ने उसको अग्राह्य कर दिया है इसलिए बाकी सदस्यों को अब बोलने का अवसर नहीं मिलेगा, ये आपकी व्यवस्था आ जाये तो हम उसको मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- आसंदी से स्थगन प्रस्ताव की सूचना को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गयी है। इसलिए ध्यानाकर्षण सूचना लिया जा रहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

03:06 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) प्रदेश में कोरोना (कोविड-19) के प्रकोप से मरीजों की मौतें होना।

सर्व श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण), श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

शासन एवं प्रशासन के लापरवाही के चलते पूरा प्रदेश कोरोना के प्रकोप से कराह रहा है। छत्तीसगढ़ ने मौत के मामले में बड़े-बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ में पहली मौत 29 मई को हुई थी और आज यह आंकड़ा 3100 से ऊपर पहुंच गया है। 23 नवंबर, 2020 को मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय अंबिकापुर में 42 वर्षीय संबलपुर ग्राम का निवासी सोमरकाम देवांगन कमर दर्द का ईलाज कराने गया और कोविड-19 के वार्ड में भर्ती कर उसका ईलाज किया गया, 4 घंटे के भीतर भोले-भाले ग्रामीण की मौत हो गयी। चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मृतक की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई थी। राज्य शासन की नीतियां-कोविड-19 से निपटने में किस कदर अमानवीय है इसका प्रमाण पूरे प्रदेश के अस्पतालों के किस्से रहे हैं। 10 दिसंबर, 2020 की स्थिति में बिलासपुर के जिला अस्पताल के 1950 से अधिक मरीजों के ऑपरेशन वेटिंग लिस्ट में हैं, क्योंकि इस अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर के चारों ओर कोविड-19 के आईसोलेशन केन्द्र स्थापित कर दिये हैं। इस बेतुके निर्णय से ऑपरेशन के अभाव में 10 से अधिक मरीजों की जान चली गई, बाकी बचे गरीब मरीज अपना घर-द्वार एवं जेवर गिरवी रखकर निजी अस्पतालों में ईलाज करवाने को बाध्य हुए हैं। नवंबर, 2019 में राजनांदगांव के मेडिकल अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में एक अधेड़ की मौत हो गयी। दूरस्थ देवभोग के आदिवासी इलाकों में तो सरकार 10 दिसंबर, 2020 की स्थिति में 1400 से अधिक लोगों में कोविड-19 के लक्षण पाये जाने के बाद भी महज 50 लोगों का ही टेस्ट कर पाई। कोविड सेंटरों में अव्यवस्था के चलते प्रदेश में मरीजों की संख्या 2 लाख 50 हजार से अधिक पहुंच गई। रोज कोविड-19 के सेंटरों में कोई न कोई आत्महत्या कर रहा है। राज्य सरकार के कोराना महामारी के ईलाज के कुप्रबंधन के चलते पूरे राज्य की जनता में आक्रोश एवं रोष व्याप्त है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले वक्तव्य के मैं बस दो लाईन मैं यह कहना चाहूंगा। मुझे इस बात का गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विभाग मुझे दिया है, विशेषकर स्वास्थ्य, उपस्वास्थ्य, शिक्षा विभाग। मुझे ऐसे साथियों के साथ काम करने का मौका मिला। हमारे वरिष्ठ अधिकारी, principal secretary, ए.सी.एस., डायरेक्टर, एन.एच.एम. और वहां से लेकर मितानिन तक सभी डॉक्टर साहिबनों से लेकर मितानिन तक। जिन्होंने अथक परिश्रम करके कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी तक विभाग के सचिव यहां पर उपस्थित नहीं हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है। विधानसभा का इतना अपमान, इतनी अवमानना, विभाग के अधिकारी उपस्थित नहीं हों, विभाग के प्रमुख सचिव उपस्थित नहीं हों, यह बहुत दुर्भाग्यजनक है। पूर्व में भी हुआ है, पूर्व में भी ऐसा हुआ है कि जब विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नहीं होते तो स्थगित करके अधिकारियों के आने तक का इंतजार किया जाता है। मुझे लगता है कि आप इसको स्थगित करके आपको इंतजार करना चाहिए, सदन की अवमानना है। हमें सदन में अधिकारी दीर्घा की चर्चा नहीं करनी चाहिए। परंतु यह सदन की अवमानना है, सदन का अपमान है, पहली लाईन कहां है, स्थगन में भी यही हाल था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं आपके जमीर को जागृत करना चाहता हूं। पिछले दो दिनों से ध्यानाकर्षण में चर्चा नहीं हो रही है, आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी शासन की तरफ से इतनी लापरवाही, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये विधानसभा का अपमान है, ये विधानसभा की अवमानना है। इसलिए आपको आगे तक स्थगित करके, क्योंकि हमें मालूम है, मंत्री जी बहुत विद्वान हैं, मंत्री जी सब चीजों का जवाब दे सकते हैं, परंतु उसके बाद भी हमारे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, जो अनुत्तरित रहेंगे, जानकारी नहीं आ पायेगी। इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों को यहां पर आकर बैठना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी को यह स्पष्ट करना चाहिए ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जानकारी दे दूं। वर्तमान सदन में मुश्किल यह हो रहा है एक ही पक्ष बोलना चाहता है, और लगता है कि दूसरे पक्ष को बोलने की स्वतन्त्रता या अवसर चला गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, यह आपके साथ कहीं जानबूझकर तो नहीं हो रहा है, यह स्पष्ट करने का कष्ट करें कि अधिकारी उपस्थित नहीं रहेंगे और आप अकेले जवाब देंगे, इसको स्पष्ट कीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह सिर्फ विधानसभा का अपमान नहीं है, सदन का अपमान नहीं है। हम तो कहेंगे कि यह मंत्री जी का भी अपमान है।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्योकि प्रदेश में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी, यह चर्चा पूरे प्रदेश में है कि इस प्रदेश के प्रमुख और स्वास्थ्य मंत्री के बीच अनबन चल रही है और इसके कारण इनको धरने पर आकर बैठना पड़ा।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें स्पष्टीकरण भी आना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ जानबूझकर तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुझे बोलने का मौका दे तब तो।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी को इसके चलते ही मन्नत मांगनी पड़ी है।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- आलरेडी 3 अधिकारी बैठे हुए हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, आप पहले इस बात को बता दे कि आपके विभाग के प्रमुख सचिव कौन हैं, उनके ए.सी.एस. कौन हैं, उनके विभाग के डायरेक्टर कौन हैं और कौन-कौन यहां पर उपस्थित हैं ? यहां प्रमुख अधिकारी उपस्थित नहीं हैं तो क्या उन्होंने अनुपस्थित रहने की अनुमति ली है कि क्यों अनुपस्थित हैं? क्योंकि यह पूरे सदन की गरिमा का सवाल है। यह सदन की गरिमा का महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह आदत बन गई है। संसदीय कार्यमंत्री जी, यह आदत बन गई है। इस सदन में उस विभाग के लोग नहीं थे। आप बताईये कि कौन सहकारिता सचिव थे, जो यहां पर मौजूद थे।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- उपाध्यक्ष महोदय, यदि अब अगर अनुमति हो तो बोल दूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- बोलिये, बोलिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम चाहते हैं कि आप सभापति से अनुमति लें। हमसे अनुमति न लें। हम तो सभापति जी से व्यवस्था चाहते हैं। इसी सदन में बहुत बार व्यवस्थाएं आई हैं। अगर विभाग के प्रमुख अधिकारी उपस्थित नहीं हुए हैं तो सदन को स्थगित करके इंतजार किया गया है। जब वरिष्ठ अधिकारी लोग उपस्थित हो जाये तब उसका जवाब दिया जाये, ये सदन में व्यवस्थाएं आई हैं। हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से इस मामले में व्यवस्था आये।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- उपाध्यक्ष महोदय, कम संख्या होते हुए, क्योंकि बहुत वरिष्ठ साथी जीतकर आये हैं, लगता है ध्वनिबल के आधार पर सब बात करना चाहते हैं। आप कम से कम सुन तो लें। आपने मुझे खड़े होकर जवाब देने का मौका दिया तो मेरी बात सुन तो लेते। आपने कहा कि विभाग के प्रमुख अधिकारी कहां हैं ? मैं इसी बात से अपना जवाब चालू कर रहा था कि कितने संकट और कितने संक्रमण के बीच, कितने रिस्क को लेकर यह विभाग काम कर रहा है। आपने ए.सी.एस. मैडम की बात की। रात को साढ़े ग्यारह बजे मुझे फोन आया कि मुझे बुखार है और मैं अपने आप को रोक रही हूं। सुबह मैं एक टेस्ट कराऊंगी। यदि पाजिटिव हुआ तो मैं हाजिर नहीं होऊंगी। मैं आपको बताऊ कि वह पाजिटिव साबित हुई हैं। विपक्ष की ये जानकारी है ? इतनी संवेदना ? आपको इस बात की भी जानकारी नहीं है। मुझे बोलने दीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनके साथ जो हो गया, उसके लिए विपक्ष की संवेदना है। परन्तु उनकी जगह पर कोई अधिकारी होंगे। कोई दूसरा प्रमुख सचिव इन्चार्ज होगा।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी जानकारी है तो कम से कम आप इतनी गंभीर बात कर रहे हैं और एक आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश के प्रमुख हमारे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच नहीं बन रही है, इसलिए प्रमुख अधिकारी नहीं हैं। आप इतना बड़ा वक्तव्य इस सदन में दे रहे हैं, तो फैक्टस तो मालूम हो। आपको जानकारी तो होनी चाहिए कि क्या बात है ? दूसरा, हमारे जो

डी.एम.ई. , मेडिकल एजुकेशन के सचिव हैं, आज जब हम लोग ब्रीफिंग ले रहे थे, आंख में बुखार के लक्षण, सर्दी-खांसी के बावजूद वे आये थे। हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आप रेस्ट में जाईये। अभी हम लोग लंच आवर में बैठे थे, उनकी तबीयत खराब होने के कारण हम लोगों ने उनको डायरेक्शन दिया कि नहीं, आप प्लीज आप घर जाकर रेस्ट लीजिये, आप रिक्स मत लीजिये। तो ए.सी.एस. की बात, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन में प्रभारी विशेष सचिव हैं, उनकी बात, उपाध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद सारी जानकारियों के साथ हम यहां पर आपके समक्ष सदन में उपस्थित हैं। हम यह मानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, जिनके सन्दर्भ में यह बात आ रही है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, अगर वहां पर साथ बैठकर 2 दिन भी देख लेते तो आपको महसूस होता कि वाकई में कितना किया। जो कमिया है, वह अपनी जगह है। मैं कभी नहीं कहता कि कोई कमियां नहीं है। लेकिन यह कहना कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ये कुछ भी नहीं करते, इतने बड़े संक्रमण में दूरस्थ इलाकों का दौरा करने के बाद नारायणपुर जिले के ओरछा तक जाने के बाद, हर जिले में जहां संक्रमण था, संक्रमण के बीच जाने के बाद, कटघोरा में जब संक्रमण हुआ, ये जिन विभागों की जानकारी लेना चाह रहे हैं, शारीरिक रूप से पूरे जोखिम को लेकर इस विभाग के सारे अधिकारी वहां पर जाकर उन्होंने समीक्षा की, सर्वेक्षण किया और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। उनके संदर्भ में ऐसा कतई नहीं कहना चाहिए या मानना चाहिए कि हम लोग इतने असंवेदनशील या गैर जिम्मेदार होंगे कि अपने अधिकारियों को हम यहां उपस्थित नहीं होने देंगे। और ए.सी.एस. के बीमार होने के बाद ये हम लोग बात कर रहे हैं रात 11.30 बजे और अभी के बीच में इसी दरमियान सरकार ने ए.सी.एस. की जगह काम करने के लिए लिंक आफिसर के रूप में प्रसन्ना साहब को भी मनोनित किया है। वह सदन में उपस्थित हैं। वह पंचायत विभाग भी देख रहे हैं, उसकी भी तैयारी है, इसके बाद आपने उसके बारे में भी प्रश्न पूछे हैं तो कुछ तो सोचकर कहिए। हम आपके प्रति कभी गैरजिम्मेदार नहीं होंगे। हम इस सदन के प्रति कभी गैर जिम्मेदार नहीं होंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- आप ये आरोप लगा रहे हैं कि हम गैर जिम्मेदार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आदरणीय सुनिए, पहली बात तो यह है कि विपक्ष ने बोला है तो पक्ष का जवाब सुनना चाहिए। कोई चीज प्रतिक्रिया के रूप में आती है तो वह भी आना चाहिए।

श्री अजय चंद्राकर :- अब तो गैर जिम्मेदार कहा है, हमने तो अधिकारी की उपस्थिति के बारे में पूछा है। आपने कहा कि विपक्ष गैर जिम्मेदार है तो गैर जिम्मेदारी के बारे में बोलना पड़ेगा। या तो उनका सीधे उत्तर पढ़ना था, यह भाषण देने का विषय नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- विपक्ष के उपर आरोप लग गया कि विपक्ष गैर जिम्मेदार है। कैसे आरोप लगा दिया गया कि जिम्मेदार नहीं है?

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप उत्तर दीजिए।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए कि मैंने क्या कहा कि हम इतने गैर जिम्मेदार नहीं हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या कहा नहीं, फिर आप उत्तर पढ़िए ना, विपक्ष की भूमिका के बारे में भाषण क्यों कर रहे हैं?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- भाषण उन्होंने किया तो मैं भी कर रहा हूं।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- उपाध्यक्ष महोदय, जब आपका भाषण चलता है तो अगर टोकाटाकी हो जाए तो आप उत्तेजित हो जाते हैं और अभी आपके ही ध्यानाकर्षण में आप खुद टोकाटाकी कर रहे हैं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- जब प्रश्न पूछे हैं तो उत्तर सुनने के लिए आप लोग तैयार रहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, हम टी.एस.सिंहदेव साहब की भावनाओं का सम्मान करते हैं, जो अधिकारी संक्रमित हुए हैं वह शीघ्र स्वस्थ हों, परंतु अगर ए.सी.एस. अस्वस्थ होते हैं तो ए.सी.एस. के लिंक अधिकारी के रूप में ए.सी.एस. स्तर के अधिकारी उपस्थित हों। मैं इसी बात को कहना चाहता हूं कि पूरा प्रदेश करोना के संक्रमण से ग्रसित है, पूरा प्रदेश भयभीत है और ऐसे समय पर ए.सी.एस. के लिंक अधिकारी किसी ए.सी.एस. को बनाना चाहिए। क्योंकि उनके पास पंचायत विभाग भी है। यदि आप ए.सी.एस. की जगह किसी सेक्रेटरी को इंचार्ज बनाते हैं तो ये औचित्यपूर्ण नहीं है और विपक्ष किसी बात को गैरजिम्मेदारानापूर्ण नहीं कहता। हमने प्रश्न उठाया, आपने प्रश्न का जवाब दे दिया परंतु विपक्ष के ऊपर आरोप लगाना ये राजा साहब आपके लिए औचित्यपूर्ण नहीं है। आपने जवाब दिया हमने मान लिया ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- थोड़ा सा उसको देख लीजिए, गैर जिम्मेदार किसको कहा एक बार रिपीट कर लीजिए कि हम इतने गैर जिम्मेदार नहीं हैं कि यहां पर गलत जानकारी देंगे। आप उसको देख लीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने जवाब दिया हमने उसको मान लिया। हम तो ये कामना करेंगे कि जो अधिकारी संक्रमित हुए हैं वह स्वस्थ हों परंतु प्रदेश में करोना के संक्रमण को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को उसकी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। क्योंकि वह तो ऑलरेडी आपके डायरेक्टर हैं उनको जिम्मेदारी देने से काम थोड़ी चलेगा। किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को लिंक अफसर बनाना चाहिए और यदि नहीं बनाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि टी.एस. सिंहदेव साहब ये आप स्वास्थ्य मंत्री हैं इसलिए नहीं बनाया गया, इसलिए आपके दूसरे अधिकारी को बना दिया गया। ये बात हम कहना चाहते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- राजा साहब, आपकी संवेदनशीलता, आपकी जानकारी, आपके अधिकारियों, आपके प्रयत्नों हम सबकी प्रशंसा कर देते हैं। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना कर देते हैं। अब आपने गैर जिम्मेदारी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया यह मैं नहीं जानता पर हिन्दुस्तान की एकमात्र सरकार है जो आपके नेतृत्व में जो विभाग चल रहा है, एक साल की करोना की अवधि में विधानसभा में आपने एक वक्तव्य नहीं दिया, एक मीटिंग नहीं बुलाई, एक जानकारी नहीं दी और आप हमसे जिम्मेदारी की अपेक्षा करते हैं। सरकार की ओर से एक वक्तव्य नहीं आया।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- आपने जब वक्तव्य चाहा था उसमें दे रहे थे और जो भी परिस्थिति बनी होगी वह बात रूकी और आप जब चाहोगे तो हो जायेगा। आप मांगो न वक्तव्य हम दे देंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- हम उसमें क्यों चाहेंगे?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, यह कथन सही नहीं है कि शासन एवं प्रशासन की लापरवाही से चलते पूरा प्रदेश करोना के प्रकोप से कराह रहा है। अपितु छत्तीसगढ़ शासन करोना संक्रमण की वैश्विक महामारी से बचाव एवं उपचार हेतु विवेकपूर्ण एवं चरणबद्ध अग्रिम तैयारियों से इस महामारी के गंभीर प्रकोप से प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने में सफल रहा है। यह कहना भी सही नहीं है कि छत्तीसगढ़ ने मौत के मामले में बड़े-बडे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। वास्तविकता यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना संक्रमण से मृत्यु की दर (सीएफआर 1.2 जो कि वर्तमान में 1.19 है आंशिक परिवर्तन है जो कि पूरे भारत देश में कोरोना संक्रमण से मृत्यु औसत दर (सीएफआर 1.4) ये वर्तमान में 1.45 है, से कम है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम की समुचित तैयारियों के कारण ही, कोरोना से मृत्यु का पहला प्रकरण संक्रमण के प्रथम प्रकरण के बहुत समय बाद घटित हुआ।

यह कथन सही नहीं है कि दिनांक 23.11.2020 को मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय अंबिकापुर में 42 वर्षीय संबलपुर ग्राम का निवासी सोमरकाम देवांगन कमर दर्द का ईलाज कराने गया और कोविड-19 के वार्ड में भर्ती कर उसका ईलाज किया गया, 4 घंटे के भीतर भोले-भाले ग्रामीण की मौत हो गई। वास्तविकता यह है कि दिनांक 23 नवंबर, 2020 को सोमार साय, नाम के व्यक्ति (जो कि ग्राम सेमरा, थाना जयनगर, जिला सूरजपुर का निवासी था) को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबंद्ध चिकित्सालय अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ में गंभीर स्थिति में प्रात: लगभग 7:30 बजे आपातकालीन विभाग में ईलाज हेतु लाया गया था। आपातकालीन विभाग में ड्यूटीरत डॉक्टर के द्वारा मरीज का प्राथमिक उपचार कर अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती कर एब्डोमिनल पेन एवं पेनक्रियाटाईटीस का समुचित ईलाज किया जा रहा था एवं ईलाज के दौरान मरीज की मृत्यु हो गई । यह मरीज कोरोना संक्रमित नहीं था।

यह कथन सही नहीं है कि राज्य शासन की नीतियां कोविड-19 से निपटने में अमानवीय है बल्कि कोरोना महामारी के प्रबंधन हेतु राज्य शासन की विशेष रणनीति के कारण महामारी के गंभीर परिणामों से बचाया जा सके।

यह कथन सही नहीं है कि 10 दिसम्बर 2020 की स्थिति में बिलासपुर के जिला अस्पताल के 1950 से अधिक मरीजों के ऑपरेशन वेंटिग लिस्ट में है, क्योंकि इस अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर के चारों ओर कोविड-19 के आईसोलेशन केन्द्र स्थापित कर दिये हैं। यह भी सही नहीं हे कि ऑपरेशन के अभाव में 10 से अधिक मरीजों की जान चली गई, बाकी बचे गरीब मरीज अपना घर-द्वार एवं जेवर गिरवी रखकर निजी अस्पतालों में ईलाज करवाने को बाध्य हुए हैं। वास्तविकता यह है कि वर्तमान में मातृ शिशु अस्पताल बिलासपुर एवं छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर (सिम्स) के ऑपरेशन थियेटर में मरीजों का ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन के पूर्व मरीजों का कोविड-19 टेस्ट किया जाता है, तत्पश्चात् ही ऑपेशन किये जा रहे है एवं पूर्ण सावधानी बरती जा रही है।

यह कहना सही नहीं है कि नवंबर 2019 में राजनांदगांव के मेडिकल अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में, मैं वक्तव्य को तोड़कर बोल रहा हूँ इसमें तारीख नवंबर, 2019 है कोरोना के प्रकरण यहां मार्च 2020 में चालू हुए हैं लेकिन फिर भी इसको कोरोना से जोड़कर रखा गया है। मैंने चेक किया तो उसमें वर्ष 2019 ही लिखा था। एक अधेड की मौत हो गई, वास्तविकता यह है कि उक्त मरीज की मृत्यु अन्य बीमारी से पीड़ित होने के कारण हुई थी एवं कोविड 19 अस्पताल एवं आईसोलेशन सेंटर में ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था थी।

यह कथन सत्य नहीं है कि दूरस्थ देवभोग के आदिवासी ईलाकों में 10 दिसम्बर 2020 की स्थिति में 1400 से अधिक लोगों में कोविड-19 के लक्षण पाये जाने के बाद भी महज 50 लोगों का ही टेस्ट कर पाई। वास्तविकता यह है कि विकासखण्ड देवभोग में कोविड 19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु जन जागरूकता करते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान संचालित किया जा रहा है जिसमें सभी लक्षण वाले व्यक्तियों की कोरोना सेंपल जांच की जा रही है।

यह कथन सही नहीं है कि कोविड सेंटरों में अव्यवस्था के चलते प्रदेश में मरीजों की संख्या 2 लाख 50 हजार से अधिक पहुंच गई। वास्तविकता यह है कि टेस्टिंग क्षमता बढ़ाकर कोविड मरीजों के शीघ्र पहचान व उपचार हेतु सतत् प्रयास के कारण मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 15 दिसम्बर 2020 तक कुल 260240, (कल का आंकड़ा अपने प्रेस रिलिज में 269857) व्यक्ति कोरोना संक्रमण से ग्रसित हुए है जिनमें से 239468(92 प्रतिशत) व्यक्ति, ये कल की स्थिति में 250766 (92.92प्रतिशत) उपचार उपरांत स्वस्थ हो चुके हैं। यह कथन सही नहीं है कि रोज कोविड-19 के सेंटरों में कोई न कोई आत्महत्या कर रहा है। वास्तविकता यह है कि मार्च 2020 से 10.12.2020 तक दो व्यक्तियों की मृत्यु आत्महत्या करने से हुई है। मेरी जानकारी में एम्स में यह दुर्घटना हुई।

यह कहना सही नहीं है कि राज्य सरकार के कोरोना महामारी के ईलाज के कुप्रबंधन के चलते पूरे राज्य की जनता में आक्रोश एवं रोष व्याप्त है। वास्तविकता यह है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव एवं उपचार हेतु समुचित प्रबंधन एवं प्रभावी रणनीति के द्वारा प्रदेश की जनता को नि:शुल्क उपचार एवं सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए कोरोना संक्रमण की वैश्विक महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने में सफल रहा है एवं राज्य की जनता में किसी भी तरह का आक्रोश एवं रोष व्याप्त नहीं है

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बहुत दुर्भाग्यजक स्थिति है। माननीय मंत्री जी उत्तरप्रदेश की कितनी जनसंख्या है? 30 करोड़ जनसंख्या है। उत्तरप्रदेश में 17,955 एक्टिव केस हैं और छत्तीसगढ़ में 17,488 एक्टिव केस हैं। यह मैंने पूरे आंकड़ें वेबसाइट से निकाले हैं, उसके बाद में आप अपनी तारीफ कर रहे हैं। बंगाल की कितनी जनसंख्या है? बंगाल में 19,065 एक्टिव केस हैं, छत्तीसगढ़ में 17,488 एक्टिव केस हैं।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आंकड़ें माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी प्रस्तुत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल या फिर उत्तरप्रदेश की बात करें, संक्रमण का जो शुरूआती दौर था, जो दोनों स्टेट की बात कर रहे हैं, यहां पर बहुत ज्यादा संख्या में संक्रमण था। छत्तीसगढ़ में शुरूआती दौर में बहुत अच्छा कंट्रोल था। इस वजह से आंकड़ों का हेरफेर है। उसकी बाजीगरी न करें।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बैठिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में 11876 एक्टिव केस हैं, छत्तीसगढ़ में 17,488 एक्टिव केस हैं। मध्यप्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश जहां की आबादी यहां से पांच गुना ज्यादा है, वहां पर आज एक्टिव केस कम है। हमारे यहां उससे ज्यादा एक्टिव केस हैं। माननीय मंत्री जी, मुझे आपकी भावना, नीयत, नीति पर शक नहीं है। परंतु वास्तव में छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों के साथ जो न्याय होना चाहिए, वह नहीं हुआ। आज मध्यप्रदेश ने घोषणा की है, आज समाचार पत्रों में छपा है कि कल केबिनेट में यह निर्णय हुआ है कि किसी भी अस्पताल में जिस मरीज का ईलाज होगा, उसका पूरा खर्च सरकार उठायेगी। आप जरा बता दें कि निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों में कितनों मरीजों का सरकार ने खर्च उठाया है ? आज गरीब मरीज मरने के लिए मजबूर हैं। यह मानवीय मामला है और सरकार किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं उठा रही है। मैं आपको दूसरे आंकड़ें बताना चाहता हूं। मेरे पास में पूरे देश के 30 राज्यों के आंकड़ें हैं। रेट मोर देन 90 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश में 95.39 प्रतिशत, चंढीगढ़ में 95.30 प्रतिशत, जम्मू कश्मीर में 94.76 प्रतिशत, नागालैण्ड में 94.7 प्रतिशत, वेस्ट बंगाल में 94.56 प्रतिशत, राजस्थान में 94.51 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 94 प्रतिशत लोग रिकवर हो रहे हैं। आपके यहां 92 प्रतिशत लोग रिकवर हो रहे हैं, फिर भी आप अपनी पीठ ठोक रहे हैं। जहां की 10 करोड, 20 करोड़, 30 करोड़ की आबादी है, वहां पर हमसे ज्यादा रिकवरी रेट अच्छा है। उसका कारण है

कि वहां की सरकारों ने गरीब मरीजों के लिए पूरी सरकारी सुविधा उपलब्ध करवाई है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में हमें समझ में नहीं आता। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के पास में 7 हजार करोड़ रुपये डी.एम.एफ. का पैसा है और डी.एम.एफ. का 7 हजार करोड़ रुपये होने के बाद भी केन्द्र सरकार ने 30 प्रतिशत पैसा कोरोना में खर्च करने की अनुमति दी है, उसके बाद भी आप छत्तीसगढ़ में घोषणा नहीं कर सकते। आज छत्तीसगढ़ की 70 प्रतिशत से ज्यादा आबादी गरीब है। आखिर गरीब आदमी कहां जाये ? आपको मालूम है कि आज की तारीख में रायपुर के दो हॉस्पिटल रामकृष्ण और एम.एम.आई. हैं, वहां के आई.सी.यू. में बेड खाली नहीं हैं। अगर किसी को आई.सी.यू. में एडमिट होना है तो वह कहां जाये ? उसको वेंटीलेटर पर एडमिट होना है तो वह कहां जाये, कितना पैसा लाये ? आज एम्स में वेंटीलेटर के बेड खाली नहीं हैं। यह विकट स्थिति है। मैं तो कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी आज के समय पर।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय प्रश्न करियेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 3-4 प्रश्न किया है। मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि 31 दिसंबर के जलसे की तैयारी हो रही है, आपको इसको बेन करना चाहिए कि कोई जलसा नहीं होगा। अगर आवश्यकता हो तो रात के 10 बजे से लेकर सुबह 06 बजे तक पूरी तरह कर्फ्यु लगाना चाहिए । हमारे छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनता गरीब है और इसलिए आपको यह निर्देश देना चाहिए और मैं तो चाहूंगा कि आप मुझे जरा यह बता दें कि कितने लोगों का स्मार्ट कॉर्ड से कोविड का ईलाज हुआ है ? कितने लोगों का प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में कोविड का ईलाज हुआ है और कितने लोगों को आपने खूबचंद बघेल योजना में कोविड के ईलाज के लिये पैसा दिया है, आप मुझे बता दें । मेरा तो आपके साथ में लगातार इस मामले में संवाद हुआ है और लगातार बात करने के बाद में होम आईसोलेशन दिया, आपके आधे से ज्यादा मरीज होम आईसोलेशन में चले गये इसलिए आपका बर्डन कम हो गया । यदि होम आईसोलेशन को आप बंद नहीं करते तो छत्तीसगढ़ में कितनी बुरी स्थिति, कितनी भयावह स्थिति होती इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते । मैंने कुछ प्रश्न किये हैं, मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब दे दें तो फिर मैं आगे की बात करूंगा ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम माननीय बृजमोहन जी ने जिस बात को रखा है । तुलनात्मक आंकड़े कि रिकवरी रेट छत्तीसगढ़ का क्या है, पॉजिटिव रेट क्या हैं और वे एक वक्तव्य भी जनरल चाह रहे थे, वह मौका नहीं आया, नहीं तो पूरे कोरोना के बारे में कोई समय निर्धारित कर दिया जाये तो विभाग अपनी तरफ से वह भी जानकारियां दे देगा, अभी इंग्लैंण्ड की बात हो रही है, वह भी जानकारी दे देंगे । आप अगर समय निर्धारित कर देंगे । रिकवरी रेट क्या है, पॉजिटिव कितने आये, मृत कितने हैं और एक्टिव केसेस कितने हैं ? मामला चालू कहां से हुआ, चाईना से । चाईना में रिकवरी रेट को आप आज के दिन देखिएगा तो वह क्या उस राज्य की तुलना में आपको बराबर का दिखेगा जहां पर कोरोना बाद में पहुंचा । जहां

कोरोना बाद में पहुंचा तो स्वाभाविक रूप से उनकी जब जांच हुई है और जांच को जब बढ़ाया गया तो जब वह संख्या बढ़ी तो पॉजिटिव की भी संख्या बढ़ी और उनके उपचार के बाद स्वस्थ्य होने की रिपोर्ट में भी आपको समय लगेगा । आज 92.9 प्रतिशत छत्तीसगढ़ का रिकवरी रेट है, आपने अलग-अलग राज्यों की जानकारी दी । मैं और ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता । मध्यप्रदेश के लिये आपने कहा, इस नाते नहीं कि कौन सी सरकार है । आपने मध्यप्रदेश की आबादी के बारे में भी कहा । आप देख तो लीजिए कि वहां पर उन्होंने टेस्टिंग कितनी की है ? मध्यप्रदेश की कुल टेस्टिंग कितनी है और छत्तीसगढ़ की कुल टेस्टिंग कितनी है, 05 गुना यदि आबादी ज्यादा है तो टेस्टिंग की संख्या में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है । जो रिपोर्टिंग है वह किस आधार पर हो रही है ? टेस्टिंग के आधार पर तो थोड़ा सा तुलनात्मक उसको देख लीजिए । अन्य राज्यों में, कुछ राज्यों में टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है । आसाम में शायद 01 लाख हो रही होगी । हमारे यहां 30-35,000 हो रही है । वह अपनी जगह बात है लेकिन जो रिकवरी रेट है, मैंने पहले भी सदन में कहा कि यह मुद्दा नहीं है । उस नाते कि आज की स्थिति को केवल दर्शा रहा है, एक समय छत्तीसगढ़ का रिकवरी रेट 40-50 प्रतिशत, 50 प्रतिशत से कम था । उस समय भी मैंने कहा था कि हर हाल में छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट 97 प्रतिशत से ऊपर जाएगा। यह समय की बात है, लोग पॉजिटिव आ रहे हैं क्योंकि अब उनकी जांच हो रही है या वे संक्रमित पाये जा रहे हैं और जांच होने के बाद आप देख लीजिएगा कि हर हालत में छत्तीसगढ़ का रिकवरी रेट 97 प्रतिशत से ऊपर जाएगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी कितना है ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अभी 92.92 । वह ठीक होगा न, वह मुद्दा नहीं है। आप देखिए कि मृत्युदर कितना है ? जो मृत्युदर का मुद्दा है, छत्तीसगढ़ में मृत्युदर कितना है ? आज के दिन में 1.19, देश का कितना औसत है 1.45 ? और आपने कुछ राज्यों की गिनती बतायी, मैं कुछ और राज्यों की गिनती बता देता हूं कि तुलनात्मक आप उसको भी देख लीजिए । केस फर्टिलिटी रेट छत्तीसगढ़ में 1.19, कल की स्थिति में अगर था तो देश का 1.45 है और पंजाब जैसे राज्य में 3.2, महाराष्ट्र जैसे राज्य में 2.6, गुजरात जैसे राज्य में 1.8, पश्चिम बंगाल आपने उदाहरण भी दिया । हिमाचल और दिल्ली में 1.7, जम्मू-कश्मीर में 1.6, मध्यप्रदेश और तमिलनाडू में दोनों में जहां तमिलनाडू में कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है । केस फर्टिलिटी रेट 1.5 है, छत्तीसगढ़ का 1.9 है । उसमें आंशिक ही संतोष की बात हम कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों की मृत्यु हुई । आदर्श स्थिति यह होती कि किसी की मृत्यु नहीं होती । लेकिन जो परिस्थिति है उसमें हम पारदर्शी तरीके से आंकड़े रख रहे हैं । कई बार यह बात आई कि कुछ केसेस छूट गए हैं । हमने उसको छिपाया नहीं, मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि अन्य लोगों ने छिपाया या नहीं छिपाया । अगर आप अन्य राज्यों में गहन तरीके से जांच करेंगे तो कोमॉर्बिडिटी और केवल कोविड के आंकड़े, कौन से आंकड़े सामने आए । हम लोगों ने हर

आंकड़े को पारदर्शी तरीके से रखा, भले ही संख्या बढ़ रही हो । हम लोगों ने एक भी प्रकरण को नहीं छिपाया । जब भी आंकड़ा अपडेट हुआ, आधिकारिक जानकारी जैसे ही अपडेट हुई तो हम लोगों ने उसमें परिवर्तन किया और पारदर्शी तरीके से आमजनों के सामने और राष्ट्रीय संचालनकर्ता एजेंसी के आंकड़ों में भी संशोधत किया । हमने पूरी पारदर्शिता रखी ।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप केस फेटेलिटी रेट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो मई में कुल 4 मृत्यु हुई थी । वह केस फेटेलिटी रेट के हिसाब से .88 था । जून में 14 मृत्यु केस फेटेलिटी रेट .59, संख्या बढ़ी लेकिन केसेस ज्यादा आने के कारण केस फेटेलिटी रेट कम आया । जुलाई 49.77, अगस्त 373, 1.67, सितम्बर जो कि हमारे राज्य का पीक था, जब बात हो रही थी कि केस कम क्यों नहीं हो रहे हैं । छत्तीसगढ़ में दुर्भाग्य से सितम्बर महीने में 1156 लोगों की मृत्यु हुई, तब हमारा केस फेटेलिटी रेट सबसे ऊपर चढ़ गया था 1.41, तो ठीक है आज के भी राष्ट्रीय औसत से कम है । राष्ट्रीय औसत पहले 3 पर था, 2.5 पर था वह भी कम होता चला आ रहा है । अक्टूबर में 743 लोगों की मृत्यु, 1.01 केस फेटेलिटी रेट । नवम्बर में 522 लोगों की मृत्यु, केस फेटेलिटी रेट 1.04 । कुल 3 करोड़ की आबादी में यदि 3 हजार मृत्यु भी देखते हैं तो यह कुल आबादी का .0001, 6 हजार भी जब होता है तो .0002, यह संख्या और प्रतिशत आपको भले ही बहुत कम दिखेगी लेकिन फिर भी हम लोगों को दुख इस बात का है इतने लोगों की भी मृत्यु क्यों हुई । प्रयास भी पूरा किया गया कि इनकी मृत्यु की दर को हम कम से कम रख सकें । दुर्भाग्य से यह स्थिति बनी, छत्तीसगढ़ में मृत्यु की संख्या इस कारण से हुई कि प्रभावित लोग बहुत देरी से आए । जब तक स्थिति बहुत गंभीर नहीं हो गई, तब तक उन लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया । कई प्रकरण ऐसे आए जिनमें केवल 24 घंटे में ही मृत्यु हो गई, कई प्रकरण ऐसे आए जिनमें केवल 72 घंटे में ही मृत्यु हो गई । केवल देर से आने के कारण यह परिस्थिति बनी, लोगों ने आने में संकोच किया । अगर हमें तुलनात्मक आंकड़े चाहिए तो छत्तीसगढ़ कोई अछूता राज्य नहीं है जिसने इतना खराब काम किया कि पूरे देश ने बहुत अच्छा किया । हमसे गलती न हुई हो, कही कोई कमी न रही हो, यह असंभव है । हो सकता है कहीं न कहीं कमी रही हो । लेकिन नीति में, नीयत में, कोशिश में पूरे स्वास्थ्य विभाग के अमले ने जी-जान लगाकर कोशिश की है । जहां एक भी टेस्टिंग सेंटर नहीं था, जहां प्रारंभिक जांच 200 होती थी, उसको आज 35000 तक पहुंचाया, यह कहना कि छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी लापरवाही से काम करती रही, पूरी असंवेदनशीलता से काम करती रही, पूरी गैर-जिममेदारी से काम करती रही तो यह सही नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि पर मिलियन टेस्ट हमने बढ़ाकर प्रयास किया है । देश का औसत टेस्ट, पर मिलियन क्या है । 10 लाख लोगों के पीछे हम कितने टेस्ट कर चुके हैं । 1 लाख, 20 हजार, 786 । छत्तीसगढ़ कितना टेस्ट कर चुका है, प्रति मिलियन आपने आंकड़े बताए, मैं प्रति 10 लाख की आबादी का बता रहा हूं, मुझे खुशी है और गर्व है,

मैं फिर कहता हूं कि मुझे ऐसे विभाग के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जिसने 1 लाख, 13 हजार, 796 टेस्ट प्रति 10 लाख कर दिये हैं । आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया । उत्तर प्रदेश में आज के दिन 1 लाख, 866, आप संख्या देखिएगा हमने प्रति मिलियन टेस्ट उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा किये हैं । हमारी आबदी 3 करोड़ की और उनकी आबादी 30 करोड़ की । हमसे दस गुना ज्यादा है । अब आंकड़ों को देखकर बताइएगा । वह उस पहलू को नहीं बताता जो पहलू इसमें छिपा हुआ है और मध्यप्रदेश ने प्रति मिलियन कितना टेस्ट किया है, 53 हजार 434, हमसे आधा । हमसे आधा । छत्तीसगढ़ जैसे तुलनात्मक भौगोलिक रूप के छोटे राज में इस विभाग ने जिस संवेदनशीलता से काम किया है, उसमें तुलनात्मक आंकड़े मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैंने आपके सामने रखे और किसी बिंदु पर..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी मैं आपकी नीयत पर शक नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना है कि छत्तीसगढ़ की आबादी सिर्फ ढाई से तीन करोड़ है और इस प्रदेश का रिजल्ट हम देश में सबसे अच्छा दे सकते थे। जब आप कह रहे हैं कि असम जैसा स्टेट रोज एक लाख टेस्ट कर रहा है तो हम 35 हजार क्यों कर रहे हैं ? हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि आज भी आपके जितने मेडिकल कॉलेज है, सब जगह टेस्टिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है ?
क्या कारण है ? आपने टेस्टिंग के सेंटर क्यों नहीं बढ़ाएं ? आप आंकड़े बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी मौत हुई ? आज देखिए, बिहार में 1295 लोग मरे हैं। कितनी population है ? तेलंगाना में 74 लोगों की डेथ हुई है। राजस्थान में 2429 लोगों की डेथ हुई है। उड़ीसा में 1831 लोगों की डेथ हुई है। केरल में 2419 लोगों की डेथ हुई है। केरल हमारे बराबर है, परंतु छत्तीसगढ़ में मैं 30 मई की बात कर रहा हूं। आज तो 3600 लोगों की डेथ हो चुकी है। इस गरीब प्रदेश में ये सरकार क्यों इस बात की चिंता नहीं करती कि किसी गरीब की डेथ नहीं होनी चाहिए। अगर गरीब व्यक्ति मैंने आपसे पूछा था कि स्मार्ट कार्ड में कितने लोगों का इलाज हुआ ? आयुष्मान योजना में कितने लोगों का इलाज हुआ ? खूबचंद बघेल योजना में कितने लोगों का इलाज हुआ ? उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। मेरी चिंता अलग है। मैं रायपुर शहर से जीतकर आता हूं। आज चण्डीगढ़ में 304 मौतें हुईं। रांची में 209 मौतें हुईं। श्रीनगर में 439 हुईं। भोपाल में 549 हुईं। पटना में 349 हुईं। भुवनेश्वर में 139 हुईं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपने भाषण की अनुमति दी है ? क्या आपने भाषण देने की अनुमति दी है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी आप वहां नहीं बैठे हैं।

सभापति महोदय :- ध्यानाकर्षण के विषय-वस्तु को देखें और प्रश्न करें। और भी बिजनेस हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, प्रश्न करिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इससे महत्वपूर्ण कोई प्रश्न नहीं हो सकता कि छत्तीसगढ़ के लोग मर रहे हैं और आप इंट्रप्ट कर रहे हैं। रायपुर शहर से आप भी जीतकर आते हैं। आपको सोचना चाहिए।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप भाषण दे रहे हैं। प्रश्न करिए। आप भाषण दे रहे हैं। दुनियाभर के आंकड़े बता रहे हैं। प्रश्न करिए जो करना है वह। आपको प्रश्न करना चाहिए। आप भाषण पेलना चालू कर दिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको सोचना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है। चण्डीगढ़ में 18905 केस, रांची में 29326 केस, श्रीनगर में 24538 केस, भोपाल में 26679 केस, पटना में 45888 केस, भुवनेश्वर में 28443 केस और रायपुर में मैं 6 राज्यों की राजधानी के बारे में बात कर रहा हूं। रायपुर में 25400 केस 19/12 की तारीख का है।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिए न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज बढ़ गया है और 695 मौतें। यह रायपुर शहर के एक महीने पहले की घटना है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भैय्या, अतेकन बताथस, ये जानकारी ला अकेला बताना चाहिए न। तोला का चाहिए ते प्रश्न करके पूछ न भई। प्रश्न कर ले। जे जानकारी एला बताना चाहिए, ते उल्टा बताथस। एखर से पूछ न ग। एहा बताही तोला। का पूछना चाहथे तेन ला।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मोला का पूछना हे ओला मे हा जानथव अउ मंत्री जी जानथे।

उपाध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल जी, प्रश्न करिएगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं प्रश्न कर रहा हूं कि आखिर छत्तीसगढ़ में इतनी ज्यादा और विशेष रूप से रायपुर में आपका अमला, आपकी जितनी सुविधाएं हैं, उसके अनुसार आप अच्छा कर रहे हैं, परंतु सरकार की तरफ से केबिनेट की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए, जो राशि मिलनी चाहिए, वह आपकी केबिनेट तय करेगी कि छत्तीसगढ़ में जिन लोगों का जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास गरीबी रेखा का कार्ड है, जो निजी अस्पतालों में भर्ती होते हैं, उनका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठायेगी। मुझे मालूम है कि यह आपके हाथ में नहीं है। यह केबिनेट तय करेगी। यह राज्य सरकार तय करेगी। मैं आपके माध्यम से इन तीनों चीजों को पूछना चाहता हूं कि स्मार्ट कार्ड में कितने लोगों का इलाज हुआ ? आयुष्मान योजना में कितने लोगों का इलाज हुआ ? खूबचंद बघेल योजना में कितने लोगों का इलाज हुआ ? हमारी बाकी जो सरकार की योजनाएं हैं, उसमें कितने लोगों का इलाज हुआ? जरा, यह मुझे आप बता दें।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शासकीय अस्पतालों में जितने लोगों का इलाज हुआ है जो कि मैक्सिमम हुआ है। मेरे ख्याल से 80-90 होगा। एक नया पैसा किसी व्यक्ति को अपने जेब से खर्च नहीं करना पड़ा है। दवाइयां उपलब्ध हुई हैं तो शासन की ओर से हुई हैं। अलग-अलग मद

से उन राशियों को उपलब्ध कराया गया है और उनको उसका लाभ मिला है। जहां तक टेस्टिंग की बात आ रही है कि लैब कितने बनाये ? मैंने इसको पहले भी और कई बार साथ में भी जब बात होती थी तब उसे रखा । मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में दो टेस्टिंग लैब थे तो आज आर.टी.पी.सी.आर. के सात टैस्टिंग लैब छत्तीसगढ़ में है । हम ट्रू नॉट पद्धति से जांच कर रहे हैं, इसमें 31 से ज्यादा ट्रू नॉट मशीन कार्यशील हैं, वह टेस्टिंग कर रही हैं और काम कर रही हैं । पहले एण्टी बाडी टेस्टिंग और एंटीजन टेस्टिंग के माध्यम से हम लोगों ने टेस्ट करवाये हैं । अगर एक नया पैसा किसी का लगा हो तो वह बता दें । वह पैसा कहां से आ रहा है । इसमें जो करोड़ों रूपए खर्चे हो रहे हैं, वह पैसा कहां से आ रहा है । यह आपकी ही राज्य सरकार दे रही है, यहां की जनता का पैसा जो राज्य सरकार के पास है, अन्य मदों से जो पैसा आता है, उसी पैसे से ये सारे काम किये जा रहे हैं चाहे वह पी.पी.ई. किट्स हों, चाहे अन्य व्यवस्थाएं हों, दवाईयां हों, उपचार हों, टेस्ट हों, वह सारी राशि, इन्हीं राशियों में से लाकर उपयोग की जा रही है, लेकिन कोई निजी अस्पताल में जाने का विकल्प लेते हैं तो वह उनके पास अधिकार है। आपने मध्यप्रदेश का आज का उदाहरण दिया तो वह संज्ञान में आया है, शासन उस पर विचार करेगी कि अगर उसमें कुछ निर्णय लेना चाहें तो करेंगे । आज ही आपने बताया है और शासकीय अस्पतालों में एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपने आई.सी.यू. बेड्स के बारे में भी बताया । मेकाहारा में बिस्तर खाली हैं, सरकार के अन्य संस्थाओं में अभी भी आई.सी.यू. के बिस्तर खाली हैं । मैं ऐम्स की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसा वातावरण भी बना है और एम्स एक विशेषज्ञता का केन्द्र है । हर आदमी एम्स जाना चाहता है, अगर एम्स में आई.सी.यू. की संख्या 100 है तो 100 के बाद तो वहां जगह नहीं मिलेगी । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उसका संचालन कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ? वह सब अपनी जगह है । हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिलकर काम किया है, टीम के रूप में काम किया है चाहे वह ऐम्स रहे, चाहे राज्य सरकार की इकाईयां हो और इन इकाइयों में आप पेशेंट बताईए न, कौन आना चाहते हैं । हम लोग आई.सी.यू. के बिस्तर की जानकारी देंगे, वह ऑन लाईन भी उपलब्ध है, जानकारी दे भी देंगे । किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप निजी अस्पताल जाना चाहेंगे तो यह आपका विकल्प है । सरकार के पास बिस्तर नहीं है, यह कहना सही नहीं है क्योंकि सरकार की व्यवस्था में अभी भी पर्याप्त बिस्तर खाली हैं, जहां पेशेंट को लिया जा सकता है, रखा जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने केस फैटिलिटी रेट बताया, रायपुर की बात बतायी । हमने टेस्टिंग ज्यादा की है और आप जितनी ज्यादा टेस्टिंग करेंगे, उतने रिजल्ट्स ज्यादा आएंगे । यह आंकड़े हैं कि रायपुर में मृत्यु दर बीच में ज्यादा हुआ था । हम शायद उसकी गंभीरता को उतना नहीं भांप पाते कि इससे क्या होता है, कोरोना हे, का होही । बुरा मत मानिएगा, इसको रिकार्ड में भी मत लीजिए । अभी कितने लोगों ने मास्क लगाया हुआ है । हम सदन में बैठे हैं । हम में से कितने लोगों ने मास्क लगाया

है । (श्री अजय चन्द्राकर द्वारा वायरस रिमूव कार्ड दिखाये जाने पर) वह किसी काम का नहीं है, बुरा मत मानिएगा । यह उस कारगरता का नहीं है । मैं अब ऑन रिकार्ड कह रहा हूं, मेरी जानकारी गलत होगी तो मैं माफी भी मांगूंगा, अगर मैंने गलत कहा तो मैं उसमें देरी नहीं करता । बिना मास्क के अगर हम बाहर आना-जाना करेंगे तो संक्रमण को रोकने की दुनिया में कोई ताकत नहीं है और अमेरिका से बड़ा इसका उदाहरण नहीं है, जिन्होंने व्यक्तिगत निजी अधिकार के आधार पर उन्होंने कहा कि सरकार कैसे बोल सकती है कि मास्क पहनो । अगर आज दुनिया में सबसे ज्यादा मृत्यु कहीं हुई है तो अमेरिका में हुई है । हमसे एक तिहाई, एक चौथाई अमेरिका की आबादी है और थोड़े ही हमसे ज्यादा संख्या है, हमसे ज्यादा उनकी मृत्यु दर की संख्या है, लेकिन सबसे ज्यादा कहीं पर यह मामला हुआ है तो वहीं पर हुआ है । उसमें आप कहेंगे कि हम लोगों को जागरूक नहीं कर पाये । तो हम जागरूक नहीं कर पाये हैं, ठीक है, लेकिन हमने प्रयास नहीं किया ? हमने कितने माध्यमों से प्रयास किया, आप लोगों ने भी सहयोग किया, लेकिन आचरण में हम क्या ला पाते हैं ? यह कारण बनते हैं कि जब हम उसको नहीं देखते तो सघन बस्तियों में जहां संक्रमण आता है, वहां पर यह परिस्थिति हमको देखने को मिलती है । आपने रायपुर का उदाहरण दिया, आपने संख्या बतायी । आप रिकार्ड देखेंगे तो रायपुर से खराब स्थिति दुर्ग की है । आप केस फैटिलिटी रेट देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में रायपुर से ज्यादा केस फैटिलिटी रेट दुर्ग का है, औसत अलग है । हमारा दक्षिणी छत्तीसगढ़, अगर आप बस्तर का ईलाका देखेंगे तो केस फैटिलिटी रेट .75 से कम होगा । सबसे कम, सबसे कम ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, उसका यह कारण है कि वहां से पांच-पांच मंत्री हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वहां तो सबसे ज्यादा जागृति होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी वहां से हैं, वहां सबसे ज्यादा जागृति होनी चाहिए ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- उपाध्यक्ष जी, इसमें कहीं न कहीं, कोई न कोई लापरवाही हम लोगों ने बरती है । मैं सबसे पहले लेने को तैयार हूं, अगर आप कहो कि सबको मास्क नहीं पहनवा पाये, हम स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है, मेरे को लेने में संकोच नहीं है। लेकिन हमने हर बार यही कहा कि अगर नागरिक इसमें उतना सहयोग नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई सरकार आये, कोई पार्टी की सरकार आये, कोई भी देश की सरकार हो, कोरोना के संक्रमण को नहीं रोक सकती। जब तक आप तीन बुनियादी व्यवहार, हाथ धोना, शारीरिक दूरी रखना और मास्क पहनना। ये नहीं करेंगे तो कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको कहीं ज्यादा आंकड़े ऐसे मिले हैं तो उसका मुख्य कारण यह है कि रायपुर में देर से आना, रायपुर में मृत्यु की संख्या का सबसे बड़ा कारण है, विश्लेषण कर लीजिए, डेथ ऑडिट हम लोग हर हफ्ते करते हैं, डेथ ऑडिट की पूरी समीक्षा करते हैं कि किन कारणों से क्या हो रहा है ? उसमें आप देखेंगे तो आश्चर्य होगा, मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ था, कई लोग अस्पताल में मृत

आये और देर से आये। यह कारण है। इसमें सुधार की दिशा में हम लोग बढ़े हैं। यही कारण है कि लोगों का भी सहयोग मिला, समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग मिला। आप लोगों का, सबके सुझाव का सहयोग मिला। अगर हम लोगों ने होम आईसोलेशन अपनाया। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि मैं इसमें होम आईसोलेशन के लिये संकोच करता था। क्योंकि मेरे मन में यह बात थी कि होम आईसोलशन में कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्यान से हटकर मरीज का ईलाज हो। लेकिन जब स्थितियां आई, कानून डिस्कशन में भी विपक्ष के साथियों ने कहा, विशेषज्ञों ने कहा, विभाग के लोगों ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो बड़े पैमाने पर हमने होम आईसोलेशन भी अपनाया और उसमें मृत्यु दर जो रिफर होकर अस्पताल गये, मैं उसको नहीं जोड़ रहा हूं, जो घर में रहे, वह बहुत कम है तो शासन की तरफ से सुझाव के साथ बहुत कारगर पहल हुआ, जिसमें निश्चित रूप से अगर बड़ी संख्या होती तो उसमें infrastructure की दिक्कत होती। मैं तो यही कहूंगा कि आजादी के बाद से किसने आज तक क्या किया उसको हम छोड़े। लेकिन आज अगर हमको कोविड से कुछ सीखना है तो स्वास्थ्य विभाग के अमले के infrastructure और इसके मानव संसाधन में बड़ी बढ़ोत्तरी नहीं करेंगे तो कल दूसरा कोविड आयेगा, तीसरा कोविड आयेगा, साल दो साल में आयेगा, तीन साल में आयेगा। यह आना सुनिश्चित है। आज दुनिया के विशेषज्ञ, हर व्यक्ति कह रहा है, यह आना सुनिश्चित है। आज भी हम उनको प्राथमिकता के आधार पर नहीं कर पाये तो कल के दिन भी ऐसी या इससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से specific प्रश्न पूछा था। स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान योजना, खूबचंद बघेल योजना, अन्य योजनाओं में कितने लोगों को ईलाज मिला। माननीय मंत्री जी, आपने बता दिया। जरा आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दें। पूरे छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों में कितने लोगों का ऑपरेशन होना था और जो आज तक नहीं हुए। वे भी फ्री में होते थे। रायपुर में मेकाहारा में जो सुपर स्पेसिलिटी हॉस्पिटल बना हुआ है, वहां पर अगर कोरोना का मरीज गया तो लोगों से कितने पैसे लिये गये ? आखिर सरकारी अस्पताल में क्यों पैसे लिये जा रहे हैं और बाकी सामान्य ऑपरेशन लोगों के नहीं हो रहे हैं। सामान्य ऑपरेशन भी नहीं होने के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है तो आपको कहीं न कहीं ये segregation करना पड़ेगा। कोराना का ईलाज किन स्थितियों में होगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- बैठिये, उत्तर दे रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरी बात पूरी हो जाये फिर वे जवाब दे दें। कोरोना का ईलाज कितने अस्पतालों में होगा, उसके लिये कितने बैड होंगे ? बाकी ईलाज के लिये बाकी ऑपरेशन के लिये कितने बैड होंगे, कितना ईलाज होगा ? अभी मेरी जानकारी में पॉजीटिव कन्फम केस में छत्तीसगढ़ 12 वें स्थान पर है, एक्टिव केस में 5वें स्थान पर है, रिकवर में 12 वें स्थान पर है, मौत में 11 वें स्थान पर

है और टेस्टिंग में 20 वें स्थान पर है। हमारे छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में हम टेस्टिंग में पहले नंबर पर क्यों नहीं आ सकते ? हम टेस्टिंग क्यों नहीं बढ़ा सकते ? माननीय मुख्यमंत्री जी आ गये हैं, मैं तो कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, कोरोना से लोगों की मृत्यु न हो, इसके लिये जितने पैसे की आवश्यकता हो, आप उतना पैसा दीजिए। अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बोल रहे थे, हमारे स्वास्थ्य अमले को बढ़ाना पड़ेगा। उसको अपडेट करना पड़ेगा, अस्पतालों को खोलना पड़ेगा और वह व्यवस्था, हम चाहते हैं कि यह सदन बजट को पास करता है। आप स्वास्थ्य व्यवस्था के लिये जितना पैसा चाहें, आप बजट से लें। सदन में हम सर्व सम्मति से देंगे और इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। आज हमारा छत्तीसगढ़ छोटा राज्य होने के बाद भी...।

उपाध्यक्ष महोदय :- आदरणीय आप प्रश्न करियेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं प्रश्न ही कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप जो प्रश्न कर रहे थे, उसको करिये।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष जी, वह जितना भाषण देते हैं, महाराज जी भी उससे ज्यादा भाषण देते हैं। दोनों में काम्पीटिशन हो रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा। माननीय मंत्री मैंने स्मार्ट कार्ड के बारे में पूछा, मैंने आयुष्मान योजना के बारे में पूछा, मैंने खूबचंद बघेल योजना के बारे में पूछा। सरकार की जो अन्य योजनाएं हैं, उन योजनाओं में...।

श्री शैलेश पाण्डे :- भैय्या, माननीय मंत्री जी से आप मेरी तरफ से एक प्रश्न और पूछ लीजिये कि 20 लाख करोड़ रूपया जो माननीय मोदी जी ने घोषणा की थी, उसमें से सरकार को कितना पैसा आया, यह बताईये। दूसरा, प्रश्न यह भी पूछ लीजिये कि कितने वेन्टीलेटर दिए, कितने पी.पी. किट दिए, कितना क्या-क्या दिए ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, बृजमोहन जी प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब तो देंगे। हम दो दिन से सुन रहे हैं कि इग्लैण्ड से कुछ और कोरोना आ रहा है, यह सुन-सुनकर बहुत परेशान हैं। हम लोग उससे बचने के लिए क्या करें, आप उससे बचाव के लिए पूरे प्रदेश की जनता को बता दीजिये। इग्लैण्ड वाले कितने यहां आ गए हैं, कितना फैलायेंगे, कैसे होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, चलिये उत्तर दीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, ..।

उपाध्यक्ष महोदय :- बस हो गया। हो गया, हो गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बस मेरा अंतिम प्रश्न है। उसके बाद माननीय सदस्यगण पूछेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में इस बात का आग्रह करना चाहूंगा कि जो गरीब मरीज हैं, आप उनका कोविड संक्रमण से ईलाज के लिए व्यवस्था करिये। बाकी बीमारियों के जो आपरेशन होने हैं,

ईलाज होने हैं, जो हास्पिटल में बंद हैं, आप उसकी व्यवस्था करिये। साथ ही जो 31 दिसम्बर और नया साल आ रहा है, इसमें कोई जश्न और उत्सव न हो। आप पहले से इस बात को कह रहे हैं कि और कितना बढ़ेगा, लोग नहीं मान रहे हैं, उन सब पर प्रतिबंध लगाकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कफ्यू लगा दें। ताकि आने वाले समय में यह और ज्यादा न बढ़े। सरकार को उसके लिए खुले हाथ से पैसों की व्यवस्था करके ईलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, आप इन सब प्रश्नों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जवाब दे दीजिये ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- उपाध्यक्ष महोदय, आपने मदवार पूछा था कि कितना खर्च हुआ है और इस दरम्यान कितने रोगी ठीक हुए हैं ? राज्य आपदा मोचन निधि, राज्य बजट, एन.एच.एम. और अन्य मदों से जो राशि खर्च हुए हैं, हेड 04..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हेडवार नहीं चाहिए। हम हेड को थोड़ी न समझेंगे।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- उपाध्यक्ष महोदय, आप उसी से अलग-अलग देख लीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप आयुष्मान योजना का बताईये, आप स्मार्ट कार्ड योजना का बताईये, आप खूबचंद बघेल योजना का बताईये, आप धनवन्तरी योजना का बताईये, आप राशन कार्ड योजना का बताईये न।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग इसमें नहीं भटकेंगे, आप चिंता मत करिये। मैं आपको बता दूं कि ये अलग-अलग योजनाएं हैं। आपने कहा कि ये योजना अलग है, ये योजना अलग है, ये योजना अलग है। डॉ. खूबचंद बघेल योजना क्या है ? यह वह योजना है, जिसमें इन सारी योजनाओं को समाहित कर दिया गया है। आज जो डॉ. खूबचंद बघेल के नाम से जो योजना चल रही है, उसी में व्यवस्था है कि 1/- रूपया किलो जितने राशनकार्डधारी हैं, वे परिवार का 5 लाख रूपये तक का ईलाज पायेंगे और छत्तीसगढ़ के जो शेष नागरिक, वह 50 हजार रूपये तक का ईलाज पायेंगे। इसमें अंतर क्या आया है ? बार-बार आयुष्मान योजना की बात होती है, आयुष्मान योजना के तहत जो आर्थिक सामाजिक योजना का सर्वेक्षण किया गया था, उसमें करीब 38 लाख परिवार कवर्ड थे। उनके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत करीब 4 लाख परिवार कवर्ड थे, इस तरह करीब 42 लाख परिवार हैं। आज भी केन्द्र सरकार ने उन 4 लाख परिवारों को कवर्ड करने की अनुमति नहीं दी है। वे लगभग 38 लाख परिवार ही आयुष्मान योजना से कवर्ड हैं। खूबचंद बघेल नाम से जो योजना आई है, इसमें अंतर क्या आया है ? 1/- राशनकार्डधारी परिवार अब 54 लाख से ज्यादा हो गए हैं। तो 38 लाख परिवार के अतिरिक्त 16 लाख परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में छत्तीसगढ़ की सरकार ने यहां के नागरिकों को 5 लाख रूपये तक का ईलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई है। (मेजों की थपथपाहट) जो बार-बार आयुष्मान योजना की बात आती है, मैं उसके बारे में फिर से बता देता हूं। मैंने इसके पहले भी बताया था। आयुष्मान योजना एक इंश्यारेंस प्रीमियम के आधार पर चिन्हांकित परिवारों

के पीछे राशि उपलब्ध कराई जाती है। यह ओपन राशि नहीं है कि केन्द्र सरकार ने इतनी राशि दे दी। प्रीमियम आक्शन होता है, इंश्योरेंस के टेण्डर लगते हैं, उसमें जो रेट आते हैं। उदाहरण के लिए पिछला रेट 1102 रूपया था, तो उस हिसाब से जो राशि आती है, उसमें 5 लाख रूपये में से 50 हजार रूपये तक का ही उसमें कवर होता है। शेष साढ़े चार लाख रूपया राज्य सरकार करती है। ये 5 लाख रूपये पी.एम.एच.वाय. योजना कवर नहीं करता है। जो बार-बार चित्रित किया जाता है कि वहां से 5 लाख रूपये तक का बीमा हो गया, 5 लाख रूपये तक का नहीं है। वहां से केवल 270-277 करोड़ रूपये आते हैं। शेष जो भी खर्च होता है, आपकी राज्य सरकार करती है। हमारे वित्तमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी उसको उपलब्ध कराते हैं और ये संपूर्ण राशि को एकत्रित करके और भी हेड्स हैं जिसमें कि पैसे आते हैं मान लीजिए कि कान के यंत्र की बात हो गई, या चिरायू जैसी योजनाएं हो गईं, खूबचंद बघेल ये योजना है जिसमें सबको समाहित कर दिया गया है ताकि एक जगह से एक योजना के माध्यम से इन सारी राशियों से आपको सहयोग उपलब्ध हो सके। और इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी ने जो एक बड़ी योजना चालू की थी वह इन 1 रूपये राशनकार्डधारी 54 लाख परिवारों के लिए 20 लाख रूपये तक 54 ऐसे इलाज का भी पैसा राज्य की सरकार देगी। इसमें कहीं आयुष्मान योजना का आधा पैसा भी नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेशिफिक प्रश्न है कि आयुष्मान योजना में कितना इलाज हुआ, स्मार्ट कार्ड में कितना इलाज हुआ, खूबचंद बघेल योजना में कितना इलाज हुआ। संख्या बता दें ना? आप मुझे तो रोक रहे थे कि प्रश्न पूछिए, मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब तो आ ही नहीं रहा है और सरकार ने प्रायवेट अस्पताल में कितने गरीबों का इलाज कराया? कितने लोगों का पेमेंट किया? इन योजनाओं में प्रायवेट अस्पतालों में भी लोग इलाज करायेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, जरा इसकी जानकारी दे दें?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बृजमोहन जी ने पूछा था कि आयुष्मान योजना से कितने मिलते हैं, उनसे कितने मिलते हैं तो मैंने बताया कि योजना क्या है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आयुष्मान योजना से कितने लोगों का इलाज हुआ, स्मार्ट कार्ड से कितने लोगों का इलाज हुआ, खूबचंद बघेल योजना से कितने लोगों का इलाज हुआ यह मैंने संख्या पूछी कि कितने-कितने लोगों का इन योजनाओं से लाभ हुआ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- आपने पूछा कि अलग-अलग योजना से कितना मिलता है, खूबचंद बघेल से कितना मिलता है, तो पहली चीज की खूबचंद बघेल योजना सबको समाहित करती है, दूसरी चीज जो आपने पूछी है कि इस दरमियान 4 लाख से ज्यादा लोगों का उपचार हुआ है और ये जो फ्लस मॉडल हमने अभी अपनाया है इसमें करीब 4 लाख 35 हजार लोगों का इलाज कोविड के इलाज को मिलाकर किया गया है। अगर एक-एक अस्पताल का एक-एक आंकड़ा आपको चाहिए तो कोविड से आपको एक-एक अस्पताल का एक-एक आंकड़ा मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा और कोविड पेशेंट के लिए अकेले

पीएमएजेवाई के माध्यम से अगर आप कहेंगे तो 1251 और डीकेवीएसएसवाई (डॉ. खूबचंद बघेल जी योजना) के माध्यम से 17426 ये आपकी योजना जो 17426 लोगों का कोविड के इलाज में सहयोग दिया है और जो आपने योजना पूछी थी पीएमएजेवाई की उसमें 1251 है। और अलग-अलग जानकारी होगी तो मैं उसे उपलब्ध करा दूंगा।

श्री रामकुमार यादव :- महोदय जी, महू एक ठन निवेदन करत रहेंव वो थारी लोटा ल पीटे से कतका झन ठीक होईस तेला हमर मोदी जी से पूछ देतिन।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोविड को लगभग 9 महीने का समय बीत रहा है और पूरे प्रदेश में इस कोविड कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग में अव्यवस्था का आलम रहा है और माननीय मंत्री जी उसका उदाहरण यह है कि महिला का प्रसव बरामदे में हुआ। कल ही एक प्रश्न के उत्तर में आया कि पी.पी.ई. किट खरीदने के लिए जो निविदा आमंत्रित हुई उसमें एल-1, एल-2 को नहीं दिया गया, आपने एफ.आई.आर. का आदेश दिया और दोषी अधिकारियों पर आपने कार्यवाही नहीं की। एक्टिव केस की चर्चा हो रही थी, आज एक्टिव केस के मामले में छत्तीसगढ़ की स्थिति पूरे देश में पांचवे स्थान पर है। सबसे ज्यादा ऐक्टिव केस महाराष्ट्र में है फिर केरल में है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उसके बाद एक्टिव केस के मामले में हम पांचवें स्थान पर हैं। ठीक है आप बता रहे हैं कि इनकी तुलना में हमने ज्यादा टेस्ट किया है पर अव्यवस्था की स्थिति यह है कि इस कोविड काल में जो दूसरी बीमारी से लोग ग्रस्त थे उनको प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल मेकाहारा और सिम्स जैसे स्थानों पर उपचार नहीं मिला। एक नाम का जिक्र भी हमारे ध्यानाकर्षण में है। मैं आपसे बहुत पाईंटेड प्रश्न कर रहा हूं मुझे आप बता दीजिए कि सितंबर और अक्टूबर यह करोना का पीक पीरियेड रहा है। सितंबर, अक्टूबर, 2019 में सिम्स और मेकाहारा में कितनी सर्जरी हुई और वर्ष 2020 में कितनी हुई? इससे स्थिति क्लीयर हो जायेगी कि कोरोना के चलते आपके इलाज में कितनी अव्यवस्था थी?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एल-1, एल-2 वाली जो बात है इसका हिस्सा तो नहीं है लेकिन उसका भी जवाब हो जायेगा। उसका भी जवाब चाहेंगे तो यहां भी दे सकते हैं और कोविड के समय नॉन कोविड एक्टिविटी में असर आया । ये छत्तीसगढ़ अपवाद नहीं है। ये पूरी दुनिया में क्योंकि पूरी प्राथमिकता पूरी दुनिया का ध्यान और पूरी प्राथमिकता गई कहां, कोविड ट्रीटमेंट। आप खुद ही बता रहे हैं कि कितने हजारों-लाखों और हमारे देश ने जहां एक समय हम कहते थे कि देखिए दुनिया में 20 लाख केसेस हैं हमारे यहां 20 हजार है। आज हम एक करोड़ पार कर चुके हैं। एक करोड़ प्रकरण हमारे देश में कोरोना के सामने आ चुके हैं। इन परिस्थितियों में जब आप इतनी बड़ी आबादी के उपचार के लिए प्राथमिकता की व्यवस्था करेंगे तो नॉन कोविड एक्टिविटिज पर निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा और छत्तीसगढ़ में भी पड़ा। इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद छत्तीसगढ़ ने उदाहरण के लिए टिकाकरण, देश में सर्वाधिक प्रतिशत टीकाकरण का भी लक्ष्य छत्तीसगढ़ ने हासिल

किया। 90 प्रतिशत से ऊपर 92, मुझे एक्जेक्ट याद नहीं आ रहा। लेकिन 90 प्रतिशत से ऊपर और देश में सर्वाधिक प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य को भी हमने हासिल किये।

श्री शिवरतन शर्मा :-माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत प्वाईंटेड प्रश्न है । मैंने प्वाईंटेड प्रश्न किया है कि वर्ष 2019 के सितम्बर, अक्टूबर में एम्स और मेकाहारा में कितनी सर्जरी हुई और वर्ष 2020 के सितम्बर, अक्टूबर में कितनी हुई ? तुलना से पता चल जाएगा। मैंने बहुत स्पेसिफिक प्रश्न किया है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मैं आपको पूरी जानकारी लेकर दे दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री प्रकाश शक्राजीत नायक। बहुत प्रश्न हो गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने एक ही प्रश्न किया है।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर जमाना में आखि ला ऑपरेशन करे रहेव ता आखि नइ दिखत रहिसे। महाराज।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक ही प्रश्न कर पाया हूँ, उसका भी उत्तर जानकारी लेकर देने की बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- पूरा विस्तृत जवाब आ गया है।

समय :
4:06 बजे **(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए)**

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,समाचार पत्रों में बड़े-बड़े विज्ञापन छपे कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के रोकने वाले 13 योद्धाओं की फोटो छपी और जब ये फोटो छपी तो छत्तीसगढ़ में मुश्किल से केस 1300 या 1400 थे और आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस की संख्या हो गई, 2 लाख 69 हजार। मृतकों की संख्या जो आज की तारीख में वेबसाईट में बतायी जा रही है 3 हजार 212। भईया जब संख्या 4 अंकों में थी तो रोकने वाले कोरोना योद्धाओं को क्रेडिट दिया जा रहा था। आज संख्या बढ़ी है तो उसका अपयश भी आपको झेलना पड़ेगा।

श्री रविन्द्र चौबे : - प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ बोलेंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं। प्रधानमंत्री जी नहीं, आपका ही विज्ञापन छपा था। आप लोगों का विज्ञापन छपा था इसलिए बता रहा हूँ। रोकने वाले योद्धा आप लोग थे तो आज बढ़ा है तो उसके अपयश को भी आप स्वीकार कीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे : - देश में कोरोना बढ़ा है तो आप नरेन्द्र मोदी जी को दोष देंगे क्या ? ये क्या प्रश्न है। आप मूलत: प्रश्न में..।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने प्रश्न कहां किया ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे : - आप क्या कहना चाह रहे हैं ? शंख और घण्टी बजाने से कोरोना रूकता है क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने जो विज्ञापन छपवाया, वह बता रहा हूँ। जनजागृति होती है।

श्री रविन्द्र चौबे : - थाली बजाने से कोरोना भागता है ? आप क्या कहना चाह रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- जनजागृति होती है। हम यही कहना चाहते हैं कि आपकी अव्यवस्था का आलम है, उसका परिणाम प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है।

श्री रविन्द्र चौबे : - और छत्तीसगढ़ में हमारे फोटो नहीं लगेंगे तो क्या आपके फोटो लगेंगे क्या ? छत्तीसगढ़ में हमारी तस्वीरें नहीं लगेंगी तो क्या अभी भी आपकी तस्वीरें लगेंगी क्या ?

श्री मोहन मरकाम :-नमस्ते ट्रम्प का क्या हुआ ?

सभापति महोदय :- माननीय शर्मा जी, एक घण्टे से अधिक हो गये हैं। कृपया अब समाप्त करें। प्रकाश शक्राजीत नायक अपना ध्यानाकर्षण पढ़े। सवा घण्टे से अधिक समय हो गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सवा घण्टा से अधिक हो गया है। कृपया बैठ जाईये। प्रकाश शक्राजीत नायक।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट सुन लीजिए। हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय :- इतना प्रश्न हो चुका है। आपको भी कई बार अवसर मिल चुका है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण में इनका नाम नहीं है। ये जबरदस्ती खड़े हो जाते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आपके हित की बात पूछ रहा हूँ। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी इंग्लैण्ड से जो कोरोना आया है, उसके बारे में आप बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा:- माननीय सभापति महोदय, मैं अंतिम प्रश्न करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य आप सहयोग करिये। काफी प्रश्न हो चुके हैं। वह अब अपना ध्यानाकर्षण पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं। कृपया बैठ जाईये।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंग्लैण्ड वाले कोरोना का क्या पोजिसन है, वह बता दीजिए ? ताकि पूरे प्रदेश में मैसेज यह चला जाए,

आप इतना तो बता सकते हैं ? फैलने के बाद बताएंगे तो क्या फायदा है ? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इंग्लैण्ड से जो कोरोना आया है उसकी स्थिति क्या है, आप माननीय मंत्री जी से स्पष्ट करवा दीजिए।

सभापति महोदय :- अब आगे बढेंगे। कृपया आप सहयोग करिये। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, भविष्य की कार्ययोजना क्या है ? कोरोना से निपटने के लिए यह तो सामने आना चाहिए। कोरोना से निपटने के लिए भविष्य की कार्ययोजना क्या है ?

सभापति महोदय :- सारी बातें आ गई हैं, उनका ध्यानाकर्षण आ गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो कोरोना का पूछ ही नहीं रहा हूं। इंग्लैण्ड से जो कोरोना आ रहा है, उसके बारे में बता दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि आने वाले समय में कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए क्या कार्ययोजना है? अभी यह भय पैदा हो गया है कि इंग्लैण्ड से भी कीटाणु आने वाला है। कार्ययोजना क्या है, यह जानकारी तो सदन में आनी चाहिए। यह उचित नहीं है।

सभापति महोदय :- अब आगे बढ़ चुका है, कृपया सहयोग करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह उचित नहीं है। भविष्य की कार्ययोजना आनी चाहिए।

सभापति महोदय :- अब सारी बातें आ चुकी हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- भविष्य में कोरोना से निटपने के लिए सरकार के पास में कोई कार्ययोजना नहीं है। हम सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन करते हैं।

समय :
04:11 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>शासन के उत्तर विरोध में</u>

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से गहिर्गमन किया गया।)

<u>(2) एमएसपी स्टील एवं पावर लिमिटेड, रायगढ़ द्वारा बिना अनुमति के पेड़ों की अवैध कटाई एवं सड़क का चौड़ीकरण कराया जाना।</u>

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक (रायगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :- रायगढ़ के पूर्वांचल में एमएसपी स्टील एवं पावर लिमिटेड स्थापित है।

उक्त उद्योग के द्वारा शासन-प्रशासन की मिली भगत से नियमों की खुलेआम धज्जियॉ उड़ाई जा रही हैं। उक्त उद्योग के द्वारा नियम कानून को ताक में रखकर अपने निजी उपयोग के लिए ग्राम मनुवापाली से जामगांव डीपापारा के लिये निर्मित प्रधानमंत्री सड़क में भारी वाहनों के उपयोग से सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होकर चलने लायक ही नहीं रही है। एमएसपी स्टील के द्वारा ग्राम बलभद्रपुर चौक से बलभद्रपुर के लिये वन भूमि में मात्र 08 फिट चौड़ी सड़क को जो केवल ग्रामीणों के उपयोग के लिये थी, को कंपनी के वेस्ट मटेरियल इत्यादि को फेंकने के लिये बड़ी गाडियॉ ले जाने हेतु सड़क को कब्जाकर बिना अनुमति के 20 से 30 फिट चौड़ाकर वन विभाग के हजारों पेड़ों की बलि चढ़ाई गई है। उक्त कंपनी के द्वारा अपने कंपनी के किनारे-किनारे शासकीय जमीन को बेजा कब्जा कर भारी वाहनों के आवाजाही हेतु सैकड़ों पेड़ों की बलि चढ़ाई गई है। कंपनी के द्वारा कारखाने के औद्योगिक अपशिष्ट जैसे फ्लाईएश, स्लेक, बेड मटेरियल्स किलन डस्ट आदि को यत्र-तत्र फेंक दिया जा रहा है जिसके कारण ग्रामीणों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है। कंपनी के किनारे से लगकर एक जिन्दा नाला बहती थी जिसे कंपनी के द्वारा बंद कर उसमें कारखाने का गन्दा पानी छोड़ा जा रहा है जो आगे जाकर नदी में मिलने से नदी का पानी उपयोग लायक नहीं रहा है। उक्त कंपनी के भीतर नियम से अधिक डायामीटर के लगभग 75 ट्यूबवेल संचालित है, जिसमें से मात्र 25 की ही अनुमति प्राप्त है। कंपनी के लिये जल की आपूर्ति हेतु मानकेश्वरी से बेलरिया मुख्य नदी में इंटकवेल बनाकर अनुबंध से अधिक मात्रा में पानी लिया जाता है, जिसके कारण नदी के नीचे पानी बहना ही बंद हो जाने से एक बहुत बड़े जनंसख्या को जलसंकट का सामना करना पड़ता है। बलभद्रपुर वेस्ट माल डम्पिंग क्षेत्र में 25 से 30 किसानों की निजी जमीन में जबरिया माल डम्प कर दिया जा रहा है, साथ ही उक्त जमीन को फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर खरीदी की गई है जिसकी अपील भी किसानों के द्वारा न्यायालय में की गई है। उक्त कंपनी के द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के लिये दिये जाने सीएसआर की राशि भी वर्षों से जमा नहीं की जा रही है, ना ही जल की राशि सरकार के खाते में जमा की जा रही है। इस तरह कंपनी के मनमानी रवैये से क्षेत्र के किसानों एवं आम नागरिकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- यह सही है कि रायगढ़ के पूर्वांचल में ग्राम जामगांव तहसील जिला रायगढ़ में एमएसपी स्टील एवं पावर लिमिटेड स्थापित है एवं उक्त उद्योग द्वारा माल ढुलाई के लिए स्वयं की रेलवे साइडिंग का निर्माण किया गया है, कुछ मात्रा में ही माल ढुलाई तिलगा भगोरा सड़क मार्ग से किया जाता है। अत: यह कहना सत्य नहीं है कि उक्त उद्योग के द्वारा शासन-प्रशासन की मिली भगत से नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तथा उक्त उद्योग के द्वारा नियम कानून को ताक में रखकर अपने निजी उद्योग के लिए ग्राम मनुवापाली से जामगांव डीपापारा के लिए निर्मित प्रधानमंत्री सड़क में भारी वाहनों के उपयोग से सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होकर चलने लायक ही नहीं रहा है।

यह कहना भी सत्य नहीं है कि एमएसपी स्टील लिमिटेड के द्वारा ग्राम बलभद्रपुर चौक से बलभद्रपुर के लिए वन भूमि में मात्र 08 फिट चौडी सड़क को कंपनी के वेस्ट मटेरियल इत्यादि को फेकने के लिए बड़ी गाड़ियां ले जाने हेतु सड़क को कब्जाकर बिना अनुमति के 20 से 30 फीट चौड़ाकर वन विभाग के हजारों पेड़ों की बलि चढ़ाई गई है अपितु तथ्य यह है कि ग्राम पंचायत अड़बहा के पत्र दिनांक 02.03.2018 में किए गए अनुरोध पर सड़क का चौड़ीकरण किया गया है, जिसमें कोई भी पेड़ पौधों को क्षति नहीं पहुचाई गई है। साथ ही यह भी सही नहीं है कि उक्त कंपनी के द्वारा अपनी कंपनी के किनारे-किनारे शासकीय जमीन को बेजा कब्जा कर भारी वाहनों के आवाजाही हेतु सैकडों पेड़ों की बलि चढ़ाई गई है, कंपनी द्वारा कंपनी के किनारे-किनारे शासकीय जमीन को बेजा कब्जा नहीं किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उद्योग से जनित ई.एस.पी. डस्ट को अपवहन ग्राम पंचायत-मनुआपाली से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर स्वयं की भूमि पर खसरा नंबर 12/1, 12/3 एवं 12/4 कुल रकबा 8.15 एकड़ में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उद्योग के इण्डक्शन फर्नेस से प्रतिदिन जनित स्लेग लगभग 126 टन एवं फेरो एलायज प्लांट से जनित स्लेग लगभग 95 टन का उपयोग, परिसर एवं आसपास सिविल वर्क, सड़क निर्माण आदि में किया जाता है। अत: यह कहना सही नहीं है कि उद्योग द्वारा औद्योगिक अपशिष्टों जैसे फ्लाई ऐश, स्लेग, बेड मटेरियल्स, किलन डस्ट आदि को यत्र-तत्र फेंक दिया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है। उद्योग से जनित दूषित जल के उपचार हेतु 02 नग दूषित जल उपचार संयंत्र (ई.टी.पी.) का निर्माण किया गया है। उपचारित दूषित जल का उपयोग डस्ट सप्रेशन व बागवानी में किया जाता है एवं शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी के किनारे मौसमी नाला विद्यमान है, जिसमें बरसात के महिनों में ही वर्षा का जल का ही बहाव होता है। कंपनी द्वारा अपने परिसर में सेटलिंग पॉण्ड का निर्माण किया गया है जिसमें एकत्रित जल का सतत् निर्माण प्रक्रिया में पुर्नचक्रण विधि से पुन: जल का उपयोग किया जाता है। अत: यह कहना सत्य नहीं है कि कंपनी के किनारे से लगकर एक जिन्दा नाला बहता था, जिसे कंपनी के द्वारा बंद कर उसमें कारखाने का गंदा पानी छोडा जा रहा है, जो आगे चलकर नदी में मिलने से नदी का पानी उपयोग लायक नहीं रहा है।

यह कहना सही नहीं है कि उक्त कंपनी के भी नियम से अधिक डायमीटर के लगभग 75 ट्यूबवेल संचालित है, जिसमें से मात्र 25 की ही अनुमति प्राप्त है। वस्तुस्थिति यह है कि कंपनी के अंदर 07 नग बोरवेल संचालित है जिनका उपयोग सिर्फ पीने के पानी के लिए किया जा रहा है, जिसकी अनापत्ति केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 21-4 (52)/NCCR/CGWA/2009-57 दिनांक 30.06.2009 द्वारा जारी है। इसी प्रकार यह कहना सही नहीं है कि कंपनी के लिए जल की आपूर्ति हेतु मानकेश्वरी से बेलरिया मुख्य नदी में इंटकवेल बना कर अनुबंध से

अधिक मात्रा में पानी लिया जाता है, जिसके कारण नदी के नीचे पानी बहना बंद हो जाने से एक बहुत बड़े जनसंख्या को जलसंकट का सामना करना पड़ता है, वस्तुस्थिति यह है कि जल संसाधन विभाग द्वारा कुरूनाला पर ग्राम बेहरापाली में एनीकट निर्माण की गई जिसमें 2.00 मि.घ.मी. वार्षिक आबंटित जल को अनुबंधित कर जल आहरण इकाई द्वारा की जा रही है । नदी के निजले हिस्से में निस्तार हेतु पानी उपलब्ध रहता है।

समय :
4:15 बजे

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए)

यह कहना सही नहीं है कि बलभद्रपुर वेस्ट माल डम्पिंग क्षेत्र में 25 से 30 किसानों की निजी जमीन में जबरिया माल डम्प कर दिया जा रहा है साथ ही उक्त जमीन को फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर खरीदी की गई है । वस्तुत: पूर्व में उद्योग द्वारा बलभद्रपुर में फ्लाई एश का डम्प किया गया था जिसके कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा माह जून 2020 में कार्यवाही की जाकर उद्योग की पावर प्लांट इकाईयों में उत्पादन बंद किया गया था। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिये गये निर्देश के परिपालन में उद्योग द्वारा बलभद्रपुर में समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य कराया गया। उद्योग द्वारा वर्तमान में ग्राम- बलभद्रपुर स्थल पर फ्लाई एश की डम्पिंग नहीं की जा रही है । प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बलभद्रपुर में मेसर्स लिंब डिस्ट्रीब्यूटर प्रा.लि. द्वारा ब्रिक्स प्लांट एवं सीमेंट प्री-कास्ट की उद्योग लगाया जाना प्रस्तावित है, उनके अनुरोध पत्र के आधार पर निर्माण कार्य एवं ब्रिक्स निर्माण हेतु फ्लाईएश प्रदान की गई है तथा ग्राम बलभद्रपुर में मेसर्स एमएसपी स्टील एण्ड पावर लिमि. ने कोई जमीन क्रय नहीं की गई है ।

यह कहना सही नहीं है कि कंपनी के द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के लिए दिये जाने वाले सीएसआर की राशि भी वर्षों से जमा नहीं किया जा रहा है, ना ही जलकर की राशि सरकार के खाते में जमा की जा रही है, प्राप्त जानकारी अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 में कंपनी द्वारा 07 विकास कार्यों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास कार्यों में राशि 117.61 लाख स्वयं के द्वारा कार्य किया जाकर व्यय की गई एवं राशि रूपए 15.85 लाख शासन एवं जिला प्रशासन के महतवपूर्ण कार्य चक्रधर समारोह एवं कोविड 19 के ट्रांसपोर्टेशन, नेशनल ट्रायबल डांस फेस्टिवल के लिए राशि प्रदाय की गई है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु राशि रूपए 158.00 लाख प्रस्तावित है जिसमें से कंपनी द्वारा राशि रूपये 16.05 लाख का कार्य स्वयं के द्वारा किये जाने अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी गई है । इसी प्रकार जल संसाधन विभाग में जल उपयोग का मासिक रूपए 15.75 लाख का भुगतान माह नवंबर, 2020 तक की गई तथा किसी प्रकार के बकाये की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

अतएव कंपनी के कारण क्षेत्र के किसानों एवं आम नागरिकों में भी आक्रोश व्याप्त होने जैसी स्थिति नहीं है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने, आसंदी ने एक-बार व्यवस्था दी थी कि मंत्री जी की अनुपस्थिति को परंपरा न बनाया जाये । आज दो घटना घटी । आसंदी के द्वारा यह अवगत नहीं कराया गया है कि माननीय मंत्री जी अनुपस्थित रहेंगे । प्रथम चरण में, फर्स्ट हाफ में माननीय कवासी लखमा जी यहां उपस्थित थे । आपके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, आसंदी के द्वारा कि वे अनुपस्थित रहेंगे और किस तरह के बिजनेस को फलाना मंत्री लेंगे या अधिकृत किया गया है करके तो जब आज उपस्थित थे, अचानक क्या ऐसी स्थिति बनी कि वे अपने बिजनेस के लिए अनुपस्थित हैं । इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प भी उसी विभाग का है तो सरकार जानबूझकर आसंदी के निर्देशों के विपरीत यह परंपरा बना रही है ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- आपको कवासी लखमा जी से क्या काम है, आप बता दीजियेगा । आपका काम हो जाएगा ।

सभापति महोदय :- श्री अमरजीत जी, व्यवस्था आसंदी से जाएगी न, आप मत दीजिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- चूंकि यह व्यवस्था का प्रश्न है ।

सभापति महोदय :- एक मिनट, आपकी व्यवस्था के प्रश्न का ही जवाब दे रहा हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह बोल रहा हूं कि कवासी लखमा जी से क्या जरूरी काम है आप बता दीजिएगा ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी की अनुपस्थिति की सूचना आसंदी को प्राप्त हुई है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं है कि आसंदी को प्राप्त हुई है । मैंने यह कहा कि यह परंपरा मत बने । यह माननीय कवासी लखमा जी के बारे में आसंदी के निर्देश हैं ।

सभापति महोदय :- आज उनकी अनुपस्थिति की सूचना प्राप्त हुई है । श्री प्रकाश शक्राजीत नायक ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मुझे यह बताने का कष्ट करें कि आधे दिन के अनुपस्थिति की सूचना प्राप्त हुई है कि पूरे दिन के अनुपस्थिति की सूचना प्राप्त हुई है ?

सभापति महोदय :- वे अपरिहार्य कारणों से... ।

श्री अजय चंद्राकर :- अनुपस्थिति की सूचना दिनभर की होती है ।

श्री अमरजीत भगत :- श्री कवासी जी से क्या काम है बता दीजिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आप जानते हैं कि घंटे, आधे घंटे के लिए अनुपस्थिति की सूचना नहीं होती । अनुपस्थिति की सूचना दिनभर, हफ्ते भर, 15 दिन या सत्र भर ऐसी होती है । 2 घंटे के लिये अनुपस्थिति की सूचना नहीं होती ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय अजय जी की यह परंपरा सी हो गई है और यह कोई पहला सत्र नहीं है । आदरणीय कवासी जी के पढ़ने के संदर्भ में 3-4 बार हो गया । आप प्रश्न उठाते हैं और आसंदी से कई बार व्यवस्थाएं दी जा चुकी हैं । आप उसकी पुनरावृत्ति क्यों चाहते हैं ? आपको सूचना है जैसे आसंदी ने कह दिया तो मेरा ख्याल है अब उन्होंने अपना ध्यानाकर्षण पढ़ लिया । उसका उत्तर आना था, आ गया ।

श्री अजय चंद्राकर :- ईमानदारी से कहूं तो मैं यह नहीं जानता था कि आप उत्तर दे रहे हैं । न आपने सूचना दी कि आप आसंदी से लेंगे करके ।

श्री रविन्द्र चौबे :- क्या किसी मंत्री की अनुपस्थिति में कौन पढ़ेगा यह हमेशा सूचना देने की परंपरा है ?

सभापति महोदय :- चलिये, वह व्यवस्था आ गयी है । श्री प्रकाश नायक जी।

श्री रविन्द्र चौबे :- ऐसा कभी होता नहीं है । आप नयी-नयी परंपरा क्यों स्थापित करना चाहते हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- परम्परा तो आप नई-नई स्थापित कर रहे हैं । जब मैं खड़े होता हूं तो आप मेरे साथ क्या व्यवहार करते हैं और आपके मंत्री खड़े होकर मेरे ऊपर बाले, तब आपने क्या व्यवहार किया, यह मैंने देखा है आज ।

सभापति महोदय :- चलिए, प्रकाश नायक जी प्रश्न कीजिए ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उस उद्योग का अधिकांश कोयला सड़क द्वारा परिवहन किया जाता है । इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का उपयोग किया जाता है । इसकी भी मैं जांच चाहता हूं और आपके अधिकारी इसमें गलत जवाब दे रहे हैं । पूरा पूर्वांचल वनों से आच्छादित क्षेत्र है । वहां वन भूमि में मात्र 8 फिट चौड़ी सड़क थी । सड़क के दोनों तरफ पेड़ थे । जब चौड़ीकरण किया गया तो बहुत सारे पेड़ काटे गए । मैं उसकी भी जांच चाहता हूं और साथ में वीडियोग्राफी के साथ जांच चाहता हूं । आपने जो जवाब दिया है कि जो स्लैग या वेस्ट मटेरियल इधर-उधर फेंका नहीं जा रहा है । आप वहां जाकर देखेंगे तो सभी जगह फेंका जारहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है । वहां एक जिंदानाला बहता था, अभी भी वहां पानी निकलता है, उसे बंद कर दिया गया है ।

सभापति महोदय :- प्रकाश जी, आप सीधे प्रश्न कर लीजिए । आपने ध्यानाकर्षण दिया, उस पर मंत्री जी का उत्तर आ गया । अब प्रश्न कर लीजिए ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- उस नाले को बंद कर दिया गया है और नाले का पानी बाहर फेंका जा रहा है । मैंने ट्यूबवेल की भी बात की है, वहां 75 ट्यूबवेल है । मैंने ध्यानाकर्षण में जिन भी बातों का उल्लेख किया है उन सबकी आप जांच कराएंगे क्या । जिला स्तर पर बड़े अधिकारी से जांच और वीडियोग्राफी के साथ जांच कराएंगे क्या ।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, ध्यानाकर्षण में 5-6 बिंदु शामिल हैं । वैसे भी इस उद्योग की हालत बहुत खराब है । 2013 से इसको बैंक संचालित कर रहे हैं। यह उद्योग कर्जदार था, पता नहीं उद्योगपति है या भाग गया, क्या स्थिति है वही जाने । पहली बात यह है कि इसको बैंक संचालित कर रहा है । दूसरी बात यह है कि इसमें दो बिंदु महत्वूपर्ण हैं कि किसानों के खेत में डम्प कर रहा रहा है और आपने लिखा है कि इसमें फर्जी रजिस्ट्री हुई है । पानी के बारे में आपने कहा तो मैंने आपको बताया कि उसने जल संसाधन विभाग को टैक्स पटाया, मैंने आपको तारीख भी बता दी । ट्यूबवेल के बारे में आपने कहा तो विभाग ने वेरीफिकेशन किया, इतने ट्यूबवेल वहां नहीं पाए गए । आपने कहा सड़क खराब कर दिया, प्रधानमंत्री सड़क विभाग ने जानकारी मंगाई है उसमें ऐसी स्थिति नहीं होना पाया गया है । फॉरेस्ट एण्ड एनवायरमेंट विभाग से हमने जानकारी मंगाई है कितने पेड़ कटे, उसके बावजूद भी दो बिंदुओं पर मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किसानों के खेत में वह डम्प क्यों कर रहा है । दूसरा, फर्जी रजिस्ट्री के बारे में अभी आपने उल्लेख किया, ये दोनों बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं, किसानों के खेत में इस प्रकार से अनाधिकृत रूप से नहीं किया जाना चाहिए । इसकी जांच करा लेंगे, आप कहेंगे तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से जांच करा लेंगे, आप कहेंगे तो उद्योग विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर रायगढ़ में पोस्टेड हैं, उनसे जांच करा लेंगे । आप जिस भी स्तर पर जांच कराना चाहेंगे मैं इसके लिए निर्देश जारी कर दूंगा ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- सभापति जी, मैंने जो ध्यानाकर्षण लगाया है उसमें उद्योग भी है, प्रधानमंत्री सड़क भी है, वन भी है, सिंचाई विभाग भी है और फर्जी रजिस्ट्री यानी राजस्व विभाग भी है । आपने कहा कि वह बैंक द्वारा संचालित है । लगातार उस कंपनी द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है । वहां के किसानों को परेशान किया जा रहा है । वहां पर एक नदी बहती है उसमें गंदा पानी डाला जा रहा है जिससे किसानों को बहुत तकलीफ है । मैं इन सारी चीजों की जांच चाहता हूं और साथ ही वीडियोग्राफी के साथ जांच चाहता हूं जिससे कि सारे तथ्य आपके सामने आएं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, हम निर्देश जारी कर देंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- सभापति जी, कोविड के मामले में मैंने बीच में पूछा तो जवाब नहीं आया । हालांकि अभी कोई ध्यानाकर्षण से मतलब नहीं है । आज ही हम लोग अखबार में पढ़ रहे थे कि यूनाइटेड किंगडम से इंग्लैंड से कोई नया कोरोना लेकर कुछ लोग हिंदुस्तान पहुंचे हैं । उसमें एकाध कोई छत्तीसगढ़ में आ गया है । मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि आपकी जानकारी में

हो तो कृपा करके पूरे प्रदेश के लोगों को बताइए कि ये इंग्लैंड वाला कोरोना क्या है । कोई जानकारी हो तो आप बता दें । इंग्लैंड से जो कोरोना आ गया है उसके बारे में आप बताना चाहें तो बता दें ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप कल जानकारी दे देंगे तो अच्छा रहेगा ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय सभापति महोदय, धर्मजीत जी ने जो बातें कहीं, वह point of information के तहत आयेगा। इसको मंत्री जी कल जवाब दे देंगे।

सभापति महोदय :- मैंने भी वही बात कही।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो यह कहा कि सिर्फ एक सामान्य जानकारी पूरे प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से हो जाये ताकि उसके बचाव-वचाव का रास्ता हो तो बता दो। एक बार तो हम कोरोना के चक्कर में आ गये हैं। दोबारा फिर आने वाला है, इसलिए घबराहट हो रही है।

सभापति महोदय :- नियम 267- क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मैं यह कह दूं कि कोई चिंता की बात नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम पूरे सदन की तरफ से शासन से इस बात का आग्रह करते हैं कि कोरोना के संबंध में भविष्य की कार्ययोजना क्या है?

सभापति महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि कल इसमें माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आ जायेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, इसमें थोड़ा सा डिटेल और लोगों को आर्थिक सहायता क्या मिल सकती है और कैसे मिल सकती है? लोग कहां इलाज करवा सकते हैं? यह पूरा डिटेल आ जाये तो ज्यादा उचित रहेगा।

समय :
4:25 बजे

<u>नियम 267- "क" के अधीन विषय</u>

सभापति महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा।

1. श्री अजय चन्द्राकर
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल
3. श्री नारायण चंदेल
4. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
5. श्री ननकी राम कंवर

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :
4:26 बजे

<u>प्रतिवेदन की प्रस्तुति</u>

<u>गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन</u>

श्री धनेन्द्र साहू, सभापति :- माननीय सभापति महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष गुरूवार, दिनांक 24 दिसंबर, 2020 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	**सदस्य का नाम**	**समय**
(क्रमांक- 01)	श्री सत्यनारायण शर्मा	01 घण्टा
(क्रमांक- 05)	श्री अजय चन्द्राकर	01 घण्टा
(क्रमांक- 03)	श्री देवेन्द्र यादव	30 मिनट

श्री धनेन्द्र साहू :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय :
4.27 बजे

<u>याचिकाओं की प्रस्तुति</u>

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
2. श्रीमती ममता चन्द्राकर
3. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
4. श्री नारायण चंदेल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

4.28 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 30 सन् 2020)

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- मैं छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 30 सन् 2020) के पुर: स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 30 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय :- जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया हां कहें।

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों, वे कृपया ना कहें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, इसके पुर:स्थापन पर मेरी आपत्ति है। इसे 3 परसेंट से 2 परसेंट किया जा रहा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- किसको ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वित्तीय ज्ञापन, इसमें शासन को कितना नुकसान होगा और इसके बारे में कोई वित्तीय ज्ञापन इसमें नहीं लगाया गया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वह जब चर्चा में आयेगा तो बताइएगा न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वित्तीय ज्ञापन नहीं लगाये जाने के कारण कि कितना नुकसान शासन को होगा ? कितना नुकसान नगर-निगम नगर-पालिकाओं को होगा, यह इसमें नहीं कहा गया है। इसलिए इसका वित्तीय ज्ञापन लगाने के बाद इसे प्रस्तुत करें तो ज्यादा उचित होगा।

सभापति महोदय :- इसमें वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। जब करारोपण होगा तब उसमें वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता होगी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसमें इस बात का उल्लेख किया है कि दो चीजों में टैक्स का परसेंट कम कर रहे हैं। जब उसे कम रहे हैं तो इससे शासन के एक्सचेकर को नुकसान होगा। नगर-निगम नगर-पालिकाओं को नुकसान होगा और इसलिए उसको उल्लेख करना चाहिए था इससे इतना पैसा हमें कम मिलेगा और उसकी पूर्ति नगर-निगमों को नगर-पालिकाओं को किस माध्यम से की जायेगी, इसका कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि स्थानीय संस्थाओं की वैसे ही स्थिति जर्जर है और जर्जर स्थिति के बाद भी उसे कम करना, मुझे लगता है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है, मेरी समझ से बाहर है कि क्या कुछ लोगों को छूट देने के लिए, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह लाया गया है क्या ?

सभापति महोदय :- चर्चा में सारे विषय आ जायेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, अगर नियम के अनुसार इसमें होनी चाहिए तो आप व्यवस्था कर दें ।

सभापति महोदय :- इसमें परीक्षण किया जा चुका है, वित्तीय प्रतिवेदन आवश्यक नहीं है ।

सभापति महोदय :- जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया हां कहें ।

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों, वे कृपया ना कहें ।

हां की जीत हुई

हां की जीत हुई ।

अनुमति प्रदान की गई.

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, इसमें संशोधन भी है कि इसमें शासन को अधिकार दिया जा रहा है कि अगर कोई एक समय के पश्चात् कोई सीमा के पश्चात्....

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- जब खण्डों पर विचार होगा, उस समय संशोधन होगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- संशोधन अभी कर सकते हैं । जब अभी पुर:स्थापित हो रहा है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- जब पुर:स्थापित हो रहा है तो उसमें कैसे संशोधन कर सकते हैं । आपने संशोधन तो खण्डों में दिया होगा न । जब विचार के लिए खण्ड आएगा, उस समय आपकी बात रखी जाएगी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, जो अधिकार पहले नगर निगम, नगर पालिकाओं को थे, वह अधिकार अब शासन ले रहा है कि इससे ज्यादा भूमि होगी तो शासन में उसको कैबिनेट निर्णय करेगी । लोगों का काम जो आसानी से हो जाता था, ईज़ी वे में हो जाता था, वह कैबिनेट में जाएगा । कैबिनेट में कब जाएगा, कब नहीं जाएगा, इससे काम और ज्यादा रूकेंगे इसलिए हम तो चाहते हैं कि पावर का Decentralization होना चाहिए और इसलिए शासन जो अधिकार दे रहा है, वह ठीक नहीं है और वह अधिकार नगर निगम, नगर पालिकाओं के पास ही होना चाहिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं यही तो कह रहा हूं । आज जिस समय खण्ड पर आएंगे तो आप अपना संशोधन पढ़िएगा । सदन में वह बात आएगी ।

सभापति महोदय :- अभी यह पुर:स्थापित हो रहा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, पुर:स्थापन पर ही आपत्ति है न।

सभापति महोदय :- पुर:स्थापन के बाद जब इसमें चर्चा होगी तो संशोधन पर चर्चा हो जाएगी ।

नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक, 2020 (क्रमांक 30, सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं ।

(2) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम संशोधन विधेयक, 2020 (क्रमांक 31, सन् 2020)

नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 31, सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम संशोधन विधेयक, 2020 (क्रमांक 31, सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए ।

अनुमति प्रदान की गई.

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, मेरी सेम आपत्ति इसमें भी है । आप उसको नोट करवा लें और आप भले उसमें जो निर्णय करना चाहें, वह कर लें ।

सभापति महोदय :- डॉ. शिवकुमार डहरिया ।

नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 31, सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं ।

(3) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 32, सन् 2020)

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 32, सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 32, सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, इसमें भी 50 पैसे से 2 रूपये तक का उल्लेख था, उसको तीन रूपये किया जा रहा है, 3 परसेंट किया जा रहा है और इसमें भी वित्तीय ज्ञापन नहीं लगाया गया है तो मुझे लगता है कि वित्तीय ज्ञापन परम्परा है कि वित्तीय ज्ञापन होना चाहिए । यहां पर भी Financial involvement हो और इसमें Financial involvement है और इसमें भी वित्तीय ज्ञापन नहीं लगाया गया है और दूसरी बात यह है कि इसके माध्यम से इसको अनुमति इसलिए नहीं दी जानी चाहिए कि शासन इसको इसलिए ला रहा है कि केन्द्र सरकार से जो पैसा मिलेगा, वह हमको बढ़कर मिलेगा, परन्तु जब किसान मंडियों में बेचेगा, निजी लोगों को बेचेगा, तब उसको 3 प्रतिशत मंडी टैक्स लग जाएगा इसलिए इसमें आपको इस बात का उल्लेख करना चाहिए था कि अगर निजी किसान मंडियों में बेचेगा, व्यापारियों को बेचेगा तो उनको टैक्स नहीं लगेगा इसलिए आपने जो विधेयक लाया है, उसमें

वित्तीय ज्ञापन भी नहीं लगा है और साथ में किसानों के हित में नहीं है इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको रोकना जाना चाहिए ।

सभापति महोदय :- इसका परीक्षण करा लिया गया है । वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है ।

सभापति महोदय :- जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया हां कहें ।

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों, वे कृपया ना कहें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, इसमें एक संशोधन और है कि मंडी किसान शुल्क लेने का अधिकार नहीं था, न ही मंडी के बिल में है । इसलिए यह जो आप कानून ला रहे हैं, यह नया ला रहे हैं । इसलिए संशोधन कानून में इसका उल्लेख नहीं हो सकता । अगर किसान विकास शुल्क आप अलग से ले रहे हैं और अलग से लेने का प्रावधान कर रहे हैं तो यह संशोधन नहीं है । यह नया प्रोवीजन है और नया प्रोवीजन सदन में नहीं आ सकता । इसमें आपको नया प्रोवीजन, नया बिल आपको लाना था । आप एक नया करारोपण कर रहे हैं और नया करारोपण किसी शुल्क को घटाना बढ़ाना, पुराने बिल में एक अलग बात है। परंतु आप एक नया करारोपण कर रहे हैं। ये किसान शुल्क क्या है ? इसके बारे में आपने जो उपाबंध, उद्देश्य और कारण है, इसमें भी आपने कोई उल्लेख नहीं किया है। मैं चाहूंगा कि सचिवालय के माध्यम से ये बता दें कि जो किसान शुल्क लगाया जा रहा है, वह पुराने बिल में कहां उल्लेख है। वह अगर पुराने बिल में उल्लेख किया जा रहा है तो वह क्या किया जा सकता है ? यह संशोधन नहीं है। एक नया टैक्स लगाया जा रहा है। नया टैक्स लगाने के लिये नये बिल की आवश्यकता होगी और इसको ये नहीं लगा सकते, यह आपत्तिजनक है। इसके माध्यम से किसानों को परेशानी होगी। एक नया टैक्स उनके ऊपर में और लग जायेगा।

समय :

4:36 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुए)**

उपाध्यक्ष महोदय, आप किसानों की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और एक नया टैक्स किसानों के उपर में किसान शुल्क के नाम से वसूल करेंगे। ये कैसे संभव होगा? सभापति जी, मेरी आपत्ति का निराकरण कर दें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष जी आ गये हैं, उनको एक बार और प्रणाम कर लीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- प्रणाम, आपको प्रणाम करने का डहरिया जी का आदेश है।

उपाध्यक्ष महोदय :- नियमानुसार परीक्षण कर लिया गया है, कोई जरूरत नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- किसान शुल्क का उल्लेख पुराने मंडी एक्ट में नहीं है। यह नया शुल्क लगाया जा रहा है। नया शुल्क लगाने के लिये संशोधन कैसे होगा? ये तो एक नया एक्ट आयेगा। आप

जरा मुझे इसके बारे में बता दें। 199 में वित्तीय ज्ञापन भी आवश्यक रखा गया है, नये टैक्स में, वह भी इसमें नहीं लगा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सुन लें, सदन का सबसे बड़ा काम legislation बनाना है और legislation बनाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन विधेयक, 2020 (क्रमांक 32 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये। चूंकि व्यवस्था दी गयी है।

अनुमति प्रदान की गई।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 32 सन् 2020) की पुर:स्थापन करता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारा जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान के 199 में धन विधेयक की परिभाषा, इस अध्याय के प्रयोजन के लिये कोई विधेयक धन विधेयक समझा जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री मोहम्मद अकबर।

(4) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 33 सन् 2020)

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 33 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यदि उसने केवल निम्नलिखित या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध तथा किसी भी प्रकार का करारोपण, उपार्जन, परिहृत, परिवर्तन, विनिमय ये क्या हो रहा है ? ये उचित नहीं है। अगर legislation में यह होगा तो उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 33 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री अजय चंद्राकर :- संसदीय कार्य मंत्री जी, इतनी जल्दी क्या है ? बहुमत है, चिंता मत कीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- बहुमत है, ये तो दिख ही रहा है। बहुमत तो है, जनता ने दिया है।

श्री अजय चंद्राकर :- सुनते क्यों नहीं, सुनने का तो है ही नहीं। आपत्ति को सुनने का धैर्य नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- जनता ने दिया है, बहुमत तो है, आप हर बार कहेंगे, बहुमत तो है। छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है।

श्री अजय चंद्राकर :- आपत्ति को सुनने का धैर्य नहीं है ना।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- चर्चा होगी तब बोलना ना।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, आप उसको स्वीकार करे या नहीं करें यह आपके अधिकार में है। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। परंतु अगर मैं किसी विषय को legislation के मामले उठा रहा हूं तो उसके उपर में निराकरण होना चाहिए। विधानसभा या लोकसभा का सबसे प्रमुख काम कानून बनाना है और कानून बनाते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही, व्यवधान नहीं होना चाहिए। अगर उसके लिये मैं कोई आपत्ति उठा रहा हूं तो उसका निराकरण होना चाहिए और कम से कम मैं आपसे भी हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि कानून बनाने के विषय पर आप ऐसी हड़बड़ी न करें। इसका नाम ही legislation assembly है, कानून बनाना हमारा काम है और अगर कानून गलत बनता है तो इससे पूरे प्रदेश की जनता ग्रसित होती है, इसलिए उन कानूनों के मामले में अगर कोई बात आती है, सदन में वैसे ही बहुत कम होता है, कानूनों के बारे में बहस बहुत कम होती है। पिछली बार हमने 13 विधेयक एक घंटे में पारित कर दिया तो अगर कानून बनाने के मामले में कोई आपत्ति आ रही है..।

श्री अमरजीत भगत :- दिल्ली में मोदी जी इसी बात को समझ गये होते, जो 3 कृषि बिल, बिना चर्चा के पारित किया। आज पूरे देश के किसान आंदोलित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

समय :
4:40 बजे

<u>वित्तीय वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन</u>

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतनदान के लिए गुरूवार दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 की तिथि निर्धारित करता हूं। श्री कवासी लखमा जी, श्री रविन्द्र चौबे जी।

समय :

4:41 बजे

शासकीय संकल्प

यह सदन केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता है कि " भारत सरकार के उपक्रम एन.एम.डी.सी. द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र, जिला- बस्तर का केन्द्र सरकार द्वारा रणनीतिक विनिवेश के नाम पर प्रस्तावित निजीकरण की प्रक्रिया को निरस्त किया जाये।"

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब एक मिनट। मैंने संकल्प पुर:स्थापित करने के पहले बात रखने के लिए एक पत्र लिखकर दिया हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, आप यह बता दीजिये कि लेजिसलेशन करना या नहीं करना है या आगे बढ़ाना है ? संसदीय कार्यमंत्री जी।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप मुझसे बात कर रहे हैं या माननी आसंदी से ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे मार्गदर्शन ले रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका सरंक्षण चाहते हुए बोलूंगा। जब इस सदन में लेजिसलेशन होता है, तो इतनी हड़बड़ी में लेजिसलेशन नहीं होना चाहिए, जो आज देख रहा हूं। आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी जो आपत्तियां हैं, शासकीय संकल्प में आपकी व्यवस्था आनी चाहिए। मैं सबसे पहले कौल एण्ड शकधर की कुछ लाईनों को जो शासकीय संकल्प के बारे में हैं, उसको पढ़ता हूं।

" जब किसी ऐसे संकल्प की सूचना जो, किसी मंत्री ने दी हो, अध्यक्ष द्वारा ग्रहित कर ली गई है, तो उसे संसदीय समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जाता है। अध्यक्ष, सदन के नेता के परामर्श पर उस संकल्प पर चर्चा के लिए तिथि निश्चित करता है। उस संकल्प को कार्यसूची में शामिल किए जाने से पहले सम्बद्ध मंत्री इस बात को सुनिश्चित करता है कि सभी संगत दस्तावेज और साहित्य जहां आवश्यक हो, सदस्यों को पहले बांट दिया जाये।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह शासकीय संकल्प है। शासकीय संकल्प में जो भाषा है, उसको पढ़ता हूं, उसके बाद मैं दूसरी आपत्ति बताऊंगा। यह सदन केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता है कि " भारत सरकार के उपक्रम एन.एम.डी.सी. द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र, स्थापनाधीन लिखा है न, स्थापित हो गया है, नहीं लिखा है, जिला- बस्तर का केन्द्र सरकार द्वारा रणनीतिक विनिवेश के नाम पर प्रस्तावित निजीकरण अनुमानित है, जैसे विशेष अधिवेशन में विशेष सत्र बुलाकर मण्डी कानून को संशोधित किया था, जो अनुमानित है, अभी केन्द्र सरकार के कानून में कोई एक्ट, निर्देश प्रकाशित नहीं हुए हैं, लेकिन अनुमानों पर माननीय कृषि मंत्री जी ने उसमें लेजिलेशन किया। अब मेरा यह कहना

है कि निजीकरण में सरकार से अभिमत लिया गया, सरकार ने क्या अभिमत दिया, कब लग रहा है, कितने प्रोडक्शन का लग रहा है, क्या आपत्ति है, किस तरह से हुआ है, यदि हम सदस्यों को भी बता दें, जो शासकीय संकल्प के नियमों में उल्लेखित है, तो हम भी उसमें मत देंगे। अभी तो हमें कुछ नहीं मालूम कि क्या हो रहा है ? जब शासन का संकल्प है तो नियम बोलते हैं कि वे सारे सदस्यों को समय रहते वितरित किये जायें। हमारे पास कोई कारण नहीं है। पहला।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा यदि आप हमको समय में बताते तो हम उसमें संशोधन देते कि यह अनुमानों पर नहीं होता है। आज आपने प्रकाशित किया और आज ही चर्चा हो रही है, हमको उसमें संशोधन का भी अवसर नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि इसमें संशोधन का अवसर मिले, सरकार के जितने दस्तावेज हैं, जो केन्द्र सरकार ने इसमें निर्णय लिया है, वह सारी प्रक्रिया हो जाये, उसके बाद लाये। तब तक इसको स्थगित किया जाये।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सदन गवाह है। इसी सदन में 2017 में यहां डॉ. रमन सिंह जी बैठा करते थे। उन्होंने इसी विनिवेश के बारे में कहा था कि हम नहीं होने देंगे। किस आधार पर कहा था ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप एक मिनट सुनेंगे क्या? पिछली सरकार, नई सरकार क्या कर रही है उसमें यदि बात करेंगे तो बात 1991-1992 में जायेगी। मैं प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। डॉ. रमन सिंह जी ने क्या कहा, माननीय भूपेश बघेल जी ने क्या कहा, रविन्द्र चौबे जी ने क्या कहा, मैं संसदीय कार्य मंत्री था क्या कहा ये मेरा विषय नहीं है। और अति विद्वान व्यक्ति हैं जो आपत्ति मैंने लिखकर दी है, कौल एंड शकधर का उल्लेख किया, नियम-प्रक्रिया, संशोधन का उल्लेख किया और शासकीय संकल्प में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका उल्लेख किया। मैं चाहता हूं कि आप उसमें व्यवस्था दें। यदि मंत्री जी नहीं देना चाहते तो आप व्यवस्था दीजिए ना।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान सदस्य अजय जी ने भारत सरकार ने कब पैसा लिया, क्या लिया और केवल अनुमानों पर काम हो रहा है मैं आपको एन.एम.डी.सी. लिमिटेड की जो 12.07.2017 को प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई उसका उल्लेख कर देता हूं जिसमें लिखा है विनिवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डी.आई.पी.ए.एम.) ने एन.एम.डी.सी. इस्पात संयंत्र नगरनार छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न क्षेत्र उद्यमों के स्ट्रेटीजिक विनिवेश हेतु आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति सी.सी.ई.ए. भारत सरकार के निर्णय अनुसार स्ट्रेटीजिक विनिवेश योजना तैयार की है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि पहले कदम के रूप में इन आई.एस.पी. के लिए ट्रांजेक्सन सलाहकार, विधि सलाहकार, मूल्य निर्धारक की नियुक्ति का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा ये विवरण एकत्रित कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 17.02.2017 को श्री सी.वी. सिंह जी (चौधरी विरेन्द्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील) को पत्र

लिखा। ये उसकी कॉपी है। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने 14 जुलाई, 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उसकी भी कापी है कि विनिवेश नहीं होना चाहिए और ये भी लिखा है कि विनिवेश होने से यहां नक्सलवाद बेकाबू हो जायेगा, इसलिए विनिवेश नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार के पत्र लिखे गये हैं और अभी पिछले दिनों ही एन.बी.सी. की बैठक हुई उसमें भी मर्जर करने का फैसला लिया गया। तो सारी प्रक्रियायें ऑनगोईंग हैं और यदि इस बीच में हम इंटरप्ट नहीं करेंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे तो कब रखेंगे और इसलिए यह प्रस्ताव लाया गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी मेरी पूरी बात सुन लीजिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अभी आपने आपत्ति कर दी कि क्यों विनिवेश और कब से और अब आपने कहा कि 1991 तक जायेगा। तो आप उससे और आगे भी ले जा लें, आप बाल्को तक भी पहुंचेंगे तो हम जवाब देंगे। आपने कौल एंड शकधर का जिक्र करके पढ़ दिया कि इसका परिचालन आवश्यक है और इसका दस्तावेज आपको मिलना चाहिए था। सबसे पहली बात तो यह कि कल आपको कार्यसूची मिल गई थी, अगर आप संशोधन चाहते तो दे सकते थे। दूसरा- आपने जो पढ़ा उसका पूरा वाक्य सुन लीजिएगा। जब किसी ऐसे संकल्प की सूचना जो किसी मंत्री ने दी हो, अध्यक्ष द्वारा गृहित की गई हो, उसको समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए, अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श के बाद संकल्प पर चर्चा के लिए तिथि निश्चित करता है। परामर्श के बाद ही तिथि निश्चित हुआ है, बिजनेश एडवाईजरी समिति में आपने तय किया है। उस संकल्प को कार्यसूची में शामिल किए जाने से पहले संबद्ध मंत्री इस बात को सुनिश्चित करता है, जहां आवश्यक हो, सदस्यों को पहले से दस्तावेज बांट दिया जाए। कौन? तो मंत्री सुनिश्चित करता है कि आवश्यक जहां हो और ये सारे दस्तावेज इस सदन में पहले रखे जा चुके हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने इसके डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ प्रस्ताव, चिट्ठी और सदन में चर्चा कर ली है। केन्द्र सरकार को जिस चिट्ठी का अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया वह चिट्ठी भी आपने पहुंचायी हुई है इसलिए माननीय आप समझ लीजिए। दो बातों की आपको आपत्ति थी, पहली आपत्ति थी कि इसको सर्कुलेट होना चाहिए था और दूसरी आपत्ति थी कि ये जानकारी में होना चाहिए था। बिजनेश एडवाईजरी समिति में जहां मैं समझता हूं कि सभी पक्षों के लोग रहते हैं वहां आपने चर्चा कराई और जहां आवश्यक हो, अगर मंत्री चाहे तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ..।

उपाध्यक्ष महोदय :- पर्याप्त चर्चा हो चुकी है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इसमें हडबड़ी मत करिये। आप जरा सा सुन लीजिए। नियम कायदे कानून की बात हो रही है आप जरा सा सुन लीजिए। सुनने में कोई रोक क्यों हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- हां, चलिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के प्रस्ताव सदन में बहुत कम आते हैं और ऐसे प्रस्तावों के बारे में हमारे सभी सदस्यों को जानकारी भी होनी चाहिए और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने स्वयं पढ़कर बताया है कि परिचालित होना चाहिए, सुसंगत दस्तावेज उपलब्ध होना चाहिए। अब मैं आपको कह रहा हूँ। मैं तो बहुत सीनियर विधायक होने के बाद भी, इसके कोई दस्तावेज हमारे पास में नहीं है। अगर इस चर्चा में हमें भाग लेना है तो शासन को क्या दिक्कत है। आप एक 10 पेज का नोट बना सकते हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र पढ़े, उसको दे सकते हैं। आप सभी सदस्यों को उपलब्ध करवा दें जिससे की वस्तुस्थिति सभी सदस्यों को मालूम पड़ जाये और उसमें कल चर्चा हो जाये। अभी तो हमारा सदन चल रहा है अभी 3 बैठकें हुई हैं। अभी हमारी 4 बैठकें और होने वाली है तो सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत हो जाये और मिलने के बाद में हम चर्चा करेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम इसमें चर्चा करेंगे हमें चर्चा में कोई आपत्ति नहीं है। परंतु शासन के पास जो भी दस्तावेज उपलब्ध हैं उन दस्तावेजों को सभी सदस्यों को उपलब्ध करवा दें, जिससे कि सदस्य ठीक तरीके से इसके ऊपर में चर्चा कर सकें और यही सदन की उच्च परंपरा है। इस परंपरा का हमको पालन करना चाहिए। क्योंकि हमारे नये सदस्यों को कब सीखने मिलेगा ? आखिर ये क्या है? कैसा है? क्यों हो रहा है हमको इसका विरोध क्यों करना चाहिए? इसके पक्ष में हमको क्यों आना चाहिए। इसके संबंध में अगर आप केन्द्र सरकार से भी चाहें तो जानकारियां बुलवाकर, इंटरनेट से भी जानकारियां बुलवाकर, आप सभी सदस्यों को उपलब्ध करवा दें तो मुझे लगता है कि उसके बाद में आप इस पर चर्चा करें । यह शासन का अधिकार है। शासन शासकीय संकल्प ला सकता है। उस पर चर्चा भी करवा सकता है। हमारा भी अधिकार है कि हम उसमें संशोधन दे सकते हैं। हमारा भी अधिकार है कि हम नियमों का उल्लेख कर सकते हैं। अगर सभी दस्तावेज हमें उपलब्ध करवा दिये जाएं और उसके बाद में चर्चा करवायी जाये तो मुझे लगता है कि यह अच्छा होगा। क्योंकि हम चर्चा कराने से रोकना नहीं चाहते। चर्चा तो शासन बहुमत में है वह चर्चा करवा सकता है, परंतु सभी दस्तावेज उपलब्ध करवा दें और उसके बाद में आप चर्चा करवायें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं आप ही की व्यवस्था दे रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा है उसमें बोलना है। यह अच्छी बहस है हम किसी को खण्डन नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि कल प्रिंट हो गया था आप संशोधन दे सकते थे। आपको कार्यसूची मिल गई थी। कल प्रिंट हो गया था

उस आधार पर मैं विधेयक में संशोधन दूंगा तो आप स्वीकार कर लेंगे। क्या संशोधन देने की वह प्रक्रिया है। आप पहले बतायेंगे, आप ज्ञानी आदमी हैं। दूसरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दस्तावेज बतायें उसमें मेरी असहमति कहीं पर नहीं है। मैंने यह कहा कि डिसइंवेस्टमेंट छत्तीसगढ़ के हित में है, अहित में है यदि मान लीजिए हम इसको सर्वसम्मत करवाना चाहते हैं सरकारें अलग-अलग है। मान लीजिए हमको किसी बात की जानकारी नहीं है। हम इसका विरोध कर देते हैं। तो सरकार को क्या आपत्ति है कि इसमें दस्तावेज उपलब्ध करवाकर, बहस करवायें। यह तो हेल्दी डिस्कश होगा और दूसरी बात जो मैंने पहले कही उसमें व्यवस्था आनी चाहिए कि आपने कहा कि प्रिंट होने के बाद संशोधन दे सकते हैं, संसदीय कार्यमंत्री जी ने एक नई बात कही है तो क्या हम प्रिंट के आधार पर संशोधन दे सकते हैं क्या? ये आप बताने का कष्ट करेंगे?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर कल कार्यसूची वितरित हो गई थी तो मैं समझता हूँ कि आपके पास पढ़ने का वक्त रहा होगा। दूसरी बात दस्तावेजों की जहां तक बात है। इस इनवेस्टमेंट की चर्चा कल से शुरू नहीं हुई है ये तो हुकूमत में जो इधर बैठे हैं इधर बैठे थे तब भी यही चर्चा थी। वही दस्तावेज थे और वही बिंदु थे ओर हमने देखा है छत्तीसगढ़ को एक डिसइनवेस्टमेंट से कितना नुकसान हुआ है। हमने देखा है और इसलिए आपकी भावनाएं आ जानी चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- दूसरी तरफ ले जा रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह सब आप चर्चा में भाषण दीजिएगा। आपको दस्तावेज उपलब्ध कराने में क्या दिक्कत है। आप बोलिए कि हम दस्तावेज उपलब्ध करवा रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने संशोधन पर जो दिया है, उस पर बोलिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हां बोलेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा संशोधन होता है तो आप बतायें?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सदस्यों की जानकारी हो, हमारे सदस्य भी अपडेट हों। हमारे सदस्यों के पास में पूरी जानकारी रहे और इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी सदस्यों को इसके दस्तावेज उपलब्ध करवा दें तो सभी सदस्य इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। आप कल उपलब्ध करवा दें। आज रात तक उपलब्ध करवा दें। कल चर्चा कर लें। परसों चर्चा कर लें। कोई आपत्ति नहीं है परंतु आप दस्तावेज उपलब्ध करवा दें। मेरा यह कहना है कि सरकार का जो अभिमत है, उसको भी आप 5-10 पेज में अच्छा लिखकर उपलब्ध करवा दें, वह बहुत अच्छा होगा और मुझे लगता है कि स्वच्छ चर्चा होगी। आप ये उपलब्ध करा दें।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, हम जब बैठ करके कार्यमंत्रणा में ये तय कर लिये कि

ये सदन में आयेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कार्यमंत्रणा के विषय में ये उल्लेख नहीं था, खाली मौखिक बताया गया।

श्री रविन्द्र चौबे :- ये था। शासकीय संकल्प इस संबंध में आयेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं था, खाली उसके बारे में उल्लेख किया गया था। सिर्फ उल्लेख किया था। उस समय तक सूचना आपने नहीं दी थी। आपने सूचना बाद में दी है। सामान्यत: माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आप बहुत विद्वान हैं, कार्यमंत्रणा की चर्चा यहां नहीं होती।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने नहीं कहा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कार्यमंत्रणा के मामले में सब सदस्यों को जानकारी भी नहीं होती। जो हम लोग उपस्थित होते हैं, उनको जानकारी होती है। इसलिए उस विषय में आप चर्चा न करें। वहां हमारी औपचारिक, अनौपचारिक बहुत सारी चर्चाएं होती हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- होती हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उसका हम उल्लेख सामान्यत: समाचार पत्रों में या सार्वजनिक रूप से नहीं करते, आपस में कर लेते हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि इसकी चर्चा से अजय जी को आपत्ति क्यों हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- चर्चा करने के लिए पूरा तैयार हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिल्कुल आपत्ति नहीं है। जबरदस्ती यही गड़बड़ है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन बातों को अजय जी उल्लेख कर रहे हैं, जो दस्तावेज आपके पास में हैं, बाकी लोगों को भी उपलब्ध करा दें। बृजमोहन जी ने कहा कि कुछ नोट्स आप तैयार करके दे दें। उसमें सारे सदस्य चर्चा में भाग लेने को तैयार हैं। उसमें मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आज ही उसको पारित किया जाये और यदि आज पारित नहीं होगा तो कौन सी संकट की घड़ी आ जायेगी। आप तो सबका समाधान करें, बल्कि उसको आगे बढ़ायें और सारे दस्तावेज उपलब्ध करा करके चर्चा करायें, सब कोई चर्चा में भाग लेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, सरकार का विधानसभा में बहुमत है। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम तो खाली यह मांग कर रहे हैं कि सारे पेपर, नोट्स उपलब्ध करा दीजिए। क्या आपको शंका है कि कल आपके सदस्य आपके साथ नहीं रहेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- हम विरोध कहां कर रहे हैं, हम तो प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। आप विषय को इधर-उधर ले जाते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठियेगा। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। चूंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है। इसलिए कि यह प्रदेश के हित के लिए है और दूसरी बात आदिवासी क्षेत्र का है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें दो दिन चर्चा हो सकती है। जब constitution का मामला हो, नियम, कायदे, कानून का मामला हो तो उसमें लंबी बहस भी हो सकती है। इस सदन में 3-3 दिन तक चर्चा हुई है। एक त्रिवर्षीय मेडिकल पाठ्यक्रम आया था, माननीय राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल जी अध्यक्ष थे, 3 दिन तक चर्चा हुई थी कि ये प्रस्तुत हो सकता है या नहीं हो सकता है। उस समय चौबे जी संसदीय कार्यमंत्री भी थे। इसलिए इस मामले में कोई बहुत जल्दबाजी न करें। माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह बढ़िया है कि मुख्यमंत्री जी चर्चा में भाग ले रहे हैं।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- जब केन्द्रीय कृषि कानून पारित हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा में जब संशोधन लाया जा रहा था, उस समय आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी थी, उसको हम लोगों ने देखा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम तो legislation कर रहे हैं, legislation करना कोई स्ट्रेटजी थोड़ी होता है, यह house legislation के लिए है।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग उसमें कहां तक जा सकते हो, क्या बात रखेंगे, यह तो प्रदेश के हित में है, आप लोगों को इसमें शंका-कुशंका नहीं होनी चाहिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसमें आपको मना कहां कर रहे हैं। मुख्य विषय तो यही है कि इसमें जितनी चर्चा हो, वह ज्यादा अच्छा है और आने वाले समय में इसमें चर्चा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अनेक समय के कार्यकाल के उदाहरण दिये हैं। मैं समझता हूं कि ये legislation assembly है और इसमें हम लोगों को जब कानून बनाने के समय की बात होती है, उस समय का पालन करना चाहिए, जिस प्रकार से माननीय सदस्यों ने कौल और शकधर का उल्लेख भी किया है। हालांकि इसमें कोई बहुत ज्यादा दस्तावेज नहीं हैं, जो दो बैठकें हुईं, उसकी कापी है, जो पिछली सरकार ने चिट्ठी लिखी और हमने जो चिट्ठी लिखी, बस उतना ही है। उसको सर्कुलेट करना है, वह हम कापी उपलब्ध करा देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छी परंपरा होगी, माननीय सदस्य लोग चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ायें तो ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी उदारता दिखेगी।

श्री भूपेश बघेल :- आप बोलने दीजिए न। आपकी कृपा हो तो मैं आगे बढ़ूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो आपके संसदीय कार्यमंत्री से अनुमति लेता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और जो संसदीय परंपरा है, उसका पालन करते हुए, छत्तीसगढ़ की उच्च परंपरायें रही हैं। हालांकि हम लोग मध्यप्रदेश से निकलकर आये हैं और वहीं से सभी माननीय सदस्य लोग वहां बैठकर माननीय वरिष्ठजनों से सीखते आये हैं। छत्तीसगढ की परंपराएं आज भी बरकरार है, मध्यप्रदेश की जो स्थिति है, वह सब देखने-सुनने को मिल रहा है कि प्रोटेम स्पीकर ही एक साल से चला रहे हैं, वह भी परंपरा नयी बन गयी है । नहीं तो प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते उसके बाद काम खत्म हो जाता है लेकिन मध्यप्रदेश में अभी एक साल से ही चल रहा है । हम उसमें नहीं जाते हैं लेकिन जो बातें माननीय सदस्यों ने कही है और संसदीय कार्यमंत्री भी इस मामले में उनसे भी चर्चा हुई और मैं समझता हूं कि सारे दस्तावेज उपलब्ध कराकर इस पर चर्चा करें । (मेजों की थपथपाहट) सोमवार वगैरह का जो समय आप चाहेंगे, वह तिथि में आप इसको स्वीकार कर लें, चर्चा करायें क्योंकि यह प्रदेश के लिये बहुत महत्वपूर्ण है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए आपसे आग्रह है कि आज इसे रहना दिया जाये और इसको सोमवार या मंगलवार जो तिथि आप उचित समझें उस तिथि को इसमें चर्चा करा लें । (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- आपको बहुत-बहुत बधाई । मैंने आपके वक्तव्य पर टेबल थपथपाई । आप ऐसी ही उदारता दिखाईए । स्वस्थ भारत में हमेशा लेजिसलेशन में ऐसी उदारता दिखाईए ।

श्री भूपेश बघेल :- मैंने सुना नहीं और थोड़ा जोर से थपथपाओ तो सुनाई देगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य के बाद शासकीय संकल्प को आगामी कार्यदिवस में लिया जाये । नियम-139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा । प्रदेश में हाथियों के उत्पात एवं हाथियों की मौत होने के संबंध में श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष चर्चा उठायेंगे ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको भी कल ले लीजिएगा न । नेता प्रतिपक्ष जी, 05 बज गये हैं ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- ठीक है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 24 दिसंबर, 2020 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

(5 बजकर 02 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 24 दिसंबर, 2020 (पौष-3, शक संवत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

रायपुर (छत्तीसगढ़)
23 दिसम्बर, 2020

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा